

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2019—माघ 12, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2019

क्र. एफ 5-23-2018-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री हुलुवड़ी जी. रमेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 14 से 21 दिसम्बर 2018 तक	08 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् दिनांक 22 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक शीतकालीन अवकाश सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2019

क्र. बी-1-157-2018-2-एक.—श्री राजेश राठौड़, राप्रसे (आर. आर. 2011) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा स्वयं की नियुक्ति के समय सेवा अभिलेखों में अंकित गृह जिला उज्जैन के स्थान पर गृह जिला देवास करने का अनुरोध करते हुए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न कर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

(2) राज्य शासन परीक्षणोपरांत, एतद्वारा श्री राजेश राठौड़, राप्रसे (आर. आर. 2011), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के अनुरोध को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला उज्जैन के स्थान पर गृह जिला देवास परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्री राजेश राठौड़, राप्रसे (आर. आर. 2011), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव 'कार्मिक'.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019

क्र. एफ 1 (बी)-35-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा-2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 6642/59/2016/चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 30 (अनुक्रमांक 330165) सुश्री सोनाली नरेडा,, (सीट-अनुसूचित जाति-महिला, श्रेणी-अनु.जा.) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति उपरान्त जिला पन्ना में पदस्थ किया गया है। सुश्री सोनाली नरेडा द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 30 जुलाई 2018 में यह लेख किया है कि वर्तमान में वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर परिषद, पानखेड़ी (काला पीपल), जिला शाजापुर में पदस्थ है और उक्त विभाग से कार्यमुक्त होने हेतु 02 माह का अतिरिक्त समय गृह विभाग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रदान करने का कष्ट करें। परिणामतः शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2018 द्वारा इनकी कार्यभार ग्रहण अवधि में नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक 28 जुलाई से 10 अक्टूबर 2018 तक की वृद्धि की गई। सुश्री सोनाली नरेडा द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2018 को पुनः आवेदन-पत्र प्रस्तुत

कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्यभार ग्रहण अवधि में 04 माह की और वृद्धि चाही गई। शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2018 द्वारा इनकी कार्यभार ग्रहण अवधि में दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक की वृद्धि की गई।

(2) पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना के पत्र क्रमांक पुअ/पन्ना/स्था/जी/8482-ए-18, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 के अनुसार सुश्री सोनाली नरेडा द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पन्ना में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

(3) अतः विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त एवं जिला पन्ना में पदस्थ करने संबंधी सुश्री सोनाली नरेडा शुगर फैक्ट्री चौराहा, स्टेशन रोड, सीहोर म. प्र.-466001 का नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(बी) 83-2014(बी)-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची के स. क्र. 12 (अनुक्रमांक-100767-अनुपूचित जाति-पुरुष) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+5400/- (साँतवे वेतनमान में लेवल-12 में 56,100-177500/-) में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	15	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, म. न. 3/221, दीनदयाल धाम के पास, पडरा, जिला रीवा, म. प्र. 486001.	जिला सीन ऑफ क्राईम, मोबाइल यूनित, जिला पन्ना.

(2) नवनियुक्त अधिकारी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम (4) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें)

नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1993 से शासित होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(4) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परीवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(9) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के

प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है।

क्र. एफ 1(बी) 35-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	05	श्री पंकज कुमार मिश्रा, एम-78, राजेन्द्र नगर कालोनी, थाना खैराहा, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, म. प्र.	छतरपुर

484110.

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम-4 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) इन परीवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनयादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा।

(4) उपरोक्त परीवीक्षाधीन अधिकारी को परीवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन

अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के

प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2019

क्र. एफ 1(बी) 60-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	04	श्री विवेक कुमार शर्मा, ए-19, सेल टेक्स कालोनी, गुमास्ता नगर, थाना चन्दन नगर, इन्दौर, म. प्र.	झाबुआ
2	12	श्री गौरव पाटिल, म. न. 33, इन्दिरा कालोनी, पोस्ट ऑफिस दिलावर मोहगांव, तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा, म. प्र. 480107.	झाबुआ
3	14	सुश्री नीलम चौधरी, पुत्री श्री मुन्ना लाल चौधरी, निवासी प्रताप नगर, गली नं. 9, नरसिंहपुर, म. प्र.	खण्डवा

(2) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से

कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारियों जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाएँ

एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ 1(बी) 35-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	07	श्री संजू चौहान, ग्राम डोबी, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, म. प्र. 466554.	विदिशा
2	15	श्री सचिन कुमार धुर्वे, कमला धुर्वे थान सिंह धुर्वे, आजाद वार्ड, नं. 2, चील घर रोड, एससीआई-7407, लखनादौन, जिला सिवनी, म. प्र.	जबलपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्त के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम-4 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारियों जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2019

क्र. एफ 1(ए) 75-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जयदेवन ए., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित कन्याकुमारी की यात्रा एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री जयदेवन ए.	—	स्वयं
2.	श्रीमती संचिता	—	पत्नी

(2) श्री जयदेवन ए., भापुसे, का चालू कार्य श्री विजय डाबर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, बैहर, जिला-बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदेवन ए., भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जयदेवन ए., भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदेवन ए., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयवेदन ए., भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2019

क्र. एफ 1(ए) 22-1993-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2018 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सर्तकता) पु.मु., भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक, कुल 28 दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर (इम्फाल) मणिपुर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री के. टी. वाइफे	—	स्वयं
2.	श्रीमती मार्गरेट वाइफे	—	पत्नी
3.	केम गौलाल वाइफे	—	पुत्र

(2) श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण) पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (सर्तकता) पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2019

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 246.—(प्रतीक्षा सूची क्र. 03), राज्य शासन, सुश्री गजल पाहवा पुत्री श्री राजकुमार पाहवा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2

(प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 18 जनवरी, 1993 है।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 331.—(प्रतीक्षा सूची क्र. 11), राज्य शासन श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मदन लाल मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1969 है।

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2019

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 462.—(प्रतीक्षा सूची क्र. 01), राज्य शासन श्री सतीश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश मणि त्रिपाठी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में, इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवरिया (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 1980 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019

पंजी क्र. 3251-2018-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में नियुक्त नोटरी, सुश्री पार्वती तिवारी को उनके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29 जून 2018 के फलस्वरूप, उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2000 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 28 जुलाई 2015 को अपास्त करते हुए सुश्री पार्वती तिवारी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2019

क्र. एफ-6-1-2016-अट्ठावन.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जनवरी 2018 द्वारा माननीय श्री रामकिशन चौहान, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के कार्यकाल में 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो की वृद्धि की गई थी. राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त मनोनयन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बबीता वसुनिया, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्र. 27-01-2009-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् के गठन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-27-1-2009-ए-सोलह, दिनांक 31 अक्टूबर 2015 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 (भाग-1) में प्रकाशित हुई है, के भाग (ख) में उल्लेखित सभी मनोनीत सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. एफ. 2-1-2019-सात-शा.-7-90.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में —मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के द्वारा संशोधन किये गये हैं. संशोधन के पूर्व संहिता की धारा 7 निम्नानुसार रही है:—

“मण्डल की अधिकारिता—(1) मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त किए गए हैं और वह राज्य सरकार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस संबंध में विनिर्दिष्ट करे तथा वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हों या प्रदत्त किए जाएं.

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि वह अधिरोपित करना ठीक समझे, मण्डल को या मण्डल के किसी सदस्य को, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अतिरिक्त शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी या ऐसे अतिरिक्त कृत्य सौंप सकेगी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित है.”

2. संहिता में संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा किये गये संशोधनों के फलस्वरूप अब संहिता की धारा 7 निम्नानुसार है:—

“मण्डल की अधिकारिता—(1) मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई है अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियमिति के अधीन अथवा उसके द्वारा उसे प्रदत्त किए गए हों या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.”

3. संहिता की धारा 7 में किये गये संशोधन के प्रकाश में यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या मण्डल की अधिकारिता से, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य

अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त किये गये हैं, या प्रदत्त किये जाएंगे, बाहर हो गये हैं। जबकि विधिक स्थिति यह नहीं है। केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां पूर्वानुसार अभी भी राजस्व मण्डल को प्राप्त है। इस संबंध में The General Clauses Act, 1897 (Act No 10 of 1897) की धारा 3 में दी गई परिभाषाओं में 'Chief Controlling Revenue Authority' या 'Chief Revenue Authority' की परिभाषा दी गई है, जो निम्नानुसार है:—

“Chief Controlling Revenue Authority” or “Chief Revenue Authority” shall mean—In a state where there is a Board of Revenue, that Board in a state where there is a Revenue Commissioner, that Commissioner in Punjab, the Financial Commissioner and elsewhere, such Authority as, in relation to matters enumerated in List 1 in the

Seventh Schedule to the Constitution, the Central Government and in relation to other matters, the State Government, may be notified in the Official Gazette appoint.”

4. उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित राजस्व मण्डल राज्य के लिये Chief Controlling Revenue Authority' या 'Chief Revenue Authority' है अर्थात् यदि किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम में कोई कृत्य निर्वहन का दायित्व मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को सौंपा गया है तो ऐसा दायित्व निर्वहन यथापूर्व राज्य में स्थापित राजस्व मण्डल द्वारा ही किया जाएगा।

5. उपरोक्त विधिक स्थिति यद्यपि स्पष्ट है तथापि जानकारी के लिये संप्रेषित है।

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2019

क्र. एफ-11-20-2016-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-20-2016-तीस, दिनांक 1 फरवरी 2017 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	शिवपुरी	शिवपुरी	ख्यावदाकला	सूर्य मंदिर	सर्वे नं. 676	0.04	भरोसी रामदयाल, हरी, अमर सिंह, पुत्रगण मन्नु रावत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश

निवाड़ी, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्र. 55-आरडीएम-कले.नि-2019.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (क) 10-2015-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018 अनुसार थाना पृथ्वीपुर के ग्राम चौमो एवं थाना जैरोन के ग्राम लुहरगुवाँ में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की गई है. तदनुसार थाना पृथ्वीपुर के एवं थाना जैरोन के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित ग्राम पुलिस चौकी लुहरगुवाँ एवं चौमो में सम्मिलित रहेंगे.

नवीन पुलिस चौकी ग्राम चौमो, थाना पृथ्वीपुर

1. ग्राम चौमो, 2. ग्राम बिरौरा पहाड़, 3. ग्राम सकेरा भडारन, 4. ग्राम बंजीरापुरा, 5. ग्राम गोवापूर्वी, गोवापश्चिमी, जशरथपुरा, 6. ग्राम बारहो खुर्द, 7. ग्राम मनिया, 8. कुवरपुरा, 9. ग्राम गुलैदा, 10. ग्राम चिकटा, 11. ग्राम मनैथा, 12. ग्राम पहाड़ी बक्सी 13. ग्राम वितर.

नवीन पुलिस चौकी ग्राम लुहरगुवाँ, थाना जैरोन

1. ग्राम लुहरगुवाँ, 2. ग्राम ककावनी, 3. ग्राम ककावनीभाटा, 4. ग्राम ममौरा, 5. ग्राम पंचमखेरा, 6. ग्राम मजल, 7. ग्राम मजरासूरी, 8. ग्राम जीरावनि, 9. ग्राम भिटारा, 10. ग्राम मौजीपुरा.

उपर्युक्तानुसार पुलिस चौकी चौमो एवं लुहरगुवा में राजस्व ग्राम सम्मिलित रहेंगे तदनुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है.

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. क्यु-एस.सी.-2-9-20-2019-छब्बीस.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 से जिले के भीतर 03 स्थानीय अवकाश घोषित करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदाय किये गये हैं.

उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. मंजू शर्मा, कलेक्टर, जिला अशोकनगर वर्ष 2019 के लिए सम्पूर्ण जिला अशोकनगर में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्रमांक	त्यौहार	दिवस	दिनांक	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रंगपंचमी	सोमवार	25-3-2019	सम्पूर्ण जिला अशोकनगर
2	भुजरिया	सोमवार	16-8-2019	सम्पूर्ण जिला अशोकनगर
3	दीपावली का दूसरा दिन	सोमवार	28-10-2019	सम्पूर्ण जिला अशोकनगर

उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे.

मंजू शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्र. 05-क्ले.-स्था.-स्था.अव.-51-05-2019.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बसंत कुर्रे, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2019 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	दिन (3)	दिनांक (4)	अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)
1	होली की भाईदूज	शुक्रवार	22-03-2019	सम्पूर्ण जिले के लिये
2	मेला छिमछिमा हनुमान जी विजयपुर	शनिवार	31-8-2019	तहसील विजयपुर/वीरपुर के लिये
3	डोल ग्यारस	सोमवार	9-9-2019	तहसील श्योपुर/कराहल एवं बडौदा के लिये.
4	दीपावली की भाईदूज	मंगलवार	29-10-2019	सम्पूर्ण जिले के लिये

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालयों पर लागू नहीं होंगे.

बसंत कुर्रे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 16 जनवरी 2019

क्र. 20-व.लि.-2019.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2-99-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिए अधिकृति करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांक/दिन/त्यौहार के लिये वर्ष 2019 के लिए रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	16 अगस्त 2019	शुक्रवार	खजुलईया (रक्षाबंधन का दूसरा दिन)
2	2 सितम्बर 2019	सोमवार	गणेश चतुर्थी
3	28 अक्टूबर 2019	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे.

कलेक्टर द्वारा स्वीकृत

कलेक्टर.

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-रेवाकृपा-2018-19-46

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु रेवाकृपा शुगर्स प्रा.लि., शाहपुरा (भिटौनी), जिला- जबलपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	जबलपुर/शाहपुरा	फैक्ट्री गेट	139	2528.93
2	जबलपुर/पाटन	फैक्ट्री गेट	55	123.48
3	नरसिंहपुर/गोटेगाँव	फैक्ट्री गेट	120	2042.22
	कुल		314	4694.63

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

गन्ना आयुक्त.

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भितौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना गामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक गाम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चौडी (फाटक)	0.81	3.62	0.00	0.00	4.43	221.50	110.75	2
2	घुन्नीर	16.19	10.67	10.00	11.00	47.86	2393.00	1196.50	2
3	कैथरा (शहपुरा)	41.70	10.22	10.00	10.00	71.92	3598.00	1798.00	4
4	भितौनी	0.80	1.50	0.00	0.00	2.30	115.00	57.50	4
5	भमकी	0.40	0.50	0.00	0.00	0.90	45.00	22.50	4
6	खमदेही	0.40	0.50	0.00	0.00	0.90	45.00	22.50	4
7	भदरवासा	0.50	0.20	0.00	0.00	0.70	35.00	17.50	5
8	गंजकटंगा	18.62	5.04	4.00	2.00	29.66	1483.00	741.50	5
9	शहपुरा	2.02	0.02	0.00	0.00	2.04	102.00	51.00	5
10	नोनी (टिपरा)	4.86	3.53	3.00	2.00	13.39	669.50	334.75	6
11	खिरकाखेड़ा	5.67	4.20	0.00	0.00	9.87	493.50	246.75	6
12	किसरोद	5.67	0.05	0.00	0.00	5.72	286.00	143.00	6
13	टिकरी	2.43	2.14	0.00	0.00	4.57	228.50	114.25	6
14	टिपरा	11.74	5.40	5.00	14.00	36.14	1807.00	903.50	7
15	मगरमुहा	8.10	5.35	1.00	0.00	14.45	722.50	361.25	7
16	नटवारा	123.08	80.09	30.00	40.00	273.17	13658.50	6829.25	7
17	इमलिया	3.04	3.10	0.00	0.00	6.14	307.00	153.50	7
18	छपरट	4.86	1.60	0.00	0.00	6.46	323.00	161.50	7
19	कुलोन (छपरट)	0.40	0.40	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	7
20	ईश्वरखेड़ा	0.40	0.30	0.10	0.00	0.80	40.00	20.00	8
21	लुहारा	1.21	2.19	0.50	0.50	4.40	220.00	110.00	8
22	दिघोरी	6.48	1.30	0.50	0.50	8.78	439.00	219.50	8
23	दिमर (झोड़ी)	0.20	0.20	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	8
24	पिपरिया(कनवास)	0.40	0.40	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	8
25	झोड़ी	1.21	1.00	0.00	0.00	2.21	110.50	55.25	8
26	रमखिरिया	28.74	10.51	10.00	10.00	59.25	2962.50	1481.25	9
27	नाचनखेड़ा	3.64	0.40	0.00	0.00	4.04	202.00	101.00	9
28	बिजना	0.40	0.40	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	9
29	महगवा सगड़ा	18.22	3.51	1.00	1.00	23.73	1186.50	593.25	10
30	बरगी	3.10	2.75	2.00	2.00	9.85	492.50	246.25	10
31	बम्हनौदा	3.64	2.33	1.00	1.00	7.97	398.50	199.25	10
32	बिलपठार	17.80	10.82	5.00	3.00	36.62	1831.00	915.50	10
33	खपरा	0.80	3.77	1.00	0.00	5.57	278.50	139.25	10
34	धरमपुरा बंधा	0.40	0.50	0.00	0.00	0.90	45.00	22.50	10
35	परछिया	0.20	0.40	0.00	0.00	0.60	30.00	15.00	10
36	हिरापुर बंधा	1.21	1.62	0.00	0.00	2.83	141.50	70.75	11
37	उमरिया	89.88	50.40	46.00	40.00	226.28	11314.00	5657.00	11

गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेरार्ड हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा कैम्पेरी से दूरी कि. मी.	
38	सहोजनी	16.19	3.58	2.00	0.00	21.77	1088.50	544.25	12
39	लूटी	66.60	3.15	3.00	2.00	74.75	3737.50	1868.75	12
40	भीटा	1.21	2.00	1.00	0.00	4.21	210.50	105.25	12
41	मनगांवा	4.10	7.44	5.00	5.00	21.54	1077.00	538.50	12
42	मानेगांव	2.30	6.64	4.00	3.00	15.94	797.00	398.50	12
43	गडरपिपरिया	0.40	0.55	0.30	0.00	1.25	62.50	31.25	12
44	सिहोदा	1.62	0.36	0.20	0.00	2.18	109.00	54.50	12
45	दुठा(मानसमगर)	27.94	20.63	8.00	8.00	64.57	3228.50	1614.25	12
46	बिलखिरवा	6.07	1.98	0.00	0.00	8.05	402.50	201.25	13
47	मटवारा	4.86	3.65	3.00	2.00	13.51	675.50	337.75	13
48	मुडीया	2.30	5.89	1.00	1.00	10.19	509.50	254.75	13
49	लम्हेटा	4.45	1.50	1.00	0.50	7.45	372.50	186.25	14
50	भीटा	0.40	0.50	0.00	0.00	0.90	45.00	22.50	14
51	कुसमी	9.11	1.04	1.00	1.00	12.15	607.50	303.75	14
52	डोभी	4.45	5.83	3.00	3.00	16.28	814.00	407.00	14
53	जमुनिया(जवाप)	0.80	0.41	0.00	0.00	1.21	60.50	30.25	15
54	झरई पिपरीया	2.20	3.13	0.00	0.00	5.33	266.50	133.25	15
55	जैरी (लम्हेटा)	1.21	2.05	0.00	0.00	3.26	163.00	81.50	15
56	फूलर	1.21	3.70	2.00	2.00	8.91	445.50	222.75	15
57	करहैया	8.50	6.27	8.00	2.00	24.77	1238.50	619.25	16
58	केवलारी	2.43	2.00	0.00	0.00	4.43	221.50	110.75	16
59	नीमखेड़ा	1.21	2.64	2.00	0.00	5.85	292.50	146.25	14
60	रेनी	0.80	1.66	0.00	0.00	2.46	123.00	61.50	16
61	करहैया कला	0.40	2.00	0.00	0.00	2.40	120.00	60.00	17
62	कटीला	1.21	2.00	1.00	0.00	4.21	210.50	105.25	17
63	झमलिया(मानेगांव)	2.43	1.59	1.00	0.00	5.02	251.00	125.50	17
64	मनगावां	5.26	1.50	0.00	0.00	6.76	338.00	169.00	18
65	तिलवारा	1.21	1.50	0.50	1.00	4.21	210.50	105.25	19
66	कूड़न	0.80	0.50	0.00	0.00	1.30	65.00	32.50	19
67	मनकेडी	24.49	10.09	10.00	10.00	54.58	2729.00	1364.50	19
68	खमरिया	0.40	0.40	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	20
69	तेवर पिपरीया	2.43	2.01	1.00	0.00	5.44	272.00	136.00	20
70	कुआंखेडा	0.40	1.00	0.50	0.00	1.90	95.00	47.50	23
71	जमखार	0.60	0.40	0.40	0.00	1.40	70.00	35.00	24
72	चरगांवा (नवीन)	24.29	5.93	4.00	3.00	37.22	1861.00	930.50	24
73	कुसली	49.39	22.38	18.00	12.00	101.77	5088.50	2544.25	24
74	जमुनिया (मैली)	0.80	1.85	1.00	0.00	3.65	182.50	91.25	25
75	सालीवाडा (मैली)	0.80	0.40	0.40	0.00	1.60	80.00	40.00	25
76	सुनाचर	13.77	10.94	5.00	5.00	34.71	1735.50	867.75	25

गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

1-	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	गुंदरई	0.80	0.20	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	25
78	मैली	0.80	1.00	0.00	0.00	1.80	90.00	45.00	26
79	बेलखेडा	11.34	3.97	3.00	3.00	21.31	1065.50	532.75	कय केन्द्र दूरी 12
80	हिनोतिया	2.43	2.51	1.00	1.00	6.94	347.00	173.50	27
81	पिपरिया कंला	1.50	1.00	0.50	0.00	3.00	150.00	75.00	28
82	मातभपुर	26.72	15.46	8.00	6.00	56.18	2809.00	1404.50	कय केन्द्र दूरी 11
83	गुबरा कला	1.21	1.00	0.50	0.00	2.71	135.50	67.75	30
84	बिहारीपुरा	10.93	6.05	4.00	2.00	22.98	1149.00	574.50	कय केन्द्र दूरी 10
85	सुन्दादेही	34.41	20.61	12.00	18.00	85.02	4251.00	2125.50	कय केन्द्र दूरी 08
86	इमलिया	10.00	20.00	10.00	0.00	40.00	2000.00	1000.00	30
87	झाँसी	0.40	0.20	0.00	0.00	0.60	30.00	15.00	30
88	बरमान	0.80	0.33	0.10	0.10	1.33	66.50	33.25	31
89	झलोन	0.40	0.50	0.00	0.00	0.90	45.00	22.50	31
90	तुमरा	1.20	1.20	1.00	0.00	3.40	170.00	85.00	32
91	गोकला	14.57	10.20	5.00	5.00	34.77	1738.50	869.25	कय केन्द्र दूरी 05
92	भेरेगांव	24.70	8.50	5.00	5.00	43.20	2160.00	1080.00	कय केन्द्र दूरी 05
93	बेलखेडी	80.16	20.40	8.00	8.00	116.56	5828.00	2914.00	कय केन्द्र दूरी 05
94	बसेडी	14.57	15.66	5.00	5.00	40.23	2011.50	1005.75	कय केन्द्र दूरी 02
95	गुबरा खुई	2.43	1.50	0.00	0.00	3.93	196.50	98.25	34
96	सिमरिया	0.40	0.20	0.00	0.00	0.60	30.00	15.00	35
97	कुड़ा(इमलिया)	1.60	3.00	2.00	2.00	8.60	430.00	215.00	35
98	कुड़ाकंला	3.40	4.82	2.00	2.00	12.22	611.00	305.50	कय केन्द्र दूरी 08
99	बरपटी	12.96	5.35	5.00	5.00	28.31	1415.50	707.75	कय केन्द्र दूरी 04
00	पावला	18.62	10.76	8.00	9.00	46.38	2319.00	1159.50	कय केन्द्र दूरी 04
01	चरगावा(पुरानी)	15.38	11.32	4.00	4.00	34.70	1735.00	867.50	35
02	मिहगावा(भडपुरा)	1.20	2.00	0.00	0.00	3.20	160.00	80.00	36
03	धरती कछर	0.40	1.00	0.00	0.00	1.40	70.00	35.00	38
04	औरिया	0.80	2.00	1.00	0.00	3.80	190.00	95.00	38
05	बम्बाबारी	11.34	7.64	5.00	5.00	28.98	1449.00	724.50	38
06	सर्रा	2.43	2.00	2.00	0.00	6.43	321.50	160.75	38
07	पाथर पौडी	2.02	6.29	2.00	2.00	12.31	615.50	307.75	38
08	महगावा(खाप)	6.40	12.36	4.00	2.00	24.76	1238.00	619.00	39
09	दलपतपुर	5.20	3.96	2.00	2.00	13.16	658.00	329.00	40
0	केदारपुर	14.98	12.25	10.00	5.00	42.23	2111.50	1055.75	40
1	अहमदपुर	3.24	3.27	2.00	2.00	10.51	525.50	262.75	40
2	देवरी(पुरानी)	14.57	10.78	6.00	4.00	35.35	1767.50	883.75	42
3	बढ़ैयाखेडा	3.64	2.90	2.00	0.00	8.54	427.00	213.50	42
4	किसलई	2.20	1.40	0.00	0.00	3.60	180.00	90.00	45
5	सुनयारा	18.62	10.12	10.00	5.00	43.74	2187.00	1093.50	45
6	नयानगर	1.40	1.12	1.00	1.00	4.52	226.00	113.00	45
7	सिंगोरी	0.80	1.00	0.00	0.00	1.80	90.00	45.00	46

गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 डूमलिया(ललपुर)	5.26	4.35	1.50	1.50	12.61	630.50	315.25	48
9 बिजना	4.05	3.37	2.00	1.00	10.42	521.00	260.50	48
0 भारतपुर	0.80	3.63	1.00	1.00	6.43	321.50	160.75	48
1 दपकिया	0.40	2.00	1.00	1.00	4.40	220.00	110.00	50
2 भीकमपुर	0.80	1.58	1.00	1.00	4.38	219.00	109.50	23
3 सिद्धपुरी	0.40	0.69	2.00	0.00	3.09	154.50	77.25	20
4 प्रेमनगर (सूखा)	1.21	0.88	1.00	1.00	4.09	204.50	102.25	20
5 गंगई	1.21	1.88	1.00	1.00	5.09	254.50	127.25	22
5 रजोला	2.83	4.10	2.00	0.00	8.93	446.50	223.25	23
7 बम्होरी	0.40	1.00	0.00	0.00	1.40	70.00	35.00	40
8 भडपुरा	1.21	2.44	0.00	0.00	3.65	182.50	91.25	11
9 कुलोन बिजना	1.20	2.83	1.00	1.00	6.03	301.50	150.75	35
0 पिपरिया बेनी	3.10	2.96	0.00	0.00	6.06	303.00	151.50	45
1 तुमरा पाथरपोडी	1.21	10.64	5.00	5.00	21.85	1092.50	546.25	22
2 बिछुआ	1.62	2.11	0.00	0.00	3.73	186.50	93.25	32
3 हाथीकछार	1.21	2.82	2.00	0.00	6.03	301.50	150.75	48
4 कटोरी	6.88	6.77	5.00	5.00	23.65	1182.50	591.25	वाया गोटेगांव 80
5 भेड़ाघाट	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83	141.50	70.75	15
6 कुलोन	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	121.50	60.75	37
7 खैरी	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83	141.50	70.75	20
8 बिजोरी	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	33
9 सोमती	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02	101.00	50.50	22
कुल योग	1153.93	681.90	374.00	319.10	2528.93	126446.50	63223.25	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील पाटन जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेरसई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहसन	0.20	1.32	0.00	0.00	1.52	76.00	38.00	6
2	खैरी (सहसन)	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	30.00	15.00	8
3	कुवरपुर	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	10
4	रैयाखेड़ा	0.30	0.10	0.10	0.00	0.50	25.00	12.50	10
5	धनेटा	6.48	6.00	3.42	4.00	19.90	995.00	497.50	10
6	भुवारा	0.10	0.16	0.00	0.00	0.26	13.00	6.50	11
7	राखी	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	30.00	15.00	11
8	ग्वारी	0.30	0.10	0.10	0.20	0.70	35.00	17.50	11
9	बम्होरी	0.20	0.10	0.10	0.10	0.50	25.00	12.50	12
10	भकलिया	0.20	0.20	0.10	0.00	0.50	25.00	12.50	12
11	नन्दवारा	0.20	0.10	0.00	0.10	0.40	20.00	10.00	13
12	चदवा	0.30	0.10	0.10	0.00	0.50	25.00	12.50	13
13	पड़रिया (भमक)	0.80	0.50	0.31	0.30	1.91	95.50	47.75	14
14	कुमगंवा	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	30.00	15.00	14
15	सिमरिया	0.10	0.30	0.20	0.10	0.70	35.00	17.50	14
16	बढ़ैयाखेड़ा	0.20	0.50	0.50	0.62	1.82	91.00	45.50	15
17	मढ़पिपरिया	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	15
18	पाटन	8.91	2.00	0.50	0.30	11.71	585.50	292.75	15
19	सिन्वोरी	0.30	0.30	0.10	0.10	0.80	40.00	20.00	16
20	चपोद	0.20	0.10	0.00	0.00	0.30	15.00	7.50	17
21	अमरपुर	0.10	0.10	0.10	0.00	0.30	15.00	7.50	17
22	गुरुपिपरिया	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	18
23	हूंडी	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	18
24	महुआखेड़ा	1.62	2.00	1.06	1.00	5.68	284.00	142.00	18
25	गाड़ाघाट	0.20	0.20	0.10	0.20	0.70	35.00	17.50	18
26	सिन्वोरी (पाटन)	0.80	2.03	1.00	2.00	5.83	291.50	145.75	20
27	सिंगोरी (पड़रिया)	0.20	0.10	0.00	0.00	0.30	15.00	7.50	18
28	मुस्करा	0.50	1.25	0.00	0.00	1.75	87.50	43.75	22
29	नीमी	8.10	1.00	1.52	1.00	11.62	581.00	290.50	22
30	कटरा बेलखेड़ा	0.30	0.10	0.10	0.00	0.50	25.00	12.50	22
31	सिमरिया	0.20	0.10	0.20	0.20	0.70	35.00	17.50	22
32	रोसरा	0.10	0.10	0.10	0.00	0.30	15.00	7.50	23
33	बरोदा	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	25
34	हटेपुरखुर्द	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	27

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	खमोद	0.20	0.00	0.10	0.10	0.40	20.00	10.00	27
36	हटेपुरकंला	0.20	0.10	0.20	0.10	0.60	30.00	15.00	28
37	आगासोद	7.29	1.00	2.00	2.00	12.29	614.50	307.25	30
38	रमखिरिया	0.20	0.10	0.00	0.00	0.30	15.00	7.50	30
39	सहसन पडरिया	0.30	0.10	0.10	0.00	0.50	25.00	12.50	30
40	पडरिया (ब्योहारी)	0.40	1.38	1.00	1.00	3.78	189.00	94.50	30
41	मझगंवा	0.20	0.10	0.00	0.10	0.40	20.00	10.00	30
42	कटिया लुहारी	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	31
43	पडरिया (युआं)	0.30	1.71	1.00	1.00	4.01	200.50	100.25	32
44	कैथरा	0.40	0.10	0.10	0.10	0.70	35.00	17.50	32
45	लुहारी(कटिया)	0.30	0.10	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	30
46	कोटी	0.20	0.10	0.10	0.10	0.50	25.00	12.50	25
47	कनवास पिपरिया	0.20	0.20	0.10	0.26	0.76	38.00	19.00	8
48	बनवार	0.40	0.50	0.50	0.50	1.90	95.00	47.50	20
49	पिपरिया चन्द्रभान	0.40	0.20	0.10	0.10	0.80	40.00	20.00	20
50	झैरी हरदुआ	0.30	0.50	0.50	0.00	1.30	65.00	32.50	15
51	बेनीखेडा	0.40	1.18	0.25	0.00	1.83	91.50	45.75	26
52	पौडी	2.83	1.00	1.00	1.00	5.83	291.50	145.75	35
53	युआ (पडरिया)	0.80	1.78	0.00	2.46	5.04	252.00	126.00	42
54	ओरिया	0.40	1.79	1.00	1.00	4.19	209.50	104.75	45
55	मालाहरदुआ	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	202.50	101.25	23
	कुल योग	52.48	32.10	18.56	20.34	123.48	6174.00	3087.00	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर

(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के गन्ना धानों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक धान का नाम	नौरपा गन्ना	जडी I रकबा	जडी II रकबा	जडी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झांसीघाट	11.74	8.51	8.00	5.00	33.25	1662.50	831.25	18
2	बेलखेड़ी (झांसीघाट)	1.16	20.65	5.00	5.00	31.81	1590.50	795.25	16
3	खमरीया (झांसीघाट)	20.74	30.85	10.00	5.00	66.59	3329.50	1664.75	20
4	देगुंवा	15.38	20.00	10.00	10.00	55.38	2769.00	1384.50	20
5	रिमझा (खमरीया)	4.05	4.77	5.00	5.00	18.82	941.00	470.50	22
6	मालीवाडा	46.56	20.02	10.00	10.00	86.58	4329.00	2164.50	23
7	खिलारी	6.88	10.35	7.00	4.00	28.23	1411.50	705.75	23
8	नोनी	10.15	10.24	10.00	3.00	33.39	1669.50	834.75	23
9	बुकीमवई	7.29	6.70	8.00	8.00	29.99	1499.50	749.75	24
10	कंजई	10.17	10.46	8.00	8.00	36.63	1831.50	915.75	24
11	पिपरपानी	3.00	10.27	6.00	7.00	26.27	1313.50	656.75	25.00
12	करेली (कला)	12.15	13.53	8.00	8.00	41.68	2084.00	1042.00	25.00
13	कुम्हडाखेडा	7.69	5.28	2.00	3.00	17.97	898.50	449.25	कय केन्द्र दूरी 02
14	गोटेगांव	6.07	3.31	2.00	1.00	12.38	619.00	309.50	कय केन्द्र दूरी 02
15	बुघगोंय	0.40	3.36	1.00	1.00	5.76	288.00	144.00	25.00
16	कुम्हडोर	5.67	8.31	5.00	2.00	20.98	1049.00	524.50	कय केन्द्र दूरी 02
17	सालीवाडा	20.05	28.85	8.00	6.00	62.90	3145.00	1572.50	कय केन्द्र दूरी 08
18	झोझा	1.20	3.00	2.00	1.00	7.20	360.00	180.00	26.00
19	उमरा (उमरी)	7.29	3.73	1.00	1.00	13.02	651.00	325.50	27.00
20	कुक्लाह	3.24	10.03	5.00	3.00	21.27	1063.50	531.75	कय केन्द्र दूरी 05
21	गरा	10.19	10.38	5.00	5.00	30.57	1528.50	764.25	23.00
22	मोहास	4.40	13.81	10.00	9.00	37.21	1860.50	930.25	कय केन्द्र दूरी 10
23	मुँवारा (मुँवारा)	0.40	5.00	4.00	3.00	12.40	620.00	310.00	28.00
24	कमोदी (करौदी)	0.40	2.26	1.00	1.00	4.66	233.00	116.50	28.00
25	कमोद	1.20	6.00	4.00	2.00	13.20	660.00	330.00	28.00
26	पड़रिया (मुर्ई)	6.07	6.59	5.00	3.00	20.66	1033.00	516.50	28.00
27	बगलई (तिघरा)	0.20	5.89	2.00	1.00	9.09	454.50	227.25	कय केन्द्र दूरी 02
28	राखी	1.62	6.00	2.00	1.00	10.62	531.00	265.50	28.00
29	रहेली (गोटेगांव)	1.21	2.76	1.00	0.00	4.97	248.50	124.25	कय केन्द्र दूरी 07
30	पड़रिया	0.20	3.20	2.00	1.00	6.40	320.00	160.00	29.00
31	कांघर (कला)	0.20	1.80	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	27.00
32	ऑंखीवाडा	2.20	9.00	5.00	3.00	19.20	960.00	480.00	30.00
33	प्राखुनीया	3.84	3.57	1.00	0.00	8.24	410.50	205.25	कय केन्द्र दूरी 05
34	बगलई (पचौरी)	1.62	2.00	0.00	0.00	3.62	181.00	90.50	कय केन्द्र दूरी 02
35	अतरिया	10.38	10.60	5.00	2.00	27.98	1399.00	699.50	कय केन्द्र दूरी 02
36	पोनिया (गोटेगांव)	8.50	3.51	3.00	5.00	20.01	1000.50	500.25	कय केन्द्र दूरी 05
37	खोवी (गोटेगांव)	4.10	10.00	5.00	5.00	24.10	1205.00	602.50	30.00
38	घरगोंवा	3.90	10.69	5.00	3.00	22.59	1129.50	564.75	कय केन्द्र दूरी 05
39	भेसा	4.45	7.27	4.00	3.00	18.72	936.00	468.00	30.00
40	बढैयाखेडा(परसवाडा)	10.60	20.31	10.00	10.00	50.91	2545.50	1272.75	30.00
41	परसवाडा	0.40	3.29	0.00	0.00	3.69	184.50	92.25	30.00
42	कोडिया	0.40	5.30	3.00	3.00	11.70	585.00	292.50	कय केन्द्र दूरी 02
43	हिडकी	11.74	9.50	5.00	3.00	29.24	1462.00	731.00	कय केन्द्र दूरी 02
44	छिन्नौरी	11.74	4.20	3.00	0.00	18.94	947.00	473.50	कय केन्द्र दूरी 02
45	पिपरिया (बौधरी)	6.07	6.47	2.00	2.00	16.54	827.00	413.50	कय केन्द्र दूरी 02
46	मुर्दई (मुर्दई)	0.40	5.28	4.00	2.00	11.68	584.00	292.00	कय केन्द्र दूरी 02
47	मुडीया	0.80	4.00	3.00	4.00	11.80	590.00	295.00	कय केन्द्र दूरी 02
48	मवई	6.68	4.31	2.00	1.00	13.99	699.50	349.75	कय केन्द्र दूरी 02

गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
सहस्रील भोटेगांध जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जडी I रकबा	जडी II रकबा	जडी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.	
49	बगतेला	0.40	7.00	2.00	1.00	10.40	520.00	260.00	24
50	तिघरा (अतरिया)	10.19	5.38	4.00	3.00	22.57	1128.50	564.25	कय केन्द्र दूरी 03
51	सहजपुरा	0.40	4.45	3.00	3.00	10.85	542.50	271.25	कय केन्द्र दूरी 08
52	बरेली	0.30	2.00	1.00	2.00	5.30	265.00	132.50	कय केन्द्र दूरी 02
83	बरोदा	0.20	2.10	1.00	0.00	3.30	165.00	82.50	कय केन्द्र दूरी 07
54	जैरी (खीरी)	0.10	1.00	2.00	1.00	4.10	205.00	102.50	32
55	कुशीयाड़ा	2.10	4.89	2.00	1.00	9.99	499.50	249.75	कय केन्द्र दूरी 07
56	सिमरिया(बगलईपचौरी)	10.54	8.28	6.00	3.00	27.80	1390.00	695.00	31
57	देवरीकंला	3.10	4.77	5.00	3.00	15.87	793.50	396.75	कय केन्द्र दूरी 08
58	पिपरीया (अटकरी)	0.40	3.20	1.00	1.00	5.60	280.00	140.00	28
59	करली	0.20	2.10	1.00	1.00	4.30	215.00	107.50	32
60	देवरी (रिमिड़ा)	1.30	3.70	3.00	2.00	10.00	500.00	250.00	33
61	कमता (कमती)	0.40	7.13	2.00	2.00	11.53	576.50	288.25	कय केन्द्र दूरी 10
62	राका (रोता)	0.20	3.10	1.00	1.00	5.30	265.00	132.50	28
63	दिराम	1.62	8.08	4.00	4.00	17.70	885.00	442.50	कय केन्द्र दूरी 07
64	सजजी	0.20	6.30	2.00	0.00	8.50	425.00	212.50	34
65	लन्हेटी	0.20	2.60	1.00	1.00	4.80	240.00	120.00	34
66	रिमिड़ा (दिवरी)	2.43	8.38	5.00	5.00	20.79	1039.50	519.75	कय केन्द्र दूरी 10
67	सिमरी बड़ी	3.00	4.20	3.00	3.00	13.20	660.00	330.00	35
68	गमती (पिडरई)	2.10	6.46	6.00	4.00	18.56	928.00	464.00	कय केन्द्र दूरी 07
69	नेहका गाड़ाघाट	1.90	4.12	2.00	1.00	9.02	451.00	225.50	29
70	बहरोदा	5.28	6.79	2.00	0.00	14.05	702.50	351.25	35
71	पिपरीया (मनकयारा)	7.00	6.58	2.00	2.00	17.58	878.00	439.00	35
72	देवगुवां (पिपरीया)	5.28	8.63	2.00	2.00	17.89	894.50	447.25	32
73	सहोजनी	0.80	1.20	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	35
74	चरगुवा (दपकिया)	13.77	8.58	9.00	4.00	35.35	1767.50	883.75	33
75	सरौ	0.80	1.45	1.00	0.00	3.25	162.50	81.25	34
76	सिमरी	0.40	8.30	2.00	2.00	12.70	635.00	317.50	36
77	पिपरसरा	0.20	2.10	1.00	1.00	4.30	215.00	107.50	36
78	खेरुवा	0.20	3.80	2.00	0.00	6.00	300.00	150.00	36
79	हिजोता	0.20	1.20	1.00	1.00	3.40	170.00	85.00	36
80	धुपुरी	0.30	3.40	2.00	1.00	6.70	335.00	167.50	36
81	पिपरीया (बाजारशुक्)	0.20	8.20	5.00	3.00	16.40	820.00	410.00	36
82	भडरी	6.88	10.83	6.00	5.00	28.71	1435.50	717.75	28
83	दपकिया	45.95	20.43	8.00	4.00	78.38	3919.00	1959.50	कय केन्द्र दूरी 07
84	जैहवा	0.40	1.70	0.00	0.00	2.10	105.00	52.50	37
85	लालई	0.40	2.50	2.00	0.00	4.90	245.00	122.50	37
86	जामुनपानी	0.20	3.10	0.00	0.00	3.30	165.00	82.50	37
87	शुकरी	4.86	3.30	1.00	0.00	9.16	458.00	229.00	37
88	देतरी	0.40	2.00	0.00	0.00	2.40	120.00	60.00	37
89	पिपरीया (कोहला)	0.40	3.10	1.00	0.00	4.50	225.00	112.50	37
90	टैगोरा	0.20	3.30	2.00	0.00	5.50	275.00	137.50	37
91	हुंगरिया (हुंगरियां)	42.91	10.82	7.00	5.00	65.73	3286.50	1643.25	37
92	बहखेड़ा (चरगुवां)	0.40	4.10	2.00	0.00	6.50	325.00	162.50	40
93	नरवारा	0.20	8.35	6.00	3.00	17.55	877.50	438.75	27
94	कमती	29.96	5.20	3.00	3.00	41.16	2058.00	1029.00	38
95	लाटागांध	2.43	3.65	0.00	0.00	6.08	304.00	152.00	35
96	धुडा	0.40	3.10	0.00	0.00	3.50	175.00	87.50	38
97	ओरिया	0.20	5.15	3.00	2.00	10.35	517.50	258.75	38
98	कोरेगांध	0.30	2.35	1.00	1.00	4.65	232.50	116.25	38

गन्ना पिराई सत्र 2018-19 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील गोंटेगांव जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा कैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	अंडिया	0.40	2.00	0.00	0.00	2.40	120.00	60.00	38
100	घुघरा	0.20	3.00	0.00	0.00	3.20	160.00	80.00	38
101	अनंतपुर	0.40	2.00	0.00	0.00	2.40	120.00	60.00	30
102	पिपरिया (पथरिया)	0.40	1.00	0.00	0.00	1.40	70.00	35.00	39
103	श्यामनगर	2.02	2.00	0.00	0.00	4.02	201.00	100.50	39
104	दौन	0.20	2.00	0.00	0.00	2.20	110.00	55.00	39
105	बगलई (लालपुर)	6.48	6.20	3.00	2.00	17.68	884.00	442.00	39
106	उमरिया	9.31	10.38	4.00	5.00	28.69	1434.50	717.25	39
107	दान (दाभिनी) खमरिया	0.20	3.10	0.00	0.00	3.30	165.00	82.50	39
108	तरवारा	0.40	4.15	1.00	1.00	6.55	327.50	163.75	30
109	शकरी	0.20	3.00	0.00	0.00	3.20	160.00	80.00	40
110	चिंदवाड़ा	0.30	2.00	2.00	0.00	4.30	215.00	107.50	27
111	भंडी (भंडी)	0.20	2.00	1.00	0.00	3.20	160.00	80.00	40
112	मनकयारा	8.80	10.93	5.00	5.00	29.73	1486.50	743.25	कय केन्द्र दूरी 08
113	बन्डोल	8.65	4.33	2.00	1.00	15.98	799.00	399.50	21
114	लम्हेटा	2.43	3.20	2.00	2.00	9.63	481.50	240.75	34
115	मेहका	0.40	4.30	2.00	0.00	6.70	335.00	167.50	35
116	हिनीता	0.40	4.20	3.00	2.00	9.60	480.00	240.00	36
117	बरेली	4.86	1.30	0.00	0.00	6.16	308.00	154.00	30
118	ह्मिघारी	0.20	9.29	6.00	3.00	18.49	924.50	462.25	कय केन्द्र दूरी 07
119	बम्हनीदा	0.60	7.56	3.00	2.00	13.16	658.00	329.00	30
120	बेलखेड़ी (टिकरी)	24.29	15.38	6.00	5.00	50.67	2533.50	1266.75	30
121	गोहघर	4.45	5.19	2.00	2.00	13.64	682.00	341.00	28
122	पिडरई	21.05	13.89	5.00	3.00	42.94	2147.00	1073.50	29
	कुल योग	623.59	790.00	394.00	284.00	2091.59	104579.50	52289.75	

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-वंशिका-2018-19-49

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पॉवर इण्डो लि0, बिलगुवा, तेन्दुखेड़ा, जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/तेन्दुखेड़ा	फैक्ट्री गेट	94	3400.80
2	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट	33	813.40
3	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	फैक्ट्री गेट	08	1193.80
4	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	04	53.40
5	सागर/देवरी	फैक्ट्री गेट	33	300.00
6	रायसेन/उदयपुरा	फैक्ट्री गेट	26	289.60
		कुल	198	6051.00

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

गन्ना आयुक्त.

अनुक्रमांक - 8

वंशिका शुगर एंड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलगुवां, तहसील तेन्दूखेडा। जिला-नरसिंहपुर

तहसीलवार गन्ना क्षेत्रफल की समरी

सत्र 2018-19

क्र०	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	नौरपा (हेक्.में)	जड़ी (हेक्.में)	मडी (हेक्.में)	योग (हेक्.में)	क्रय केन्द्र का नाम
1	तेन्दूखेडा	109	1786.40	1020.20	594.80	3401.40 ✓	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
2	करेली	44	575.20	345.20	199.20	1119.60 842.20	॥
3	गाडरवारा	62	2024.80	2067.20	2112.00	6204.00 3936.60	॥
4	नरसिंहपुर	07	31.00	15.60	12.40	59.00 ✓	॥
5	देवरी (सागर)	37	125.20	101.00	73.80	300.00 X	॥
6	उदयपुरा (रायसेन)	31	167.40	70.00	52.20	289.60 X	॥
	कुल योग :-	290	4710.00	3619.20	3044.40	11373.60	॥

Asstt. Director Agriculture
Distt. Narsinghpur222 कृष
241 कृष - 43 कृष

नोट :- तहसील तेन्दूखेडा, करेली, गाडरवारा, नरसिंहपुर देवरी (सागर), व उदयपुरा (रायसेन) इन सभी तहसीलों के सभी ग्रामों को चीनी मिल गेट

पर गन्ना आपूर्ति हेतु आवद करने का प्रस्ताव है।

पिराई सत्र 2018-19

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

नकशा क्र.	ग्राम का नाम	सड़क द्वारा क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ड. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला / तहसील	तहसील :- तेन्दूखेडा	क्रम केन्द्र
					सत्र -2018-19						
					नौरा	जडी	भडी				
1	बिलगुवा	3	ट्रक/ट्रेक्टर	6	20.00	10.40	10.40	40.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को मिली गेट पर आवंट करने का प्रस्ताव है	
2	कुकवार	4	ट्रक/ट्रेक्टर	6	9.60	5.20	6.00	20.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
3	सूडामास	5	ट्रक/ट्रेक्टर	6	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
4	गुटारी	2	ट्रक/ट्रेक्टर	34	31.60	21.60	8.80	62.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
5	बिजौरा	3	ट्रक/ट्रेक्टर	34	18.00	4.40	7.60	30.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
6	जमुनिया	5	ट्रक/ट्रेक्टर	5	27.60	4.80	5.20	37.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
7	पीपरवानी	4	ट्रक/ट्रेक्टर	5	2.00	0.00	0.00	2.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
8	जुझारी	5	ट्रक/ट्रेक्टर	5	0.80	0.00	0.40	1.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
9	मानकपुर	3	ट्रक/ट्रेक्टर	35	8.40	0.00	2.40	10.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
10	बौसखेडा	2	ट्रक/ट्रेक्टर	35	3.60	0.00	0.40	4.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
11	खेरी खुर्द	5	ट्रक/ट्रेक्टर	29	8.80	4.80	0.00	13.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
12	खेरी	5	ट्रक/ट्रेक्टर	35	64.20	46.20	32.00	142.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
13	बरकुण्डा	4	ट्रक/ट्रेक्टर	29	30.40	6.00	8.80	45.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
14	मंहा	6	ट्रक/ट्रेक्टर	29	16.40	6.00	6.40	28.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
15	देवरी	8	ट्रक/ट्रेक्टर	38	18.40	4.40	6.00	28.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
16	पडरिया	6	ट्रक/ट्रेक्टर	32	41.20	13.20	10.00	64.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
17	रौसरा	7	ट्रक/ट्रेक्टर	39	1.60	0.00	3.00	4.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
18	सिगरिया	5	ट्रक/ट्रेक्टर	32	20.00	7.60	6.40	34.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
19	इगुवा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	7	2.20	1.80	1.00	5.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
20	देवरी (बिजुआ)	16	ट्रक/ट्रेक्टर	13	4.80	3.20	3.20	11.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	Asstt. Director Agric. Distt. Narsingh	
21	बिजुआ	15	ट्रक/ट्रेक्टर	13	37.40	15.60	5.20	58.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
22	लोलरी	12	ट्रक/ट्रेक्टर	39	7.60	0.80	3.20	11.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
23	बम्हरी	9	ट्रक/ट्रेक्टर	39	2.80	0.80	0.40	4.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
24	बिलहरा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	37	26.00	6.00	4.20	36.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
25	मुसई	20	ट्रक/ट्रेक्टर	36	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
26	चौकी	27	ट्रक/ट्रेक्टर	36	6.00	0.00	5.60	11.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		

पिराई सत्र 2018-19
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची
गन्ना फसल आन्वयित क्षेत्र हेतु सत्र -2018-19

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	सड़क द्वारा क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आन्वयित क्षेत्र हेतु सत्र -2018-19			योग गन्ना क्षेत्र हेतु सत्र में	जिला/तहसील	तहसील :- तेन्दूखेडा	क्रय केन्द्र
					नौरया	जडी	मडी				
27	नांदिया	5	ट्रक/ट्रेक्टर	33	12.80	0.00	6.40	19.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
28	खुमेरखेडा	6	ट्रक/ट्रेक्टर	33	10.80	4.00	2.00	16.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
29	धूपखेडा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	4	7.20	1.60	4.80	13.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
30	भरसिया	7	ट्रक/ट्रेक्टर	4	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
31	रम्पुरा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	4	59.20	28.00	40.00	127.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
32	हथनी	7	ट्रक/ट्रेक्टर	4	4.00	0.00	4.00	8.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
33	कन्हैरी	10	ट्रक/ट्रेक्टर	7	1.20	0.00	0.80	2.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
34	खमरिया	6	ट्रक/ट्रेक्टर	7	35.80	17.60	21.20	74.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
35	डोभी	8	ट्रक/ट्रेक्टर	28	90.00	56.40	18.00	164.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
36	चिलका	9	ट्रक/ट्रेक्टर	30	16.40	3.60	8.80	28.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
37	तेन्दूखेडा	10	ट्रक/ट्रेक्टर	9	0.40	1.20	3.20	4.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
38	सागौनी	10	ट्रक/ट्रेक्टर	3	10.00	4.80	1.20	16.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
39	धुधरी	7	ट्रक/ट्रेक्टर	4	19.60	6.40	7.60	33.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
40	महगुवा	12	ट्रक/ट्रेक्टर	42	22.40	10.80	4.80	38.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
41	कवौतिया	13	ट्रक/ट्रेक्टर	8	2.40	3.20	0.00	5.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
42	महुआखेडा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	1.20	2.40	0.00	3.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
43	दमोहिया	14	ट्रक/ट्रेक्टर	42	12.80	11.20	5.20	29.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
44	बधा	12	ट्रक/ट्रेक्टर	31	44.40	28.00	4.80	77.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
45	छत्तरपुर	15	ट्रक/ट्रेक्टर	27	35.60	45.60	5.20	86.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
46	इमलिया	12	ट्रक/ट्रेक्टर	26	62.00	32.00	7.20	101.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
47	नौरापुर	11	ट्रक/ट्रेक्टर	30	14.80	12.00	6.00	32.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
48	करहैया	14	ट्रक/ट्रेक्टर	25	13.60	9.20	2.40	25.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
49	बारहा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	25	30.80	34.80	3.60	69.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
50	झिरी	17	ट्रक/ट्रेक्टर	25	2.40	1.60	0.00	4.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
51	सिमरिया कलौ	17	ट्रक/ट्रेक्टर	24	6.00	1.20	1.20	8.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		

पृ. १. ५४

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	सड़क द्वारा क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ड. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	तहसील :- तेन्दूखेडा	क्रम केन्द्र
					सत्र -2018-19						
					नौरपा	जडी	मडी				
52	बिल्यारी	18	ट्रक/ट्रेक्टर	23	46.80	29.60	3.60	80.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है	
53	कडौली	14	ट्रक/ट्रेक्टर	24	17.20	8.80	2.40	28.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
54	भामा	21	ट्रक/ट्रेक्टर	20	4.80	20.20	5.20	30.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
55	बीकोर	25	ट्रक/ट्रेक्टर	21	21.00	15.20	1.60	37.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
56	खोजर टपरिया	17	ट्रक/ट्रेक्टर	9	26.80	10.00	14.40	51.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
57	खैरुआ टपरिया	15	ट्रक/ट्रेक्टर	9	9.20	6.40	1.60	17.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
58	हीरापुर	29	ट्रक/ट्रेक्टर	22	53.60	25.20	8.40	87.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
59	ग्वारी	18	ट्रक/ट्रेक्टर	18	18.60	5.60	6.20	30.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
60	सूखा (डिगसरा)	11	ट्रक/ट्रेक्टर	40	9.60	0.40	2.80	12.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
61	केसली	25	ट्रक/ट्रेक्टर	43	6.80	8.40	1.20	16.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
62	खैरी खुर्द	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	8.80	4.80	0.00	13.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
63	नेनवारा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	8.40	5.60	0.80	14.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
64	पदम	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	0.80	0.80	0.00	1.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
65	रुकवारा	27	ट्रक/ट्रेक्टर	43	13.60	9.20	1.20	24.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
66	चौवरपाठा	20	ट्रक/ट्रेक्टर	44	14.00	18.40	2.80	35.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
67	विष्णुपुर	23	ट्रक/ट्रेक्टर	44	7.60	4.00	0.00	11.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
68	भरखेडा	17	ट्रक/ट्रेक्टर	40	24.80	11.60	5.20	41.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
69	डिगसरा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	40	30.80	15.20	7.60	53.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
70	जगन्नाथपुर	21	ट्रक/ट्रेक्टर	36	2.40	0.00	2.20	4.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
71	महगुवां	12	ट्रक/ट्रेक्टर	36	4.00	2.00	1.00	7.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
72	भौरा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	13	24.80	14.80	16.00	55.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
73	खैरुआ	15	ट्रक/ट्रेक्टर	11	13.60	9.60	4.80	28.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
74	मदनपुर	14	ट्रक/ट्रेक्टर	11	6.00	1.60	0.80	8.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
75	करोवी	22	ट्रक/ट्रेक्टर	21	16.80	14.80	5.20	36.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
76	चरगुवां	16	ट्रक/ट्रेक्टर	36	8.00	1.60	0.40	10.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		

738

Director Agriculture
Distt. Narsimh

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में

सत्र -2018-19

तहसील :- तेन्दूखेडा

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	सड़क द्वारा क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ड. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला / तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
77	डिलवार	13	ट्रक/ट्रेक्टर	2	0.80	0.00	0.00	0.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
78	पीपरवानी	15	ट्रक/ट्रेक्टर	2	16.40	8.00	3.20	27.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
79	सुन्हेटी	17	ट्रक/ट्रेक्टर	13	17.20	8.00	8.80	34.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
80	सर्रा	8	ट्रक/ट्रेक्टर	12	19.60	4.40	19.60	43.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
81	इंश्वरपुर	13	ट्रक/ट्रेक्टर	16	39.20	29.60	10.80	79.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
82	काचरकोना	16	ट्रक/ट्रेक्टर	15	69.20	67.20	37.60	174.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
83	डीतावार	6	ट्रक/ट्रेक्टर	3	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
84	उमाहा	12	ट्रक/ट्रेक्टर	8	0.40	0.00	0.40	0.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
85	इमाडिरा	15	ट्रक/ट्रेक्टर	8	20.40	8.80	2.80	32.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
86	टेकापार	19	ट्रक/ट्रेक्टर	14	50.40	51.20	48.40	150.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
87	मनकापुर	20	ट्रक/ट्रेक्टर	19	26.00	10.80	6.00	42.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
88	इमसिरी	37	ट्रक/ट्रेक्टर	40	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
89	काशीखेरी	24	ट्रक/ट्रेक्टर	41	79.20	46.80	12.80	138.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
90	अडिया	42	ट्रक/ट्रेक्टर	43	33.20	21.40	28.80	83.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
91	इमलिया	12	ट्रक/ट्रेक्टर	26	15.20	9.20	3.20	27.60	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
92	बडियाघाट	39	ट्रक/ट्रेक्टर	44	12.40	7.20	9.60	29.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
93	बरेली	18	ट्रक/ट्रेक्टर	11	13.20	6.00	5.60	24.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
94	गंगई	20	ट्रक/ट्रेक्टर	69	24.40	13.60	4.80	42.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
95	जामुनपानी	14	ट्रक/ट्रेक्टर	3	0.80	0.40	0.00	1.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
96	बडिया	8	ट्रक/ट्रेक्टर	4	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
97	बूढा	7	ट्रक/ट्रेक्टर	3	11.00	2.40	2.00	15.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
98	महुआखेडा	20	ट्रक/ट्रेक्टर	3	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
99	ब्रम्हनी	19	ट्रक/ट्रेक्टर	1	13.00	1.40	0.00	14.40	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	

Director Agriculture
Asstt. Distt. Narasimh

पिराई सत्र 2018-19

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में

सत्र -2018-19

तहसील :- तेन्दूखेडा

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	सड़क द्वारा क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
100	कठई	20	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
101	आवारिया	12	ट्रक/ट्रेक्टर	36	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
102	खकरैडी	18	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
103	ऊसरपानी	13	ट्रक/ट्रेक्टर	10	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
104	जैतपुर	13	ट्रक/ट्रेक्टर	10	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
105	कोटखेडी	7	ट्रक/ट्रेक्टर	4	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
106	खैरुआ	15	ट्रक/ट्रेक्टर	11	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
107	मर्यावल	22	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
108	भौरपानी	15	ट्रक/ट्रेक्टर	3	0.40	0.80	0.00	1.20	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
109	आलनपुर	8	ट्रक/ट्रेक्टर	3	0.00	0.80	0.00	0.80	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
	कुल योग:-				1786.40	1020.20	594.80	3401.40		

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची
पिराई सत्र 2018-19

तहसील :- करेली

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	सड़क द्वारा क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आकारित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केंद्र
					नौरपा	जडी	मडी			
1	मिदली	22	ट्रक/ट्रेक्टर	15	4.00	3.20	0.00	7.20	नरसिंहपुर/करेली	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
2	हिरनपुर	27	ट्रक/ट्रेक्टर	14	22.40	9.20	11.20	42.80	नरसिंहपुर/करेली	
3	गुरसी	31	ट्रक/ट्रेक्टर	13	25.60	20.00	14.40	60.00	नरसिंहपुर/करेली	
4	गोकला	24	ट्रक/ट्रेक्टर	13	11.60	6.60	3.00	21.20	नरसिंहपुर/करेली	
5	कुडी	26	ट्रक/ट्रेक्टर	18	4.00	3.20	0.00	7.20	नरसिंहपुर/करेली	
6	सगौन घाट	24	ट्रक/ट्रेक्टर	18	0.40	5.60	0.00	6.00	नरसिंहपुर/करेली	
7	धरमपुरी	23	ट्रक/ट्रेक्टर	15	0.80	0.80	0.00	1.60	नरसिंहपुर/करेली	
8	बिकोर	25	ट्रक/ट्रेक्टर	18	2.80	6.00	1.60	10.40	नरसिंहपुर/करेली	
9	खला	15	ट्रक/ट्रेक्टर	4	21.00	19.80	5.80	46.60	नरसिंहपुर/करेली	
10	खेकसा	34	ट्रक/ट्रेक्टर	29	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/करेली	
11	बहनी	16	ट्रक/ट्रेक्टर	59	13.00	1.40	0.00	14.40	नरसिंहपुर/करेली	
12	राकई	42	ट्रक/ट्रेक्टर	30	125.40	83.60	49.80	258.80	नरसिंहपुर/करेली	
13	चौकी	12	ट्रक/ट्रेक्टर	3	6.00	0.00	5.60	11.60	नरसिंहपुर/करेली	
14	बंभी	32	ट्रक/ट्रेक्टर	2	12.80	4.00	1.20	18.00	नरसिंहपुर/करेली	
15	अमथनू	16	ट्रक/ट्रेक्टर	1	4.80	0.80	0.80	6.40	नरसिंहपुर/करेली	
16	अम्बिया	27	ट्रक/ट्रेक्टर	11	9.20	5.60	3.80	18.60	नरसिंहपुर/करेली	
17	जूना	19	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.80	0.00	0.00	0.80	नरसिंहपुर/करेली	
18	डामना	20	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/करेली	
19	सरसला	28	ट्रक/ट्रेक्टर	11	20.60	13.80	10.20	44.60	नरसिंहपुर/करेली	
20	सुआतला	15	ट्रक/ट्रेक्टर	3	15.40	6.00	3.60	25.00	नरसिंहपुर/करेली	
21	पलोहा	13	ट्रक/ट्रेक्टर	4	40.60	21.60	8.00	70.20	नरसिंहपुर/करेली	
22	कटगी	13	ट्रक/ट्रेक्टर	4	2.00	0.00	17.20	19.20	नरसिंहपुर/करेली	
23	पिडरई कलों	15	ट्रक/ट्रेक्टर	4	6.40	3.20	0.00	9.60	नरसिंहपुर/करेली	
24	पिडरई खुद	15	ट्रक/ट्रेक्टर	4	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/करेली	
25	खमरिया	19	ट्रक/ट्रेक्टर	5	29.60	18.40	6.40	54.40	नरसिंहपुर/करेली	
26	जमुनिया कलों	21	ट्रक/ट्रेक्टर	5	15.20	2.40	0.00	17.60	नरसिंहपुर/करेली	

4-94-8

पिराई सत्र 2018-19

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

नक्रा क्र.	ग्राम का नाम	सड़क द्वारा क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आरक्षित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	तहसील :- करौली	क्रम केन्द्र
					सत्र -2018-19						
					नौरा	जडी	सडी				
27	जमुनिया खुर्द	21	ट्रक/ट्रेक्टर	5	3.00	0.60	0.00	3.60	नरसिंहपुर/करौली	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवेद करने का प्रस्ताव है	
28	रीछई	17	ट्रक/ट्रेक्टर	6	11.60	7.40	3.60	22.60	नरसिंहपुर/करौली		
29	बीतली	15	ट्रक/ट्रेक्टर	8	22.40	18.40	9.20	50.00	नरसिंहपुर/करौली		
30	सगरी	16	ट्रक/ट्रेक्टर	8	10.00	4.80	3.20	18.00	नरसिंहपुर/करौली		
31	गुडवारा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	9	5.20	1.60	0.00	6.80	नरसिंहपुर/करौली		
32	कुहरोडा	18	ट्रक/ट्रेक्टर	7	27.40	13.80	8.80	50.00	नरसिंहपुर/करौली		
33	बिडुआ	18	ट्रक/ट्रेक्टर	9	37.40	15.60	5.20	58.20	नरसिंहपुर/करौली		
34	बागदरी	18	ट्रक/ट्रेक्टर	9	3.80	4.80	0.00	8.60	नरसिंहपुर/करौली		
35	रम्पुरा	25	ट्रक/ट्रेक्टर	10	22.40	13.80	10.00	46.20	नरसिंहपुर/करौली		
36	समानापुर	24	ट्रक/ट्रेक्टर	22	16.00	5.20	6.60	27.80	नरसिंहपुर/करौली		
37	बडहोरी	16	ट्रक/ट्रेक्टर	7	0.80	0.00	0.00	0.80	नरसिंहपुर/करौली		
38	मोथेगाँव	24	ट्रक/ट्रेक्टर	17	3.20	5.60	0.40	9.20	नरसिंहपुर/करौली		
39	मानेगाँव	23	ट्रक/ट्रेक्टर	17	4.80	11.20	1.60	17.60	नरसिंहपुर/करौली		
40	सारस डोव	14	ट्रक/ट्रेक्टर	6	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/करौली		
41	कोरकनी	32	ट्रक/ट्रेक्टर	12	12.80	7.20	8.00	28.00	नरसिंहपुर/करौली		
42	खोरी	37	ट्रक/ट्रेक्टर	38	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/करौली		
43	रहली	18	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/करौली		
44	कालोटा	14	ट्रक/ट्रेक्टर	8	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/करौली		
	कुल योग:-				575.20	345.20	199.20	1119.60	2, 8, 6		

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	तहसील :- गाडरवारा	क्रय केन्द्र
					सत्र -2018-19						
					नौरपा	जडी	मडी				
1	लिगा	28	ट्रक/ट्रेक्टर	144	32.00	34.00	35.20	101.20	नरसिंहपुर/गाडरवारा	सनी ग्रामों को मिला गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है	
2	बातली	40	ट्रक/ट्रेक्टर	146	44.20	28.40	25.80	98.40	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
3	ढोडा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	144	8.60	4.20	6.80	19.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
4	सगौरिया	38	ट्रक/ट्रेक्टर	139	72.00	56.80	70.20	199.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
5	कुसमी	36	ट्रक/ट्रेक्टर	139	43.20	30.00	55.40	128.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
6	बिलौनी	35	ट्रक/ट्रेक्टर	137	48.80	29.80	47.20	125.80	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
7	इमाक्षी	37	ट्रक/ट्रेक्टर	137	66.20	54.60	61.00	181.80	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
8	डुगारिया	39	ट्रक/ट्रेक्टर	141	151.00	128.00	88.40	367.40	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
9	हेमरा	35	ट्रक/ट्रेक्टर	142	29.40	16.20	42.20	87.80	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
10	भौराक्षिर	41	ट्रक/ट्रेक्टर	118	125.40	81.20	78.40	285.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
11	कोटिया	49	ट्रक/ट्रेक्टर	115	36.20	27.80	55.60	119.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा	साम्राज्य	
12	सडुवा	45	ट्रक/ट्रेक्टर	120	75.40	66.20	58.40	200.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	साम्राज्य	
13	रीठा	34	ट्रक/ट्रेक्टर	145	29.20	11.60	6.40	47.20	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
14	खामघाट	27	ट्रक/ट्रेक्टर	144	11.20	5.40	12.40	29.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
15	पटना	48	ट्रक/ट्रेक्टर	117	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
16	रायपानी	36	ट्रक/ट्रेक्टर	117	17.40	10.80	22.60	50.80	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
17	उमरा	37	ट्रक/ट्रेक्टर	148	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
18	छीतापार	31	ट्रक/ट्रेक्टर	145	62.40	38.60	51.20	152.20	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
19	बरमान खुर्द	17	ट्रक/ट्रेक्टर	143	16.40	27.20	5.60	49.20	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
20	नरवाड़ा	47	ट्रक/ट्रेक्टर	113	8.00	12.00	20.00	40.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	साम्राज्य	
21	खकारिया	32	ट्रक/ट्रेक्टर	112	70.40	75.00	23.20	168.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा	साम्राज्य	
22	भटैया	36	ट्रक/ट्रेक्टर	111	17.00	36.80	10.00	63.80	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
23	शंभरा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	111	14.60	17.20	16.80	48.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा		

1160.20

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					सत्र -2018-19					
					नौरथा	जडी	सडी			
24	प्रलोहा	41	ट्रक/ट्रेक्टर	108	71.40	52.40	51.20	175.00	नरसिंहपुर/गाडरवा	सभी ग्रामों को सिंगल रोड पर आवंटन करके आवासीय है
25	खैरकला	53	ट्रक/ट्रेक्टर	123	75.40	60.80	41.20	177.40	नरसिंहपुर/गाडरवा	
26	गडरबारा	50	ट्रक/ट्रेक्टर	118	5.40	3.00	6.20	14.60	नरसिंहपुर/गाडरवा	
27	दिनसका	48	ट्रक/ट्रेक्टर	111	10.80	24.60	17.60	53.00	नरसिंहपुर/गाडरवा	
28	निवारी	62	ट्रक/ट्रेक्टर	105	16.20	11.60	12.20	40.00	नरसिंहपुर/गाडरवा	
29	धौखेडा	55	ट्रक/ट्रेक्टर	108	30.40	21.20	10.80	62.40	नरसिंहपुर/गाडरवा	
30	रेवानगर	28	ट्रक/ट्रेक्टर	39	12.60	7.20	13.80	33.60	नरसिंहपुर/गाडरवा	
31	कामरुनगर	44	ट्रक/ट्रेक्टर	111	68.60	44.20	55.60	168.40	नरसिंहपुर/गाडरवा	
32	नीमच	45	ट्रक/ट्रेक्टर	113	10.20	54.00	58.00	113.20	नरसिंहपुर/गाडरवा	
33	वामचौप	45	ट्रक/ट्रेक्टर	108	25.40	14.80	12.00	52.20	नरसिंहपुर/गाडरवा	
34	कीरखेडा	42	ट्रक/ट्रेक्टर	135	3.60	14.80	4.40	22.80	नरसिंहपुर/गाडरवा	
35	भैसा	60	ट्रक/ट्रेक्टर	141	18.80	7.20	14.40	40.40	नरसिंहपुर/गाडरवा	
36	अदरबारा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	112	42.40	27.20	21.80	91.40	नरसिंहपुर/गाडरवा	
37	सूकरी	60	ट्रक/ट्रेक्टर	122	25.20	14.20	19.80	59.20	नरसिंहपुर/गाडरवा	
38	गुजरसिरिया	42	ट्रक/ट्रेक्टर	108	36.20	25.40	18.20	79.80	नरसिंहपुर/गाडरवा	
39	गुजर खेडा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	112	17.60	14.80	12.00	44.40	नरसिंहपुर/गाडरवा	
40	इमलिया	55	ट्रक/ट्रेक्टर	166	38.40	26.20	24.60	89.20	नरसिंहपुर/गाडरवा	
41	बिरहकला	46	ट्रक/ट्रेक्टर	126	33.40	21.80	5.60	60.80	नरसिंहपुर/गाडरवा	
42	गुमवे	52	ट्रक/ट्रेक्टर	128	5.20	3.60	3.80	12.60	नरसिंहपुर/गाडरवा	
43	अमोडा	44	ट्रक/ट्रेक्टर	109	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/गाडरवा	
44	बिभुआ	38	ट्रक/ट्रेक्टर	114	17.00	14.20	23.60	54.80	नरसिंहपुर/गाडरवा	
45	बमदस	45	ट्रक/ट्रेक्टर	112	31.20	19.40	24.60	75.20	नरसिंहपुर/गाडरवा	
46	धाडिया	42	ट्रक/ट्रेक्टर	129	48.60	38.20	51.80	138.60	नरसिंहपुर/गाडरवा	

पिराई सत्र 2018-19

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

नकशा क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	तहसील :- गाडरवारा	जिला/ तहसील	क्रय केन्द्र
					सत्र -2018-19						
					नौरपा	जडी	मडी				
47	देमुओं	48	ट्रक/ट्रेक्टर	128	16.20	11.60	15.20	43.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	सभी ग्रामों की	
48	सुमारी	49	ट्रक/ट्रेक्टर	128	24.20	12.80	15.20	52.20	नरसिंहपुर/गाडरवारा	सिद्ध गेट पर	
49	अजानसरा	42	ट्रक/ट्रेक्टर	135	28.20	13.60	18.60	60.40	नरसिंहपुर/गाडरवारा	आवृत्त करने का प्रस्ताव है	
50	सिंगाटा	33	ट्रक/ट्रेक्टर	126	21.20	9.60	12.80	43.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
51	खुरसुर	31	ट्रक/ट्रेक्टर	147	28.80	21.20	32.80	82.80	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
52	खुलरी	37	ट्रक/ट्रेक्टर	138	74.60	58.60	51.80	185.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा		
53	सिहोरा	44	ट्रक/ट्रेक्टर	134	54.60	32.80	30.20	117.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
54	दूधवारा	42	ट्रक/ट्रेक्टर	135	14.60	8.80	14.20	37.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
55	बर्गस	41	ट्रक/ट्रेक्टर	154	12.80	7.60	9.20	29.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
56	सिंगुओं	52	ट्रक/ट्रेक्टर	128	48.20	39.60	40.80	128.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
57	पुरना	55	ट्रक/ट्रेक्टर	119	15.40	12.20	12.80	40.40	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
58	धकसेला	44	ट्रक/ट्रेक्टर	116	24.80	17.60	18.80	61.20	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
59	उमरवाणी	35	ट्रक/ट्रेक्टर	146	11.20	4.80	5.60	21.60	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
60	सालिया	56	ट्रक/ट्रेक्टर	119	15.40	9.20	10.40	35.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
61	भूमियाधाना	42	ट्रक/ट्रेक्टर	116	5.60	3.80	2.00	11.40	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
62	पिठवेरा	44	ट्रक/ट्रेक्टर	116	6.00	4.80	3.60	14.40	नरसिंहपुर/गाडरवारा	डांगल	
	कुल योग:-				2024.80	2067.20	2112.00	6204.00			

कुल योग:- 6204.00

पिराई सत्र 2018-19
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील :- नरसिंहपुर

नवशा क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	व.ह. नं.	गन्ना फसल आरक्षित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					सत्र -2018-19	जडी	मडी			
1	खेमरगाँव	40	ट्रक/ट्रेक्टर	5	2.80	2.00	0.80	5.60	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	X
2	जोतखेडा	36	ट्रक/ट्रेक्टर	5	0.80	0.80	0.80	2.40	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
3	मुगाखेडा	37	ट्रक/ट्रेक्टर	6	10.40	5.00	4.40	19.80	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	
4	बंधी	32	ट्रक/ट्रेक्टर	8	16.20	7.00	6.40	29.60	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	
5	बिल्था	33	ट्रक/ट्रेक्टर	6	0.80	0.80	0.00	1.60	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	
6	हीरापुर	49	ट्रक/ट्रेक्टर	3	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	X
7	शिकमपुर	51	ट्रक/ट्रेक्टर	2	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	X
कुल योग:-					31.00	15.60	12.40	59.00		

(53-40)

पिराई सत्र 2018-19
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

सूचना क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.इ. नं.	गन्ना फसल आरक्षित क्षेत्र हेक्टयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टयर में	जिला/तहसील	तहसील :- देवरी	क्रय केन्द्र
					सत्र -2018-19						
					नौरगा	जडी	मडी				
1	किशनपुर	26	ट्रक/ट्रेक्टर	68	3.20	2.40	1.60	7.20	सागर/देवरी		
2	सिमरिया	33	ट्रक/ट्रेक्टर	61	12.00	4.40	1.60	18.00	सागर/देवरी		सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
3	मढापिपरिया	26	ट्रक/ट्रेक्टर	66	8.80	5.60	9.20	23.60	सागर/देवरी		
4	जमुनिया	27	ट्रक/ट्रेक्टर	68	0.40	0.80	0.40	1.60	सागर/देवरी		
5	खमरिया	26	ट्रक/ट्रेक्टर	68	3.60	1.20	3.40	8.20	सागर/देवरी		
6	महाराजपुर	28	ट्रक/ट्रेक्टर	60	8.00	1.60	2.40	12.00	सागर/देवरी		
7	सिंगपुर	22	ट्रक/ट्रेक्टर	67	1.00	1.20	1.00	3.20	सागर/देवरी		
8	तीपरवानी	23	ट्रक/ट्रेक्टर	67	13.60	30.00	9.20	52.80	सागर/देवरी		
9	डोभी	35	ट्रक/ट्रेक्टर	62	0.80	0.00	1.20	2.00	सागर/देवरी		
10	रसेना	40	ट्रक/ट्रेक्टर	64	0.80	0.00	0.00	0.80	सागर/देवरी		
11	पटना	33	ट्रक/ट्रेक्टर	50	0.00	0.00	0.00	0.00	सागर/देवरी		
12	सरईवन	49	ट्रक/ट्रेक्टर	65	3.20	4.40	0.80	8.40	सागर/देवरी		
13	खेरी	41	ट्रक/ट्रेक्टर	61	1.40	1.20	1.00	3.60	सागर/देवरी		
14	केवलारी	39	ट्रक/ट्रेक्टर	66	3.00	2.20	1.00	6.20	सागर/देवरी		
15	खेरुआ	42	ट्रक/ट्रेक्टर	63	1.40	1.80	0.80	4.00	सागर/देवरी		
16	बिजौरा	38	ट्रक/ट्रेक्टर	29	1.60	1.40	1.20	4.20	सागर/देवरी		
17	छिदली	37	ट्रक/ट्रेक्टर	70	1.80	2.00	1.80	5.60	सागर/देवरी		
18	श्रीनगर	31	ट्रक/ट्रेक्टर	61	0.80	0.60	0.60	2.00	सागर/देवरी		
19	सुनाह	37	ट्रक/ट्रेक्टर	65	2.00	1.80	0.60	4.40	सागर/देवरी		
20	सलैया	38	ट्रक/ट्रेक्टर	25	2.00	1.80	3.00	6.80	सागर/देवरी		
21	पाठक पिपरिया	47	ट्रक/ट्रेक्टर	26	3.60	0.40	0.80	4.80	सागर/देवरी		
22	चिराचिटा	43	ट्रक/ट्रेक्टर	30	1.00	1.80	1.00	3.80	सागर/देवरी		
23	वाणी	36	ट्रक/ट्रेक्टर	63	0.00	0.00	0.00	0.00	सागर/देवरी		
24	देगुवा	41	ट्रक/ट्रेक्टर	25	26.00	15.60	14.80	56.40	सागर/देवरी		
25	पथरिया	40	ट्रक/ट्रेक्टर	63	0.00	0.00	0.00	0.00	सागर/देवरी		
26	बिछुआ	35	ट्रक/ट्रेक्टर	63	0.40	0.00	0.80	1.20	सागर/देवरी		
27	रीछई	31	ट्रक/ट्रेक्टर	28	0.80	0.60	0.60	2.00	सागर/देवरी		

पिराई सत्र 2018-19
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील :- देवरी

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.इ. नं.	गन्ना फसल आरक्षित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रम केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
28	खकरिया	28	ट्रक/ट्रेक्टर	36	1.60	0.80	1.60	4.00	सागर/देवरी	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
29	गोटगाँव	27	ट्रक/ट्रेक्टर	25	0.80	0.40	0.00	1.20	सागर/देवरी	
30	पनारी	27	ट्रक/ट्रेक्टर	61	3.60	2.00	0.00	5.60	सागर/देवरी	
31	नदी पिपरिया	48	ट्रक/ट्रेक्टर	36	0.80	0.40	4.40	5.60	सागर/देवरी	
32	वैशाला	46	ट्रक/ट्रेक्टर	63	0.00	0.00	0.00	0.00	सागर/देवरी	
33	सागरा	35	ट्रक/ट्रेक्टर	25	1.20	0.00	1.60	2.80	सागर/देवरी	
34	देवरी (बख्त)	46	ट्रक/ट्रेक्टर	22	2.00	3.00	1.00	6.00	सागर/देवरी	
35	ऊटकटा	55	ट्रक/ट्रेक्टर	35	0.80	0.60	0.20	1.60	सागर/देवरी	
36	मुडेरी	55	ट्रक/ट्रेक्टर	43	12.00	11.00	6.20	29.20	सागर/देवरी	
37	देवरी कला	42	ट्रक/ट्रेक्टर	71	1.20	0.00	0.00	1.20	सागर/देवरी	
		कुल योग:-			125.20	101.00	73.80	300.00		

57.25

पिराई सत्र 2018-19

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

गन्ना क्षेत्र फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में

सत्र -2018-19

रहसील :- उदयपुरा

नक्शा क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ड. नं.	सत्र -2018-19			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला / तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरथा	जडी	मडी			
1	खनरिया	19	ट्रक/ट्रेक्टर	66	4.80	3.20	1.60	9.60	रायसेन/उदयपुरा	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवंट करने का प्रस्ताव है
2	पाणरा	42	ट्रक/ट्रेक्टर	53	0.00	0.00	0.00	0.00	रायसेन/उदयपुरा	
3	इटुवा	26	ट्रक/ट्रेक्टर	67	8.80	4.00	1.20	14.00	रायसेन/उदयपुरा	
4	खापरखेडा	23	ट्रक/ट्रेक्टर	67	8.20	5.20	0.40	13.80	रायसेन/उदयपुरा	
5	करहैया	23	ट्रक/ट्रेक्टर	68	4.80	1.60	1.60	8.00	रायसेन/उदयपुरा	
6	गुमारपुर	25	ट्रक/ट्रेक्टर	68	6.60	3.20	1.80	11.60	रायसेन/उदयपुरा	
7	आलीवाडा	26	ट्रक/ट्रेक्टर	60	6.40	1.60	2.80	10.80	रायसेन/उदयपुरा	
8	सहजपुरी	26	ट्रक/ट्रेक्टर	68	7.60	4.00	2.40	14.00	रायसेन/उदयपुरा	
9	खिरैटी	27	ट्रक/ट्रेक्टर	59	21.60	10.00	8.80	40.40	रायसेन/उदयपुरा	
10	पडरई	23	ट्रक/ट्रेक्टर	69	5.20	2.00	2.40	9.60	रायसेन/उदयपुरा	
11	महगुर्वा	27	ट्रक/ट्रेक्टर	65	4.00	2.00	1.20	7.20	रायसेन/उदयपुरा	
12	डोंगरा	27	ट्रक/ट्रेक्टर	65	5.20	1.60	0.40	7.20	रायसेन/उदयपुरा	
13	डोंगरिया	27	ट्रक/ट्रेक्टर	62	2.40	1.20	0.00	3.60	रायसेन/उदयपुरा	
14	चीखली	21	ट्रक/ट्रेक्टर	66	4.40	2.40	1.60	8.40	रायसेन/उदयपुरा	
15	वरखदा	25	ट्रक/ट्रेक्टर	63	4.00	1.60	1.00	6.60	रायसेन/उदयपुरा	
16	सिमरिया	26	ट्रक/ट्रेक्टर	65	4.80	3.20	1.60	9.60	रायसेन/उदयपुरा	
17	स्वामी खैरुआ	33	ट्रक/ट्रेक्टर	69	4.40	1.60	1.20	7.20	रायसेन/उदयपुरा	
18	बूढा	32	ट्रक/ट्रेक्टर	69	11.00	2.40	2.00	15.40	रायसेन/उदयपुरा	
19	सडरई	31	ट्रक/ट्रेक्टर	69	0.40	0.00	0.00	0.40	रायसेन/उदयपुरा	
20	नूरजहांगज	26	ट्रक/ट्रेक्टर	59	2.40	2.00	2.60	7.00	रायसेन/उदयपुरा	
21	थाला	43	ट्रक/ट्रेक्टर	53	7.60	2.40	0.00	10.00	रायसेन/उदयपुरा	
22	दिगावन	43	ट्रक/ट्रेक्टर	54	4.40	1.60	2.00	8.00	रायसेन/उदयपुरा	
23	जसुनिया	19	ट्रक/ट्रेक्टर	65	0.00	0.00	0.00	0.00	रायसेन/उदयपुरा	
24	बडगुर्वा	26	ट्रक/ट्रेक्टर	66	4.80	0.00	1.60	6.40	रायसेन/उदयपुरा	
25	विलागुवा	27	ट्रक/ट्रेक्टर	62	0.00	0.00	0.00	0.00	रायसेन/उदयपुरा	

वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिलगुवा नरसिंहपुर

पिराई सत्र 2018-19

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील :- उदयपुरा

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र हेक्टेयर में			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरस	जडी	मडी			
26	गोलावन	37	ट्रक/ट्रेक्टर	58	0.00	0.00	0.00	0.00	रायसेन/उदयपुरा	सभी ग्रामों को मिल गेट पर आवद करने का प्रस्ताव है
27	रोडा	42	ट्रक/ट्रेक्टर	52	21.60	8.80	7.20	37.60	रायसेन/उदयपुरा	
28	प्रपलई	38	ट्रक/ट्रेक्टर	52	0.00	0.00	0.00	0.00	रायसेन/उदयपुरा	
29	पतई	48	ट्रक/ट्रेक्टर	45	7.60	2.40	1.20	11.20	रायसेन/उदयपुरा	
30	कोडा	19	ट्रक/ट्रेक्टर	67	1.60	1.20	5.20	8.00	रायसेन/उदयपुरा	
31	बम्हरी	36	ट्रक/ट्रेक्टर	52	2.80	0.80	0.40	4.00	रायसेन/उदयपुरा	
	कुल योग :-				167.40	70.00	52.20	289.60		

20.9

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-महाकौशल-2018-19-52

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर लि0, बचई, जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	118	7677.12
2	नरसिंहपुर/गोटेगाँव	फैक्ट्री गेट	95	4972.53
3	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट	05	98.63
		कुल	218	12748.28

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

गन्ना आयुक्त.

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
बचई (नरसिंहपुर)

गन्ना क्षेत्र रक्षण (2018-19) हेतु तहसीलवार ग्रामों की संख्या व रकवा :-

तहसील का नाम (1)	ग्राम संख्या (2)	रकवा (हेक्टेयर में) (3)
नरसिंहपुर	119	7728.63
गोटेगाँव	104	5272.73
करेली	05	98.61
योग . .	228	13099.97

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (कि.मी.)	आवृत्तित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.के.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
1	0101	बचई	26	3	5.51	6.57	6.96	19.04	952.04	9.52	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	0102	करहैया	26	3	78.42	93.54	99.04	271.01	13550.40	135.50	"	"
3	0103	बबरिया	26	3	29.19	34.81	36.86	100.86	5043.00	50.43	"	"
4	0104	मेहमदपुर	26	4	15.47	18.45	19.54	53.47	2673.27	26.73	"	"
5	0105	अगरिया	26	4	18.91	22.55	23.88	65.34	3266.92	32.67	"	"
6	0106	कन्हारपानी	26	5	27.16	32.40	34.30	93.86	4693.15	46.93	"	"
7	0107	मुरली पौडी	24	5	35.01	41.76	44.21	120.97	6048.68	60.48	"	"
8	0108	घोराखंडा	25	5	68.17	81.31	86.09	235.56	11777.98	117.78	"	"
9	0109	सलैया	25	5	13.77	16.43	17.39	47.59	2379.49	23.79	"	"
10	0110	डागीढाना	24	6	43.24	51.58	54.61	149.43	7471.25	74.71	"	"
11	0111	बागपौडी	24	12	45.49	54.26	57.45	157.20	7860.11	78.60	"	"
12	0112	मुडिया	24	8	36.97	44.09	46.69	127.75	6387.56	63.88	"	"
13	0113	हनुमंत पौडी	24	8	7.99	9.53	10.10	27.62	1381.13	13.81	"	"
14	0114	बैहर पौडी	24	8	20.59	24.56	26.01	71.17	3556.26	35.58	"	"
15	0115	डोकरघाट	14	12	20.30	24.22	25.64	70.17	3508.28	35.08	"	"
16	0116	भरवारा	14	13	17.38	20.73	21.95	60.07	3003.62	30.04	"	"
17	0117	खमतरा	20	14	52.88	63.08	66.79	182.75	9137.62	91.38	"	"
18	0118	पांसी	14	15	31.49	37.56	39.77	108.81	5440.40	54.40	"	"
19	0119	सेमरा (पांजरा)	15	16	5.68	6.77	7.17	19.63	981.30	9.81	"	"
20	0120	चीलाचौद खुई	27	4	71.15	84.87	89.86	245.87	12293.62	122.94	"	"
21	0121	चीलाचौद कला	23	10	42.43	50.61	53.58	146.62	7331.07	73.31	"	"
22	0122	समानपुर	27	10	25.18	30.03	31.80	87.01	4350.61	43.51	"	"
23	0123	सावलरानी	27	12	27.85	33.21	35.17	96.23	4811.39	48.11	"	"
24	0124	धचई वडगुवा	27	13	32.45	38.71	40.99	112.15	5607.40	56.07	"	"



A 1

महाकौशल युगर एण्ड पावर इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आवृत्तित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरसा	जड़ी	सड़ी					
25	0125	झार-खुरपा	27	13	70.31	83.86	86.80	242.97	12148.55	121.49	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
26	0126	नवलगांव	23	13	58.76	70.09	74.21	203.06	10153.05	101.53	"	"
27	0127	रानी पिपरिया	20	13	74.97	89.43	94.69	259.09	12954.31	129.54	"	"
28	0128	सुरज गांव	15	15	20.84	24.86	26.32	72.02	3600.93	36.01	"	"
29	0129	मगरथा (रोसरा)	20	17	24.88	29.68	31.43	85.99	4299.41	42.99	"	"
30	0130	टापरिया (घवई)	27	17	37.07	44.21	46.81	128.09	6404.63	64.05	"	"
31	0131	झगराई	20	17	11.85	14.13	14.96	40.93	2046.70	20.47	"	"
32	0132	जरजोला	16	18	9.52	11.35	12.02	32.89	1644.43	16.44	"	"
33	0133	गंगई	27	19	15.85	18.91	20.02	54.78	2739.09	27.39	"	"
34	0134	बहोरीपार	25	15	45.37	54.12	57.30	156.79	7839.39	78.39	"	"
35	0135	संग्रामपुर	14	15	3.11	3.71	3.93	10.75	537.58	5.38	"	"
36	0136	सहजपुरा	25	18	31.78	37.91	40.14	109.83	5491.60	54.92	"	"
37	0138	श्यामखंडा	25	22	5.04	6.01	6.36	17.41	870.37	8.70	"	"
38	0140	लुरेहा	25	24	13.19	15.74	16.66	45.59	2279.53	22.80	"	"
39	0154	खुरपा (बडा)	23	10	95.36	113.75	120.44	329.54	16477.22	164.77	"	"
40	0155	नयाखंडा	27	15	15.18	18.11	19.17	52.47	2623.29	26.23	"	"
41	0156	बारुरवा	27	15	34.07	40.64	43.03	117.73	5886.55	58.87	"	"
42	0158	बहोरीपार (घुघट)	23	17	14.03	16.74	17.72	48.49	2424.59	24.25	"	"
43	0160	सिमरिया (जरजोला)	16	18	3.22	3.85	4.07	11.14	557.08	5.57	"	"
44	0161	घुघट	20	20	28.81	34.37	36.39	99.57	4978.40	49.78	"	"
45	0162	खैरी	6	22	4.30	5.13	5.44	14.87	743.59	7.44	"	"
46	0165	सिंहपुर	21	25	26.95	32.15	34.04	93.13	4656.58	46.57	"	"
47	0166	डेवारा	16	18	3.56	4.24	4.49	12.29	614.38	6.14	"	"
48	0167	सिमरिया (सिंहपुर क्षेत्र)	21	20	11.84	13.88	14.70	40.23	2011.35	20.11	"	"
49	0168	नदवारा	16	24	6.28	7.49	7.93	21.70	1084.91	10.85	"	"



महाकौशल युगर एण्ड पावर इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामी की सूची सत्र 2018-19
तहसील - नरसिंहपुर


क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (कि.मी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	क्रय कोष्ठ का नाम
					नौरपा	जड़ी	सड़ी					
50	0169	कुल्हडी	0	24	19.61	23.39	24.77	67.78	3388.82	33.89	ट्रेक्टर ड्राली	फैक्ट्री गेट
51	0177	बहादुरपुर	25	15	3.15	3.75	3.97	10.87	543.67	5.44	"	"
52	0201	मुंगवानी	35	15	16.07	19.17	20.30	55.54	2776.88	27.77	"	"
53	0202	संभारदेव	34	8	5.61	6.99	7.08	19.38	969.11	9.69	"	"
54	0203	बकोरी	34	10	6.18	7.37	7.81	21.36	1067.84	10.68	"	"
55	0204	सबपिरिया	34	10	23.30	27.79	29.43	80.53	4026.36	40.26	"	"
56	0205	केकडा	34	10	7.19	8.57	9.08	24.84	1242.16	12.42	"	"
57	0206	देवनगर	34	12	44.74	53.36	56.50	154.59	7729.68	77.30	"	"
58	0207	मालवानी	34	12	3.61	4.30	4.55	12.46	622.91	6.23	"	"
59	0208	सिहोरा	0	5	9.59	11.44	12.12	33.16	1657.84	16.58	"	"
60	0209	सलेया (देवनगर)	34	13	8.92	10.64	11.27	30.84	1542.04	15.42	"	"
61	0210	पिंडरई (पस्ताना)	33	15	13.42	16.01	16.95	46.37	2318.54	23.19	"	"
62	0211	पस्ताना	35	15	21.64	25.82	27.34	74.80	3739.89	37.40	"	"
63	0212	करहैया (देवनगर)	34	15	8.46	10.09	10.68	29.23	1461.58	14.62	"	"
64	0213	टोला (मुंगवानी)	0	17	4.02	4.80	5.08	13.90	694.83	6.95	"	"
65	0214	पटनिया	35	18	6.82	8.13	8.61	23.55	1177.55	11.78	"	"
66	0216	मुडरई कला	33	18	10.80	12.88	13.64	37.33	1866.29	18.66	"	"
67	0218	गडरिया	36	18	1.22	1.46	1.54	4.22	210.89	2.11	"	"
68	0220	खमरिया (देवनगर)	35	22	4.88	5.82	6.17	16.87	843.55	8.44	"	"
69	0221	विछुआ	0	38	2.26	2.69	2.85	7.80	390.08	3.90	"	"
70	0222	पावा	0	20	1.69	2.02	2.14	5.85	292.56	2.93	"	"
71	0223	मोती	36	22	10.77	12.84	13.60	37.20	1860.19	18.60	"	"
72	0226	नारिया	31	23	4.33	5.17	5.47	14.97	748.47	7.48	"	"
73	0227	डुबारा	37	23	14.82	17.80	18.94	51.36	2578.19	25.78	"	"
74	0229	कठोतिया (मुंगवानी)	22	25	1.95	2.32	2.46	6.73	336.44	3.36	"	"



17

महाकौशल युगर एण्ड पावर इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गान्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गान्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गान्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
75	0237	लवरी	0	26	6.55	7.81	8.27	22.62	1131.23	11.31	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
76	0238	सिधारी	0	26	5.97	7.12	7.54	20.63	1031.27	10.31	"	"
77	0240	गोवावरी	22	27	13.45	16.04	16.98	46.47	2323.41	23.23	"	"
78	0243	पिपरिया	33	30	5.73	6.83	7.23	19.80	989.83	9.90	ट्रक	"
79	0245	गोरखपुर	29	35	29.68	35.40	37.48	102.57	5128.33	51.28	"	"
80	0247	कोदारस कला	0	25	1.76	2.10	2.23	6.10	304.75	3.05	"	"
81	0253	पाला मुडरई	32	47	7.80	9.30	9.85	26.94	1347.00	13.47	"	"
82	0254	उसरी	28	50	7.83	9.34	9.89	27.06	1353.09	13.53	"	"
83	0267	कछरा	0	19	3.89	4.65	4.92	13.46	672.89	6.73	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
84	0302	लोकीपार	21	32	12.28	14.64	15.50	42.42	2121.06	21.21	ट्रक	"
85	0307	रमखिरिया	0	25	1.06	1.26	1.34	3.66	182.85	1.83	"	"
86	0308	बरखेडा	21	29	4.83	5.76	6.09	16.68	833.80	8.34	ट्रेक्टर ट्राली	"
87	0313	कल्याणपुर	22	32	52.64	62.78	66.48	181.90	9094.96	90.95	ट्रक	"
88	0314	भैसापाला	22	32	14.47	17.26	18.27	50.00	2500.17	25.00	"	"
89	0315	भूत-पिपरिया	22	35	26.59	31.72	33.58	91.89	4594.41	45.94	"	"
90	0318	नरसिंहपुर	17	16	13.12	15.65	16.57	45.35	2267.34	22.67	ट्रेक्टर ट्राली	"
91	0321	पाला (भैसा)	0	33	8.47	10.10	10.69	29.26	1462.80	14.63	"	"
92	0407	तिदनी (बम्होरी)	9	35	0.87	1.04	1.10	3.00	149.94	1.50	ट्रक	"
93	0414	सुपला	9	25	23.85	28.45	30.12	82.43	4121.44	41.21	ट्रेक्टर ट्राली	"
94	0415	धमना	10	28	20.66	24.64	26.09	71.38	3569.23	35.69	"	"
95	0416	सगोनी (सुपला)	8	28	13.12	15.65	16.57	45.35	2267.34	22.67	"	"
96	0417	डुडी-पिडरई	9	29	4.68	5.58	5.91	16.16	808.20	8.08	"	"
97	0418	रानी-पिडरई	0	29	5.93	7.07	7.48	20.48	1023.96	10.24	"	"
98	0419	खापा	10	30	20.61	24.59	26.04	71.24	3561.92	35.62	"	"
99	0420	सगोनी लकडहार	11	30	3.17	3.78	4.01	10.97	548.55	5.49	"	"



AMM

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टयर में)			कुल योग (हेक्टयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					तोसपा.	जड़ी	मड़ी					
100	0421	नयागांव (धमना)	11	30	51.63	61.58	65.20	178.41	8920.64	89.21	ट्रक	फैक्ट्री गेट
101	0422	बन्होरी (तिदनी)	6	32	9.63	11.49	12.16	33.28	1663.94	16.64	ट्रक	फैक्ट्री गेट
102	0424	मचवारा	11	32	10.79	12.87	13.62	37.28	1863.85	18.64	"	"
103	0425	घाट-पिडरई	13	34	2.55	3.05	3.23	8.83	441.28	4.41	"	"
104	0427	मुराघ	6	36	6.79	8.10	8.57	23.45	1172.68	11.73	"	"
105	0428	महादेव-पिपरिया	5	38	2.36	2.82	2.98	8.17	408.37	4.08	"	"
106	0429	करहेया (नर्मदा)	6	38	1.95	2.32	2.46	6.73	336.44	3.36	"	"
107	0431	गुटोरी	13	32	2.22	2.65	2.81	7.68	383.99	3.84	"	"
108	0432	बिरी	13	32	10.80	12.88	13.64	37.33	1866.29	18.66	"	"
109	0433	अडिया	15	22	8.87	10.58	11.20	30.65	1532.28	15.32	ट्रेक्टर ट्राली	"
110	0434	डोगरगांव	15	32	51.89	61.89	65.53	179.31	8965.75	89.66	ट्रक	"
111	0435	खमरिया (जरजोला)	16	21	24.28	28.96	30.66	83.89	4194.58	41.95	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
112	0436	मंढका	28	0	4.30	5.13	5.44	14.87	743.59	7.44	ट्रक	फैक्ट्री गेट
113	0437	घुघरी	4	0	3.49	4.16	4.40	12.04	602.19	6.02	ट्रक	फैक्ट्री गेट
114	0438	करहेयाखेडा	15	0	11.76	14.03	14.85	40.64	2032.07	20.32	ट्रेक्टर ट्राली	"
115	0439	सालीवाडा	0	25	0.85	1.01	1.07	2.93	146.28	1.46	"	"
116	0517	मल्लाह-पिपरिया	12	35	16.85	20.10	21.28	58.22	2910.97	29.11	ट्रक	"
117	0528	चंद्रपुरा	4	40	5.83	6.95	7.36	20.14	1006.89	10.07	"	"
118	0532	गुडरियाखेडा	4	44	3.81	4.54	4.81	13.17	658.26	6.58	"	"
119	0539	गुडवारा	0	45	3.06	3.65	3.87	10.58	529.05	5.29	"	"
योग -					2236.48	2667.61	2824.53	7728.63	386431.63	3864.32		

C.T.C

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बघई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - गोटेगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	झड़ी					
1	0137	शेड-बेलखेडी	30	20	98.05	116.95	123.83	338.83	16941.66	168.42	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	0139	खानापुर	30	23	3.06	3.65	3.87	10.58	529.05	5.29	"	"
3	0141	शेड-नगरधा	30	24	127.29	151.83	160.76	439.89	21994.42	219.94	"	"
4	0142	सुरवारी	11	25	52.33	62.41	66.09	180.83	9041.32	90.41	"	"
5	0143	रीछा	31	25	22.55	26.89	28.48	77.92	3895.92	38.96	"	"
6	0144	बेदू	29	27	62.73	74.83	79.23	216.79	10839.35	108.39	"	"
7	0145	छीताघाट	30	27	2.51	3.00	3.17	8.68	433.96	4.34	"	"
8	0146	नयागांव (रीछा)	31	27	4.44	5.30	5.81	15.36	767.97	7.68	"	"
9	0147	बरहटा	31	28	62.86	74.98	79.39	217.23	10861.29	108.61	"	"
10	0148	वावली	29	28	19.34	23.07	24.43	66.85	3342.50	33.42	"	"
11	0149	चिरचिटा	30	28	8.93	10.65	11.28	30.87	1543.25	15.43	"	"
12	0150	नोनिया (बरहटा)	32	30	12.23	14.59	15.45	42.27	2113.75	21.14	"	"
13	0151	दोन (कछुआ)	29	32	24.41	29.12	30.83	84.35	4217.74	42.18	"	"
14	0152	रोसरा	29	32	3.17	3.79	4.01	10.97	548.55	5.49	"	"
15	0153	जामुनिस (बरहटा)	0	34	3.05	4.71	4.99	13.65	682.64	6.83	"	"
16	0173	रोसरी	0	35	8.13	9.69	10.26	28.08	1404.29	14.04	"	"
17	0217	गाडारवाडा खेडा	33	18	5.48	6.54	6.92	18.94	947.16	9.47	"	"
18	0224	शेड-पिपरिया	0	22	0.71	0.84	0.89	2.44	121.90	1.22	"	"
19	0225	सिलवानी	0	23	0.57	0.68	0.72	1.97	98.74	0.99	"	"
20	0235	सिवनी (पटी)	32	40	2.30	2.74	2.90	7.95	397.39	3.97	ट्रक	"
21	0236	अधियारी	33	26	4.32	5.15	5.45	14.92	746.03	7.46	ट्रेक्टर ट्राली	"
22	0259	सिवनी (बंधा)	0	40	2.96	3.53	3.74	10.24	511.98	5.12	ट्रक	"
23	0260	बंधा	0	40	12.70	15.15	16.04	43.88	2194.20	21.94	ट्रेक्टर ट्राली	"
24	0498	Kachhua	0	32	0.99	1.18	1.25	3.41	170.66	1.71	ट्रेक्टर ट्राली	"
25	0501	वासनपानी	11	27	101.85	121.49	128.63	351.97	17598.70	175.99	ट्रेक्टर ट्राली	"

0.025.2.2



महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - गोटगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आवृत्तित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.से.)	परिवहन का साधन	ग्राम केन्द्र का नाम
					झोरा	जड़ी	सड़ी					
26	0502	बोहार	10	30	55.66	66.39	70.30	192.36	9617.91	96.18	ट्रेक्टर ट्राली	कैक्ट्री गेट
27	0503	कचरापुर (ठेनी)	8	38	6.53	7.78	8.24	22.55	1127.58	11.28	ट्रक	"
28	0504	मानेगांव	14	31	25.72	30.68	32.49	88.89	4444.47	44.44	"	"
29	0505	कापखेडा	30	33	4.47	5.34	5.65	15.46	772.85	7.73	"	"
30	0506	छिदामानी	9	33	9.14	10.91	11.55	31.60	1579.82	15.80	"	"
31	0507	करकबेल	9	34	24.30	28.98	30.69	83.96	4198.24	41.98	"	"
32	0508	सुगली	13	34	32.18	38.38	40.84	111.20	5559.86	55.60	"	"
33	0509	मेख	12	34	28.26	33.70	35.68	97.64	4882.10	48.82	"	"
34	0510	तन्हेगांव	8	34	5.42	6.46	6.84	18.72	936.19	9.36	"	"
35	0511	सुक्का	14	34	1.40	1.67	1.76	4.83	241.38	2.41	"	"
36	0512	लोहारी	10	34	5.04	6.01	6.36	17.41	870.37	8.70	"	"
37	0513	ठेनी	8	35	20.99	25.03	26.51	72.53	3626.53	36.27	"	"
38	0514	बारगी	12	35	2.74	3.27	3.46	9.46	472.97	4.73	"	"
39	0515	सुशरान-पिपरिया	9	35	9.50	11.33	11.99	32.82	1640.77	16.41	"	"
40	0516	बेलखेडा	0	35	20.57	24.54	25.98	71.09	3554.60	35.55	"	"
41	0518	मलहऊआ	0	37	5.76	6.87	7.27	19.89	994.70	9.95	"	"
42	0519	टपरिया (ठेनी)	9	37	11.37	13.56	14.36	39.30	1985.03	19.65	"	"
43	0520	अकोला	7	37	5.79	6.91	7.32	20.02	1000.80	10.01	"	"
44	0521	बड़गुआ करकबेल	0	37	3.52	4.20	4.45	12.17	608.28	6.08	"	"
45	0522	देवरी	9	38	20.73	24.72	26.18	71.63	3581.42	35.81	"	"
46	0523	बरुनी	13	39	16.85	20.10	21.28	58.22	2910.97	29.11	"	"
47	0524	जटलापुर	9	40	5.91	7.04	7.46	20.41	1020.30	10.20	"	"
48	0525	सिवनी (सुगली)	13	40	1.54	1.83	1.94	5.31	265.74	2.66	"	"
49	0526	सगरा	9	40	6.88	8.20	8.69	23.77	1188.53	11.89	"	"
50	0527	बडेमाखेडा	2	52	31.75	37.87	40.10	109.71	5485.90	54.86	"	"

1136.41



महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - गोटगाँव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आव्यक्तित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)			कुल योग (हेक्टर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे. में)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मही					
101	0649	प्रहरिया	4	45	2.41	2.87	3.04	8.31	415.68	4.16	ट्रक	कैक्टरी गेट
102	0651	बंजई	17	45	19.24	15.79	16.72	45.76	2288.06	22.88		अमर
103	0652	अरिया	25	45	2.01	2.40	2.54	6.95	347.42	3.47		अमर
104	0653	गर्ग	17	47	2.97	2.47	2.61	7.14	897.17	3.57		अमर
105	0654	सिमरिया (बलई चकोरी)	23	47	2.02	2.41	2.55	6.97	348.63	3.48		अमर
106	0655	बगाचपुर	26	48	13.04	15.55	16.47	45.05	2252.71	22.53		अमर
107	0656	खमरिया (बासीघाट)	0	48	3.19	3.80	4.02	11.00	549.77	5.50		अमर
108	0658	सुसीकरा	17	48	3.24	3.86	4.09	11.19	559.52	5.60		अमर
109	0659	कुकलाह	24	48	2.97	2.47	2.61	7.14	897.17	3.57		अमर
110	0661	बहरोडा	25	48	3.22	3.85	4.07	11.14	557.08	5.57		अमर
111	0664	मालीघाडा	22	49	7.99	9.53	10.10	27.62	1384.43	13.81		अमर
112	0665	सारीकावा	22	49	5.35	6.38	6.75	18.48	924.00	9.24		अमर
113	0666	बंडोल	22	49	1.95	2.33	2.47	6.75	337.66	3.38		अमर
114	0668	सोहवा टमरिया	0	50	2.74	3.27	3.46	9.46	472.97	4.73		अमर
115	0673	सिमका	19	50	4.68	5.58	5.91	16.16	808.20	8.08		अमर
116	0674	पोनिया (कुकलाह)	32	50	3.15	3.75	3.97	10.87	543.67	5.44		अमर
117	0675	गडरी	24	51	4.71	5.62	5.95	16.29	814.29	8.14		अमर
118	0676	सहजपुरा	15	52	3.89	4.65	4.92	13.46	672.89	6.73		अमर
119	0679	समकिया	25	52	5.68	6.77	7.17	19.63	981.30	9.81		अमर
120	0680	पिपरिया (लाटगाँव)	39	52	8.38	10.00	10.59	28.96	1448.17	14.48		अमर
121	0681	श्री नगर	38	53	5.31	6.33	6.70	18.33	916.69	9.17		अमर
122	0682	नरवारा कुकलाह	24	53	3.56	4.24	4.49	12.29	614.38	6.14		अमर
123	0684	लाटगाँव	39	53	3.17	3.78	4.00	10.95	547.33	5.47		अमर
124	0685	नगकवारा	24	54	2.81	3.36	3.56	9.73	486.36	4.86		अमर
125	0687	तारवारा (श्रीनगर)	37	55	2.14	2.56	2.71	7.41	375.58	3.71		अमर

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - गोटेगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	अग्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
126	0691	उमरिया (श्री नगर)	42	57	9.54	11.38	12.05	32.96	1648.09	16.48	ट्रक	फैक्ट्री रोड
127	0694	सुकरा	0	57	3.13	3.74	3.96	10.82	541.24	5.41	"	"
128	0695	झिरी (नगवारा)	36	60	1.98	2.36	2.49	6.83	341.32	3.41	"	"
129	0698	गोटेगांव	15	40	3.11	3.71	3.93	10.75	537.58	5.38	"	"
130	0724	हिड़की पिपरिया	5	0	3.91	4.66	4.94	13.51	675.33	6.75	"	"
131	0725	जमुनिया	0	0	4.69	5.60	5.93	16.21	810.64	8.11	"	"
132	0731	गढ़ाघाट	25	0	2.77	3.31	3.50	9.58	479.07	4.79	"	"
133	0737	नेगुवा	13	0	2.38	2.84	3.01	8.24	412.02	4.12	"	"
134	0738	नादिया	36	0	2.05	2.44	2.58	7.07	353.51	3.54	"	"
135	0739	केसली	36	0	4.60	5.49	5.81	15.90	794.79	7.95	"	"
योग -					1667.85	1989.36	2106.39	5763.60	288180.13	2881.80		

95

2017 - 490.81
= 5212.731.2

4972.53

रुपय

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2018-19
तहसील - करेली

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आव्यक्तित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.ने.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
1	0159	बासकुवारी	18	18	2.36	2.82	2.98	8.17	408.37	4.08	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री रोड
2	0163	मेनावारी	22	23	2.01	2.40	2.54	6.95	347.42	3.47	"	"
3	0164	कपूरी	21	24	6.86	8.18	8.66	23.70	1184.87	11.85	"	"
4	0303	डुकवारा	18	26	11.59	13.83	14.64	40.06	2002.82	20.03	"	"
5	0304	जल्लापुर	22	26	5.71	6.82	7.22	19.75	987.39	9.87	"	"
6	0306	करसाम्प	22	28	4.97	5.93	6.28	17.19	859.40	8.59	"	"
योग -					33.51	39.97	42.32	115.81	5790.25	57.90	"	"
महायोग -					3937.85	4696.95	4973.24	13608.04	680401.92	6804.02	"	"

05

गन्ना = 17.19
= 98.61

महयोग

13099.97 हे



क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-करेली-2018-19-55

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु करेली शुगर मिल प्रा०लि०, करेली, जिला-नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट	84	8415.70
2	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	10	506.10
3	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	फैक्ट्री गेट	66	8220.60
		कुल	160	17142.40

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

गन्ना आयुक्त.

करेली शुगर मिल प्रा. लि.
गाइरवाय रोड, करेली जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)

तहसीलवार गन्ने का वितरण

सत्र - 2018-19

क्र०	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	रोषा (हे०में)	जड़ी (हे०में)	मड़ी (हे०में)	योग (हे०में)	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना (हे०में)	क्रय केंद्र
1	करेली	86	3501.70	3142.10	2315.90	8612.20	5376.30	कैक्ट्री गेट + मेरगांव
2	गाइरवारा	66	3773.60	3392.80	2543.20	8325.80	5626.30	कैक्ट्री गेट + पुटावा + मेरगांव
3	नरसिंहपुर	10	310.90	276.60	200.70	506.10	434.30	कैक्ट्री गेट
कुल योग		162	7586.20	6811.50	5059.80	17444.10	11436.90	

58.78 प्रतिशत

17	करेली	5	"	17	328.40	288.90	211.80	829.10	498.10
18	कठोतिया	8	"	16	46.50	43.00	36.20	125.70	78.80
19	जनौर	9	"	16	64.10	57.90	42.30	164.30	98.80
20	पिपरिया	11	"	14	57.60	51.10	37.90	146.60	88.80
21	बसेडी	10	"	14	31.30	28.50	21.10	80.90	48.50
22	राकई	12	"	14	144.70	128.30	97.10	370.10	222.90
23	कुम्हडी	14	"	15	30.90	28.10	21.80	80.80	49.40
24	खैरी	12	"	15	45.70	41.40	30.50	117.60	69.40
25	रामपिपरिया	15	"	15	25.70	23.30	17.10	66.10	40.50
26	सुरगी	18	"	15	16.10	14.60	9.80	40.50	26.30
27	कंधरापुर	20	"	20	36.50	33.10	23.90	93.50	54.10
28	करहैया	25	"	20	8.30	7.60	5.10	21.00	12.60
29	कोसमखेडा	25	"	20	51.90	45.30	32.80	130.00	76.40
30	कौडिया	13	"	20	9.40	8.60	6.10	24.10	14.40
31	जुस्सपुर	25	"	20	28.50	25.80	18.70	73.00	42.70
32	पिपरिया	14	"	20	28.80	26.10	20.50	75.40	46.20
33	विचुआ खुर्द	22	"	20	8.30	7.60	5.20	21.10	12.70
34	विचुआ कला	21	"	20	9.70	8.90	6.40	25.00	14.90
35	बेलखेडी	28	"	20	18.20	16.50	11.30	46.00	27.10
36	जौरागोरा	27	"	24	7.40	6.80	4.70	18.90	11.30
37	दिल्लेरी	20	"	24	6.60	5.90	4.20	16.70	11.10
38	नयाखेडा	15	"	24	139.20	123.20	95.30	357.70	213.90
39	करहैया	20	"	24	8.70	7.90	4.90	21.50	12.80
40	बासादेही	16	"	24	31.90	27.80	18.30	78.00	47.90
41	इमलिया	6	"	24	12.60	11.50	8.20	32.30	20.30
42	कोदसा	9	"	13	98.50	87.50	64.90	250.90	151.60

523318mm
 P.O. - Karol, Dist. - Jabalpur, M.P.

43	गोंगावली	7	"	13	33.40	31.20	22.70	87.30	55.10
44	जोहरिया	6	"	13	35.90	33.50	23.60	93.00	54.40
45	देगोंवा	10	"	13	8.00	7.90	5.70	21.60	13.30
46	बसखेडा	10	"	13	32.80	31.60	21.20	85.60	49.40
47	बासादेही	7	"	13	39.70	35.10	25.30	100.10	61.50
48	करताज	26	"	19	40.40	36.60	26.70	103.70	63.10
49	कपुली	32	"	19	58.50	50.10	35.90	144.50	85.10
50	गौडी	19	"	19	18.10	16.50	12.90	47.50	26.60
51	तिथरा	18	"	19	4.60	4.40	2.70	11.70	7.10
52	पिपरिया	22	"	19	15.30	13.90	9.80	39.00	22.40
53	भैरवासी	25	"	19	20.10	18.20	12.30	50.60	28.40
54	रेहली	21	"	19	22.20	20.10	15.40	57.70	36.60
55	खापा	24	"	26	8.70	7.90	5.50	22.10	13.10
56	नानीरी	15	"	26	11.80	10.60	7.70	30.10	17.90
57	निवारी	17	"	26	41.50	34.80	26.90	103.20	60.90
58	बिचुआ कला	19	"	26	7.80	7.10	5.60	20.50	12.10
59	महगुंवा	15	"	26	17.90	16.30	11.60	45.80	26.50
60	रूपकुरिया	20	"	27	24.40	22.20	13.90	60.50	37.30
61	हिनौतिया	28	"	27	11.60	10.50	6.70	28.80	16.20
62	माचामड	13	"	27	7.70	7.10	5.60	20.40	11.50
63	गोवरगोंव	10	"	23	53.40	47.50	37.30	138.20	83.60
64	तिन्सरा	15	"	23	30.90	28.10	19.60	78.60	46.10
65	पिपरिया	15	"	23	37.50	33.10	23.40	94.00	54.80
66	बरोदिया	15	"	23	37.30	34.80	25.10	97.20	60.90
67	सिमरिया खुर्द	11	"	23	32.90	29.90	20.10	82.90	47.80
68	सिमरिया कला	12	"	23	20.30	18.50	13.90	52.70	32.60

A.A.C.I. For - Karen Sugar Mill Pvt. Ltd

69	गिधवानी	8	"	"	18	43.80	39.70	27.60	111.10	65.70
70	सासबहु	12	"	"	18	76.60	69.50	50.40	196.50	114.90
71	जोवा	7	"	"	18	69.90	63.30	41.60	174.80	104.80
72	भुगवारा	7	"	"	18	119.90	106.50	72.90	299.30	178.20
73	चमरुआ	10	"	"	18	8.70	7.90	4.90	21.50	13.90
74	खमरिया		"	"	8	7.50	6.80	4.60	18.90	10.50
75	समानापुर	26	"	"	9	69.20	63.50	48.20	180.90	113.40
76	मेहंवा		"	"	9	14.40	13.10	8.90	36.40	20.80
77	धुरपुर	28	"	"	9	22.80	20.70	14.70	58.20	34.90
78	उमरिया	26	"	"	10	37.70	35.30	26.50	99.50	58.50
79	पिपरहा	27	"	"	10	16.20	14.60	10.60	41.40	25.40
80	मोहद	30	"	"	10	15.30	13.10	9.80	38.20	22.50
81	रातीकार कला	22	"	"	11	17.80	16.10	11.50	45.40	28.20
82	देवरी खुर्द	15	"	"	11	12.20	11.20	8.20	31.60	17.60
83	रातीकार खुर्द		"	"	11	13.30	11.90	8.90	34.10	21.60
84	देवाकछार	12	"	"	11	22.60	20.50	15.50	58.60	34.10
85	बारहा	15	"	"	11	32.30	26.40	19.60	78.30	47.90
86	केरपानी	28	"	"	25	7.50	6.80	4.10	18.40	11.10
87	खिरिया		"	"	25	24.90	22.60	17.20	64.70	40.70
88	बसोबा	13	"	"	25	6.60	5.90	3.90	16.40	8.90
89	हर्दगाँव	17	"	"	25	16.90	15.40	11.20	43.50	26.80
90	खारी	17	"	"	25	17.70	16.10	11.90	45.70	26.50
91	महलवाडा	36	"	"	20	6.50	5.90	3.80	16.20	9.70
योग						3501.70	3142.10	2315.90	8959.70	5376.30

34750 नामा 54120
2019.1.18

करेली शुगर मिल प्रा. लि.

गणना क्षेत्र आरक्षण

पिराई सत्र - 2018-19

गणना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील गाडरवारा

क्र०	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प० न०	गन्ना फसल आरक्षित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना हे०में	क्रय केन्द्र का नाम
					जडी		सूची 15-16 में				
					रोपा 17-18 में	जडी 16-17 में					
1	गौरास	14	ट्रक हेक्टर	73	26.50	23.20	17.70	67.40	39.40		
2	मडेचुर	11	"	73	63.90	58.70	47.10	169.70	96.90		
3	मोथेगाँव	14	"	73	22.70	20.60	13.30	56.60	33.90		
4	छवारा	15	"	73	18.30	16.50	12.20	47.00	27.20		
5	कासवी	15	"	75	72.70	62.90	42.90	178.50	101.90	अज्ञात	
6	कुंडुआखेडा	20	"	75	17.30	15.60	10.60	43.50	25.10		
7	गरहा	20	"	75	110.50	90.80	71.90	273.20	150.40		
8	निजोर	13	"	75	71.80	64.10	47.70	183.60	106.90		
9	अजासरा	20	"	75	27.10	24.50	17.20	68.80	40.90	अज्ञात	
10	कुसीडाबर	18	"	74	20.40	17.60	11.40	49.40	28.10		
11	झमरी	9	"	74	20.30	18.30	12.30	50.90	28.40		
12	कसीरिया	6	"	74	21.20	18.90	13.20	53.30	31.80	अज्ञात	
13	झामर	8	"	74	31.50	28.40	20.90	80.80	48.40		
14	भूतपिरिया	5	"	74	39.30	35.90	29.30	104.50	60.50		
15	रमखिरिया	5	"	74	61.70	53.10	42.10	156.90	88.30		
16	सिमरिया	10	"	79	49.90	44.30	32.70	126.90	75.10		
17	संचारी	10	"	79	89.30	41.80	62.20	193.30	133.90		

M. S. S. Co. Ltd. For - Kareli Sugar Mill Pvt. Ltd.

18	करपगौव	7	"	80	278.30	253.70	194.30	726.30	418.90
19	देगावों	12	"	80	48.90	44.40	30.90	124.20	74.30
20	मेहरावों	15	"	80	26.80	24.50	18.70	70.00	41.60
21	सर्ग	15	"	80	17.30	15.70	10.60	43.60	26.20
22	बटेसरा	3	"	81	97.70	89.40	62.20	249.30	143.50
23	कनवास	8	"	81	65.60	88.90	45.40	199.90	98.10
24	कांकरकुईआ	20	"	81	5.50	4.90	3.30	13.70	7.90
25	खमरिया	10	"	81	72.50	67.10	50.90	190.50	109.80
26	चीकसा	10	"	81	52.20	49.20	36.80	138.20	80.30
27	बदेसुर	5	"	81	71.20	64.40	50.60	186.20	106.00
28	शाहपुर	10	"	82	164.50	149.90	114.10	428.50	247.70
29	बघौरा	14	"	82	51.30	46.60	33.60	131.50	77.30
30	मिन्डवार	17	"	82	14.20	12.80	7.90	34.90	21.20
31	रामखेडी	11	"	82	84.30	75.30	58.70	218.30	123.90
32	सलगापुर	15	"	82	9.70	8.80	5.60	24.10	13.90
33	दुमसिया	17	"	83	38.60	34.90	25.70	99.20	58.50
34	हथनापुर	21	"	83	9.90	9.10	6.30	25.30	14.60
35	हिरदेपुर	15	"	83	27.70	25.00	16.50	69.20	39.10
36	विजनपुर	22	"	84	48.10	41.70	33.10	122.90	70.20
37	भूमियाघाट	22	"	84	7.60	5.90	3.90	17.40	9.50
38	जेथारी	31	"	84	6.40	4.80	3.50	14.70	7.90
39	घमेटा	20	"	84	51.60	43.90	33.10	128.60	76.10
40	सलैया	21	"	84	6.10	5.50	3.40	15.00	8.60
41	सिलेडी	32	"	85	5.60	4.30	2.60	12.50	6.50
42	खई	33	"	85	24.50	22.20	15.90	62.60	37.20
43	निघौरा	33	"	85	9.60	8.60	5.80	24.00	13.70
44	पिपरिया	34	"	85	11.90	10.80	7.10	29.80	17.20

NA 3025 For - Kareil Sugar Mill Pvt. Ltd

45	विलौनी	19	"	70	15.30	13.80	8.90	38.00	22.90
46	मानसेडा	20	"	70	8.80	7.90	5.60	22.30	12.80
47	रीछा	20	"	70	31.20	28.20	19.30	78.70	45.50
48	समारिया	16	"	70	50.90	46.10	34.20	131.20	75.10
49	बोवखोडी	19	"	70	13.80	12.70	8.70	35.20	19.50
50	इमहिरा	21	"	70	51.50	46.50	35.90	133.90	78.80
51	छीतापुर	20	"	72	96.40	90.20	71.80	258.40	150.70
52	खामघाट	20	"	72	13.90	12.60	8.60	35.10	19.40
53	लिंगा	19	"	72	15.10	13.70	9.70	38.50	21.30
54	बरमान	16	"	72	7.30	6.60	4.60	18.50	11.70
55	कुसाही	21	"	68	48.10	42.10	33.20	123.40	72.20
56	ढोडोकेसला	25	"	69	17.20	15.70	10.50	43.40	24.10
57	बडियाघाट	22	"	69	58.70	53.90	36.90	149.50	90.30
58	उमरपानी	17	"	71	48.70	42.50	31.40	122.60	68.80
59	खुरसुरु	15	"	71	58.20	53.70	39.60	151.50	89.50
60	सिंगोदा	15	"	71	53.90	50.70	37.20	141.80	84.40
61	राघपानी	18	"	71	21.50	18.60	13.20	53.30	29.00
62	बीतली	18	"	71	26.70	23.30	15.40	65.40	36.40
63	बखोडी	20	"	65	23.50	20.50	15.40	59.40	32.80
64	पुयवारा	22	"	66	30.40	26.70	19.50	76.60	44.80
65	बसंका	20	"	75	23.70	20.60	14.60	58.90	32.60
66	तुठी	15	"	76	69.90	63.30	50.10	183.30	108.30
67	पुरगावां	16	"	76	92.10	86.20	66.20	244.50	143.80
68	सीहोरा	18	"	76	39.50	34.90	25.90	100.30	56.50
69	हर्दई	19	"	76	15.30	13.90	8.60	37.80	21.00
70	तुयवारा	20	"	76	16.50	14.20	9.10	39.80	23.40
71	सुलरी	21	"	67	37.40	36.60	27.50	101.50	60.70

For - Kareli Sugar Mill Pvt. Ltd.
A. D. S. 10

V

72	देकामर	19	"	67	56.70	52.30	40.60	149.60	86.30	पुरगवां
73	मुड़िया	22	"	67	11.30	9.40	5.90	26.60	14.90	
74	कल्यानपुर	20	"	68	104.20	96.20	71.10	271.50	156.90	
75	बाम्हनवाडा	17	"	78	43.10	39.90	29.80	112.80	67.30	पुरगवां
76	इमलिया	15	"	78	38.50	34.70	25.90	99.10	58.50	पुरगवां
77	जमानिया	20	"	78	10.10	8.40	5.90	24.40	13.60	पुरगवां
78	माहनवाडा	10	"	10	98.90	87.90	70.50	257.30	151.10	पुरगवां
79	नारगी	11	"	11	117.80	104.80	84.60	307.20	178.90	पुरगवां
80	पनारी	13	"	13	134.40	123.90	93.50	351.80	204.10	पुरगवां
81	बांसखेड़ा	12	"	14	34.20	30.20	21.70	86.10	50.30	पुरगवां
82	टिकटोली	20	"	20	66.90	61.90	46.90	175.70	101.30	
योग					3773.60	3392.80	2543.20	9709.60	5626.30	

1356.10
 863.10
 1383.80
 5123.20

करेली शुगर मिल प्रा. लि.

गण्ठा क्षेत्र आरक्षण

पियाई सत्र - 2018-19

गण्ठा क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील - नरसिंहपुर

क्र०	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	घ० ह० न०	गण्ठा फसल आरक्षित क्षेत्र			योग गण्ठा क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	पियाई हेतु उपलब्ध गण्ठा हे०में	ग्राम केन्द्र का नाम
					रोपा 17-18 में	जड़ी 16-17 में	मड़ी 15-16 में				
1	जयसोडा	44	ट्रक-ट्रेक्टर	7	37.30	32.40	72.90	92.60		51.00	कानोहल
2	बम्होरी	38	"	7	28.70	25.10	19.10	72.90		40.10	
3	सागोनी खुर्द	46	"	8	41.90	38.50	31.70	112.10		61.70	
4	सागोनी कला	36	"	8	22.10	19.20	14.20	55.50		29.90	
5	गरयाटा	38	"	8	6.80	6.10	3.20	16.10		8.80	
6	तिदेनी	23	"	9	8.70	7.90	5.00	21.60		11.70	
7	गंधवारा	35	"	16	28.30	23.50	15.10	66.90		36.40	कानोहल
8	नरसिंहपुर	30	"	17	48.10	43.40	31.10	122.60		68.50	कानोहल
9	देवरी कलौ	10	"	18	25.20	22.90	18.20	66.30		36.20	
10	सिमरिया	17	"	29	14.20	13.00	9.30	36.50		19.70	
11	कुक्कवारा	16	"	18	29.50	25.60	18.40	73.50		40.90	
12	डुडवारा	17	"		10.60	10.40	6.70	27.70		16.10	
13	डुराजपुर	24	"		9.50	8.60	5.80	23.90		13.30	
					310.90	276.60	200.70	788.20	506.10	434.30	

योग

Asstt. Director Agriculture (Cans)

10

Chief Accounts Officer

280.10 = 506.10

280.10

Kareli Sugar Mill Pvt. Ltd.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला-रतलाम

क्रमांक-भू-अर्जन-18-4479-प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-2018-19

रतलाम, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "खेड़ी बैराज योजना" तहसील रावटी जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम सैलेज मईड़ा के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विशय में कोई आपत्ति हो तो वह अग्रोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	श्री गलजी, रणजी, भावजी, रामसिंह पिता सुखला, झीतला, हड़तिया, रामा पिता हिरजी व झवरिया पिता देवला व मंगली बेवा देवला व बबलू पिता हलीया व सुगन बाई बेवा हलीया व लुनीया मांगु पिता धुलजी जाति भील चौहान	12	0.310	—	0.310	—
		14	0.040	—	0.040	
		16	0.360	—	0.360	
		17 में से	1.060	—	1.060	
		किता 4	1.770	—	1.770	
2	झीतरा हड़तिया, रामा पिता हिरजी भील चौहान	15	0.650	—	0.650	—
3	लालू पिता धुलिया जाति भील डोडियार	18	0.620	—	0.620	—
4	दुबलिया पिता थावरिया, राधा बेवा थावरिया हिस्सा 1/4 गलीया पिता रावजी, धुली बेवा रावजी, नागु पिता धन्ना, प्रभु, जालू, मानसिंह,	19 में से	0.420	—	0.420	—

हदु पिता मडिया, हुरजी बाई बेवा मडिया बंटी, चम्पा पिता नाथु, मंजु काली ना.सा. पिता नाथु सरपरस्तमाता टिबली व टिबली बेवा नाथु हिस्सा 1/4 जीवला लाला, वाला पिता हकरू, सकुडी बेवा हकरू व बारजी दित्या पिता भाणजी व देवीलाल मांगुपिता बाबरिया जाति भील खराडी

रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक-1232-ए-82-2018

झाबुआ, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

-: प्रारंभिक अधिसूचना :-

{अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013)}

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम टौड़ी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - टौड़ी

तहसील - पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा(हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु	6.01	3.01	9.02
	योग :-	6.01	3.01	9.02

अनुसूची (2)

दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	भवरसिंह पिता गणपत व रादीबाई बैवा गणपत जाति पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/1		0.09	0.09		0.09	0.09
2	बाबु पिता गणपत जाति पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/2		0.08	0.08		0.08	0.08
3	देवचन्द्र पिता गणपत जाति पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/3		0.08	0.08		0.08	0.08
4	पन्ना पिता कालु जाति पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/4		0.08	0.08		0.08	0.08

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
5	मंजी पिता कालु जाति पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/5		0.09	0.09		0.09	0.09
6	मुला पिता मकना जाति भील पता नि.ग्राम सेमलिया भूमि स्वामी	505	2.20		2.20	0.70		0.70
7	वालिया पिता लच्छा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	528	0.85		0.85	0.37		0.37
8	हीरा पिता लच्छा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	527	0.77		0.77	0.22		0.22
9	वसना कसना भीमा कलीया पिता लाला लछु चमकी मानी पिता लाला सोमली बेवा लाला ना बा पपू पीता पिता रामा कामेरी बेवा रामा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	529	1.25		1.25	0.80		0.80
10	मुला पिता मकना जाति भील पता नि.ग्राम सेमलिया भूमि स्वामी	531	0.22		0.22	0.22		0.22
11	मुन्ना पिता रतना जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	533	0.58		0.58	0.07		0.07
12	मोरसिंह पिता रलाजी जाति गामढ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	542	1.00		1.00	0.22		0.22
13	धनसिंग पिता रूमाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	552/1	0.20		0.20	0.04		0.04
14	मनुहर पिता रूमाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	552/2	0.20		0.20	0.10		0.10
15	कल्लु पिता रूमाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	552/3	0.18		0.18	0.10		0.10
16	नाहरसिंग पारू पिता सोमला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	555/2	0.24		0.24	0.13		0.13
		552/4	0.15		0.15	0.10		0.10
		552/5	0.22		0.22	0.18		0.18
		555/1	0.07		0.07	0.07		0.07
17	गुनसिंग पिता नागजी वसुनिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	554	0.53		0.53	0.48		0.48
18	मानसिंह पिता दल्ला जाति डामर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	576		0.87	0.87		0.44	0.44
19	भुवान, सबली, धरमा तल्ली पि. भीमा समंदी बेवा भीमा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	577		0.65	0.65		0.65	0.65
		580	1.21		1.21	0.13		0.13
		582	0.61		0.61	0.61		0.61

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
20	चेनसिंह पिता भावा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	581	1.10		1.10	0.62		0.62
21	रालु पिता भावा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	590	0.73		0.73	0.26		0.26
		591	0.02		0.02	0.02		0.02
22	जुवारिया सरदार बापू भमरसिंग पिता सारवणिया रखली बेवा सारवणिया जाति मैडा भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	592	0.27		0.27	0.10		0.10
23	लालू पिता खेतिया गणावा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	598/2	1.85		1.85	0.20		0.20
24	तेरसिंग, कालू, हरसिंग पिता सोमला व हकली बेवा सोमला जाति कतीजा भील पता सा0दे0 भूमि स्वामी	611	0.07		0.07	0.07		0.07
25	भेरू पिता कालिया व पांगली बेवा कालिया धनसिंग कल्लु मनुहर पिता रूमाल तेजुडी बेवा रूमाल मानसिंग पिता मोगजी नाहरसिंग पारू पिता सोमला डोडियार जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	613	0.36		0.36	0.20		0.20
26	मांगीया पिता वेलप्पा निनामा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646/2		0.50	0.50		0.27	0.27
27	मानसिंह पिता नरसिंह भाभर जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646/5		0.50	0.50		0.02	0.02
28	रागू पिता बरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646/4		0.50	0.50		0.40	0.40
29	भूरजी पिता वीरसिंह गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646/3		0.54	0.54		0.54	0.54

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
30	दुर्गेश पिता रालु डामर जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646/6		0.50	0.50		0.27	0.27
योग :-		36	14.88	4.48	19.36	6.01	3.01	9.02

प्रकरण क्रमांक-1234-ए-82-2018

छूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम चन्द्रगढ़, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - चन्द्रगढ़

तहसील - पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा(हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु	7.89	-	7.89
	योग :-	7.89	-	7.89

अनुसूची (2)

दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	तेरसिंह,नाहरसिंह पिता वाल्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	112	0.34		0.34	0.34		0.34
		113	0.31		0.31	0.31		0.31
2	रायचन्द्र, मनीया पिता लालजी व भुरकी बैवा लालजी जाति भूरिया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	114	0.10		0.10	0.10		0.10
		116	0.07		0.07	0.07		0.07
3	मनोहर,मदन पिता धमजी -धापुडी बेवा धमजी भूरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/1	0.07		0.07	0.07		0.07
4	गगाराम पिता मेघजी भूरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/2	0.06		0.06	0.06		0.06

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
5	रामा पिता सवजी भूरीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/3	0.38		0.38	0.38		0.38
		125	0.14		0.14	0.04		0.04
		126	0.38		0.38	0.17		0.17
6	शंभु पिता सवजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	118	0.37		0.37	0.37		0.37
7	नानजी पिता कलजी भूरीया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	205	0.76		0.76	0.20		0.20
8	मडिया पिता मंगलिया, धरमा बेवा मंगलिया भूरीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	206	0.45		0.45	0.45		0.45
9	भिम पिता सुरजी भाभर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	210	0.35		0.35	0.17		0.17
10	रमतु पुत्र गवजी जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	212	0.91		0.91	0.76		0.76
11	हक्कु पिता कलजी भूरीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/1	0.39		0.39	0.39		0.39
12	बदू पिता कलजी भूरीया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/2	0.72		0.72	0.72		0.72
13	रामीया, मानसिंग, पिता नकल्या व सजनी बेवा नकल्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	220	0.61		0.61	0.50		0.50
14	दीता, मोतीलाल, अमरसिंग, कान्तू पिता शम्भू कर्मा पिता शम्भू नूरी बेवा शम्भू मुणीया भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	221/1	0.14		0.14	0.14		0.14
15	खुमान पिता नाहरसिंग मुणीया भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/2	0.13		0.13	0.13		0.13
16	राकेश पिता नाहरसिंग मुणीया भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/3	0.12		0.12	0.12		0.12
		775	0.24		0.24	0.12		0.12
17	लालचन्द पिता नाहरसिंग मुणीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/4	0.12		0.12	0.12		0.12
18	अमरीया, नरबंसिंग परमा पिता लिमजी जाति भुरिया(भील) पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	639	0.53		0.53	0.53		0.53
19	रतन पिता सडीया भूरीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	695/2	0.18		0.18	0.18		0.18
20	अमरसिंह पिता सडीया भूरीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	695/3	0.06		0.06	0.06		0.06
21	वेश्या पिता फुला भूरीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	706	0.36		0.36	0.36		0.36

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
22	कानजी मन्ना पिता पेमा व हिरा बाई बेवा पेमा मईडा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	708	0.54		0.54	0.54		0.54
23	धनजी पिता रूपा मचार जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	710	0.24		0.24	0.05		0.05
24	सामला पिता शंभु भुरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122	0.44		0.44	0.44		0.44
योग :-		29	9.51	0.00	9.51	7.89	0.00	7.89

प्रकरण क्रमांक-1236-ए-82-2018

छुंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम सेमलिया, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - सेमलिया

तहसील - पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा(हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु	-	1.10	1.10
	योग :-	-	1.10	1.10

अनुसूची (2)

दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	नराण पिता मांगु परमार जाति पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	351/1		0.12	0.12		0.08	0.08
		363/1		0.66	0.66		0.05	0.05
2	शांतीलाल पिता मांगु परमार जाति पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	351/2		0.10	0.10		0.10	0.10
3	कालू पिता गेन्दू जाति पटलिया खपेड (भील) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	358		0.25	0.25		0.20	0.20

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
4	भमरसिंग,पेमजी,थावरिया,दरू,पिता मडिया रेवा,हरता,बुमा पिता अमरसिंग कबुडी बेवा अमरसिंग नि. देवली शमाबाई बेवा अमरसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खुमान, गुमान पिता खीमला धूली बेवा खीमला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	359		0.13	0.13		0.13	0.13
5	नान्या, मडिया,माना धन्नी पिता दिता बेवा दिता पटलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	364		0.81	0.81		0.54	0.54
	योग :-	6	-	2.07	2.07	-	1.10	1.10

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक-2267

नेपानगर, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में भगत बाबा स्टोरेज तालाब क्र.1 (बिना नहर) योजना के अंतर्गत ग्राम डवालीखुर्द, डवालीकला तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कर्माकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन, 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम - डवालीखुर्द, डवालीकला

तहसील- खकनार, जिला-बुरहानपुर

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा हेक्टर में
1	भगत बाबा स्टोरेज तालाब क्र.1 (बिना नहर) योजना हेतु	32.580	36.020	68.600

अनुसूची (2)

भगत बाबा स्टोरेज तालाब क्र.1 (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम डवालीखुर्द, डवालीकला तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

स.क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्र.	भूमि का रकबा हे.में.			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	ग्राम :- डवालीखुर्द							
1	किसन पिता काशीराम पता नि. नेपानगर भूमि स्वामी	405/1 ब	2.300		2.300	0.320		0.320
2	इसराम पिता किसन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	405/2	1.140		1.140	0.350		0.350
3	प्रताप पिता किसन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	405/3	1.150		1.150	0.300		0.300
4	गीताबाई बेवा भीका मिराबाई पुत्री भिका पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	408		2.020	2.020		0.320	0.320
5	दिलीप, संतोष, रमेश, भुरालाल, गौतम पिता नारायण जावन्ताबाई पुत्री नारायण, सिताबाई, तुकडीबाई बेवा नारायण पता नि. उमरदा भूमि स्वामी	410		2.030	2.030		1.60	1.600
6	वैशाली पति मनीष पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	411		0.540	0.540		0.54	0.540
7	वैशाली पति मनीष पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	412		0.720	0.720		0.72	0.720
8	वैशाली पति मनीष पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	413		1.250	1.250		1.25	1.250
9	गुलशन बी पति शे.इमाम पता नि. डवालीकला भूमि स्वामी	415/1	0.390		0.390	0.390		0.390
10	सलमाबी पति रहेमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	415/2	0.800		0.800	0.800		0.800
11	सुलतान पिता सुलेमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	415/3	0.400		0.400	0.400		0.400
12	कनीराम पिता दिना पता नि. नेपानगर भूमि स्वामी	420/1	1.250		1.250	0.640		0.640
13	खलील, अहमद पिता शे. इस्माईल खैरुन्निसा विधवा शे. इस्माईल पता नि. नेपानगर भूमि स्वामी	420/2		2.500	2.500		0.700	0.700
14	कमलेश पिता कैलाश पता नि. ग्राम सीवल भूमि स्वामी	420/3	1.250		1.250	0.700		0.700
15	बाधु पिता जवानसिंग पता नि. डवालीकला भूमि स्वामी	421	3.060		3.060	0.600		0.600
16	शे.रमजान पिता शे. इमाम पता नि. डवालीकला भूमि स्वामी	422/1	0.970		0.970	0.970		0.970
17	शे.शाहबान पिता शे. इमाम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	422/2	2.000		2.000	2.000		2.000
18	शे. लुकमान पिता शे. इमाम पता नि. डवालीकला भूमि स्वामी	422/3	3.200		3.200	3.200		3.200
19	नुरजहानबी पति शे. शाहबान पता नि. डवालीकला भूमि स्वामी	422/4	0.810		0.810	0.810		0.810
20	रविन्द पिता मंगनलाल मंगनलाल पिता रुपचंद नि. नेपानगर भूमि स्वामी	424		4.660	4.660		3.330	3.330

क्र.सं.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्र.	भूमि का रकबा हे.मै.			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.मै.		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	मिठीबाई पिता बाबुलाल, चुन्नीलाल, राधेश्याम पिता बाबुलाल भूरी, नबू, सुमन, लिला पुत्री बाबूलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	425		0.700	0.700		0.700	0.700
22	सुदीप पिता महेश पता नि. ग्राम बुरहानपुर भूमि स्वामी	430/1		0.400	0.400		0.400	0.400
23	बाधु पिता जवानसिंग पता नि. डवालीकला भूमि स्वामी	430/2		0.400	0.400		0.400	0.400
	(I) योग -		18.720	15.220	33.940	11.48	9.96	21.44
ग्राम :- डवालीकला -								
1	गणेश रमेश पिता काशीराम मीराबाई पुत्री काशीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16/1	3.910		3.910	2.910		2.910
2	रंगारी पिता इशराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16/2	0.810		0.810	0.810		0.810
3	भूरीबाई पति प्रताप पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16/3	0.810		0.810	0.810		0.810
4	रेमसिंग पिता सुकल्या (भिलाला) पता नि. डवालीकला भूमि स्वामी	16/4		0.810	0.810		0.300	0.300
5	शे.सुलेमान पिता इमाम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/1	1.600		1.600	1.600		1.600
6	समाबी पति शे.सुलेमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/2	1.910		1.910	1.910		1.910
7	कमलाबाई पति रमेश पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	20/1		1.430	1.430		0.300	0.300
8	कमलाबाई पति रमेश पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	20/3		1.370	1.370		0.600	0.600
9	नरेन्द पिता रामचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	20/2		2.190	2.190		0.100	0.100
10	लक्ष्मीचंद पिता चंपालाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	21/1		3.130	3.130		0.400	0.400
11	लक्ष्मीचंद पिता चंपालाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/2		2.000	2.000		0.400	0.400
12	कमलचंद पिता चंपालाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/2	1.610		1.610	0.280		0.280
13	कमलचंद पिता चंपालाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/1		3.220	3.220		1.600	1.600
14	निहालसिंग पिता रुपसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	22	0.840		0.840	0.840		0.840
15	भाईसिंग पिता सुरला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23		1.080	1.080		1.080	1.080
16	भाईसिंग पिता सुरला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	86		1.610	1.610		1.610	1.610
17	भू-राजस्व	24/1	1.170		1.170	0.100		0.100
18	रेवासिंग पिता रुपसिंग, हरेसिंग पिता रुपसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/3	2.000		2.000	0.300		0.300
19	साहेबराव पिता मनोहर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/1	1.290		1.290	0.100		0.100
20	शामराव पिता मनोहर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/2		1.290	1.290		0.200	0.200
21	बनीबाई विधवा मनोहर, गजराबाई, सुशीलाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनोहर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/3		1.200	1.200		1.200	1.200
22	चुन्नीलाल, हिरालाल तिलाल सदाशिव पिता रुपचंद इमलीबाई पुत्री रुपचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	26	3.160		3.160	0.800		0.800
23	रामदास पिता बालचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	38		0.890	0.890		0.890	0.890
24	सरुबाई बेवा चमारिया लक्ष्मीबाई पुत्री चमारिया अनिल दिलीप पिता चमारिया पता नि. डवालीखुर्द भूमि स्वामी	34		0.510	0.510		0.200	0.200
25	रामदास पिता बालचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	32		0.420	0.420		0.420	0.420
26	ईश्वर पिता रामलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	39		1.060	1.060		1.060	1.060
27	ईश्वर पिता रामलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	40		0.040	0.040		0.040	0.040
28	ईश्वर पिता रामलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	41		0.090	0.090		0.090	0.090
29	मीठाराम सिताराम पिता बापजी मीराबाई पिता बापजी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	47		1.060	1.060		0.200	0.200
30	गंगाबाई विधवा मल्ला हरबान, जीरबान, दुरसिंग पिता मल्ला कमलाबाई, पेतुबाई पिता मल्ला पता नि. ग्राम डवालीखुर्द भूमि स्वामी	48	0.940		0.940	0.940		0.940
31	रामसिंग पिता पुन्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	51	0.570		0.570	0.570		0.570
32	रामसिंग पिता पुन्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	72	1.490		1.490	0.400		0.400
33	नर्मदाबाई बेवा ताराचंद मांगीलाल पिता ताराचंद गिताबाई पुत्री ताराचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53		0.360	0.360		0.360	0.360

संक्र.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्र.	भूमि का रकबा हे.मै.			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.मै.		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
34	नर्मदाबाई बेवा ताराचंद मांगीलाल पिता ताराचंद गिताबाई पुत्री ताराचंद पता पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	71		1.670	1.670		0.300	0.300
35	मोहम्मद सलीम पिता वली मोहम्मद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	54		1.280	1.280		0.600	0.600
36	शे.अमीर, शे.सलीम, शे. मेहमूदखा, हसीनाबी, शकीनाबी, जरीनाबी, मेहराजबी, नर्जमाबी, शहनाजबी पिता मो. हुसेन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	57		0.860	0.860		0.300	0.300
37	बालचंद पिता केडया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	59		2.180	2.180		0.800	0.800
38	केनाबाई पति सोभागसिंग, सख्या पिता सोभागसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	62	1.380		1.380	0.400		0.400
39	केनाबाई पति सोभागसिंग, सख्या पिता सोभागसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	64	0.220		0.220	0.220		0.220
40	प्राथमिक शाला भवन डवालीकला भूमि स्वामी	65		0.730	0.730		0.100	0.100
41	तारसिंग बेनसिंग पिता झंझाड पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	66		1.080	1.080		0.500	0.500
42	हिराचंद, हिरामण, तिलचंद पिता श्रीपत नर्मदाबाई गजराबाई सुमनबाई पुत्री श्रीपत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	67		2.070	2.070		0.800	0.800
43	प्रेम पिता रामकिशन जानुबाई पुत्री रामकिशन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/1		1.130	1.130		0.550	0.550
44	शेरु पिता कालू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/2		1.210	1.210		0.210	0.210
45	तुलसाबाई पुत्री हरचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69		0.340	0.340		0.100	0.100
46	ओंकार पिता महाटिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70	2.130		2.130	0.400		0.400
47	प्रभुलाल पिता चुन्नीलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	74	1.950		1.950	0.900		0.900
48	चुन्नीलाल पिता रुपचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	76		1.660	1.660		0.300	0.300
49	थावसीबाई पति नरसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	77	0.560		0.560	0.560		0.560
50	थावसीबाई पति नरसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	78	1.120		1.120	0.420		0.420
51	हिरालाल पिता रुपचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	80		1.210	1.210		0.200	0.200
52	गुलाम मुर्तजा पिता करीम उल्ला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	84		1.310	1.310		0.600	0.600
53	सुमद्राबाई पति कमलचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/3		10.000	10.000		3.500	3.500
54	विधाबाई पति सखाराम, श्यामराव, रामराव पिता उमराव, अनारकली, सुकमनी पुत्री उमराव भूमि स्वामी उमराव पिता रामा पता नि. डाबा भूमि स्वामी	87		1.330	1.330		0.600	0.600
55	विधाबाई पति सखाराम, श्यामराव, रामराव पिता उमराव, अनारकली, सुकमनी पुत्री उमराव भूमि स्वामी उमराव पिता रामा पता नि. डाबा भूमि स्वामी	89/7		0.450	0.450		0.450	0.450
56	रुपायबाई बेवा शोभाराम, हिरालाल पिता शोभाराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/1	1.780		1.780	0.700		0.700
57	मीठाराम पिता शोभ्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/2	1.200		1.200	0.500		0.500
58	श्यामराव, ब्रिजलाल, श्रीराम श्रवण पिता डोंगरसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/3		2.080	2.080		0.800	0.800
59	थावरिया पिता सुरला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/4		2.080	2.080		0.500	0.500
60	भीमसिंग पिता डुबला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/5		1.000	1.000		0.800	0.800
61	शांतीबाई पति ओंकार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/6	0.940		0.940	0.940		0.940
62	नूरजाबी पति शे. साहेबान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1		1.090	1.090		0.300	0.300
63	शे.रहमान पिता शे. इमाम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/2		1.090	1.090		0.300	0.300
64	शे.सुलेमान, शे. लुकमान, शे.रेहमान, शे. शाहबान, शे.आरमान, शे. फरमान पिता शे. इमाम जमिला, रजिया, अकिया पिता इमाम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	92	0.140		0.140	0.140		0.140
65	शे. अरमान पिता शे. इमाम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/3	1.090		1.090	0.600		0.600
66	काफीया खालुन पति मोलाना निजामुददीनपता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112	2.540		2.540	0.100		0.100

क्र.सं.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्र.	भूमि का रकबा हे.मे.			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.मे.		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	केसरबाई बेवा सिकंदार, अमरसिंग, राध्या पिता सिकंदार, सकरी, रंगई पुत्री सिकंदार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	121	1.810		1.810	0.200		0.200
68	रंगली पति हुडला, भागचंद, रेमा, भीमा, रानूबाई, रिच्छीबाई, भूरीबाई पिता हुडला, बिन्दीबाई पति कैलाश, मंगलेश, मुकेश पिता कैलाश पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	122/2		2.400	2.400		0.700	0.700
69	चुन्नु पुरन पिता बाबू सेवा. रेवाबाई पुत्री बाबू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	122/3		2.000	2.000		1.400	1.400
70	साहेब, लक्ष्मण, रामा पिता राजाराम, पमीबाई, नेमूबाई पुत्री राजाराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	122/4	0.800		0.800	0.200		0.200
71	बुधीबाई वि. रामदास, नारायण, नवलसिंग, पुरणसिंग पिता रामसिंग जानुबाई शांताबाई जयन्ताबाई पुत्री रामदास पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	123/1	3.100		3.100	1.000		1.000
72	बुधीबाई वि. रामदास पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	123/2	2.460		2.460	0.200		0.200
73	पुरनसिंग पिता रामदास पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	123/4	2.450		2.450	0.200		0.200
74	लाला पिता हिरा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	125		6.260	6.260		0.300	0.300
75	पन्नालाल पिता हरचंद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	140/1	2.450		2.450	0.100		0.100
76	केसरबाई पति प्रभुलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143/2	2.020		2.020	0.200		0.200
77	गंगाबाई पति बंडू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143/3	2.020		2.020	0.200		0.200
78	लखडीबाई पति हुस्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143/4	0.800		0.800	0.100		0.100
79	यमुबाई पति पन्नालाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143/6	1.200		1.200	0.050		0.050
80	झुमाबाई बेवा मोती हिरामन पिता मोती, लक्ष्मीबाई, ताराबाई पुत्री मोती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143/162	5.080		5.080	0.400		0.400
	(II) योग -		61.350	70.270	131.620	21.100	26.060	47.160
	(I) + (II) - कुल योग -		80.070	85.490	165.560	32.580	36.020	68.600

नोट - अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्धि या कमी हो सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेंद्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-30 अ-82-2017-18-मोजा सिंगारचावड़ी-51

बैतूल, दिनांक 03 जनवरी 2019

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	भैंसदेही	सिंगारचावड़ी	14.285	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म.प्र.)	सावन्याकोल जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	संतोष पिता छोटे जाति गौली सा. देह	59/4	1.591	1.091
2	रामपाल पिता छोटे जाति गौली सा. देह	59/1	1.592	1.450
3	लखन पिता छोटे जाति गौली सा. देह	59/3	2.024	1.861
4	बंटीलाल, अशोक, बलराम, अभिषेक नाबा.व. गुडदयाल वो वली गुडदयाल व. सूरतराम जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी	57/1	1.513	1.513

5	बिसराम पिता वहियात जाति गोंड सा. देह	56	0.376	0.296
6	सनान पिता माडू जाति गोंड सा. देह	55	0.413	0.202
7	राजेन्द्रसिंह अर्जुनसिंह प्रेमसिंह श्यामसिंग मन्नुसिंह व. बाबूसिंह बतसिया बेवा बाबूसिंह जाति ठाकूर सा. देह भूमिस्वामी	31/1	0.526	0.065
8	गुलबिया पिता फागू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	31/2/2	0.372	0.372
		37	0.287	0.040
		58	0.635	0.635
		35	0.020	0.020
9	सम्मर व. दुकाली जाति गोंड सा. देह	30	0.623	0.040
10	सम्मल पिता पांडू जाति गोंड सा. देह	8	3.889	0.016
11	मुन्ना व. झलकू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	33/1	0.104	0.104
		34/3		
12	भारत, सम्मू, मुन्ना व. चुन्नी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	33/2	0.020	0.020
		34/4		
13	हरकचंद नेकराम लक्ष्मण नानकराम व. बारीकराम जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी	52	0.409	0.289
14	भारत व. चुब्बी जाति गोंड सा. देह	51/5	0.366	0.350
15	सम्मू व. चुब्बी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	51/6	0.367	0.351
16	मुन्ना व. चुब्बी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	51/7	0.367	0.351
17	मंगू व. सुरका जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	51/4	1.150	1.100
18	बाला, बालकराम व. भंगी, झनको बुद्धो, मुन्नी व. भंगी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	51/3	1.176	1.176
19	धन्नू हन्नू नजरसा जुगन व. रंगू फूलसी बेवा रंगू सन्ती मंतो पिता रंगू जाति गोंड सा. देह	51/2	1.175	1.175
20	बारीक व. सूरका जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	51/1	1.768	1.768
योग --			20.763	14.285

(1) चूंकि सावन्त्याकोल लघु जलाशय योजना के बांध हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। जिसके कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही में किया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सज्जित नही करेगा।
समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-खरगौन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-11-भू-अर्जन-2019

:: अधिसूचना ::

खरगोन, दिनांक 09 जनवरी 2019

उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक इन्दौर/डब्ल्यू/335/महू-सनावद/02, दिनांक 06/11/2018 से "महू-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु" अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 रां 2013) के अध्याय 2 (अ) की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ खन्ना, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर, जिला-खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्माणित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

क्रं.	तहसील	ग्राम का नाम	प0ह0न0	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	बडवाह	कुरावद	22	1.481	"महू-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु"
2		बडवाह	48	0.470	
3		सिरलाय	46	0.162	
4		लोहारपुरा	45	1.082	
5		मनिहार	19	0.434	
6		खोडी	43	0.823	
7		बलवाडा	24	1.011	
		योग:-	—	5.463	

नोट:-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- 2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाह एवं उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक-19-भू-अर्जन-2019

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "महू-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	बडवाहा	सिरलाय	0.162	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर	"महू-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु"

नोट:-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- 2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाहा एवं उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक-18-भू-अर्जन-2019

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "महू-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	बडवाहा	बडवाहा	0.470	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर	"महू-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु"

"महू-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य के अंतर्गत ग्राम-बडवाहा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
1	2
53/1, 83/2, 75/1, 82/1, 103/1, 104	0.470
योग:-06	0.470

नोट:-

- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाहा एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक-20-भू-अर्जन-2019

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	बडवाहा	लोहारपुरा	1.082	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर	"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु"

"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य के अंतर्गत ग्राम-लोहारपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
1	2
15, 16/4, 18/3, 28, 40, 60, 42/2, 42/3, 42/5, 42/8	1.082
योग:-10	1.082

नोट:-

- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाहा एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक-22-भू-अर्जन-2019

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मूख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मै)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	बडवाहा	खोडी	0.823	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर	"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु"

"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य के अंतर्गत ग्राम-खोडी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. मै)
1	2
80/2, 81/1, 81/2, 90/1, 96/1, 97	0.823
योग:-06	0.823

नोट:-

- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाहा एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-खरगोन एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-21-भू-अर्जन-2019

खरगोन, दिनांक 09 जनवरी 2019

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें रांलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	बड़वाहा	मनिहार	0.434	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर	"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु"

-: अनुसूची (2) :-

"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य के अंतर्गत ग्राम-मनिहार की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
1	2
24 / 1, 27 / 8, 27 / 9, 27 / 10, 27 / 11, 27 / 12, 27 / 13, 28 / 3, 28 / 2, 28 / 7, 1 / 2	0.434
योग:-11	0.434

नोट:-

- 1- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाहा एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-17-भू-अर्जन-2019

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उका भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	बडवाहा	कुरावद	1.481	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर	"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु"

-: अनुसूची (2) :-

"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य के अंतर्गत ग्राम-कुरावद की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
1	2
71/1, 71/2, 94/1, 95/1, 94/2, 95/2, 94/3, 95/3, 94/4, 95/4, 102, 104/1, 104/2, 104/3	1.481
योग:-14	1.481

नोट:-

- 1- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाहा एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक-23-भू-अर्जन-2019

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आंशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मै)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	बडवाहा	बलवाडा	1.011	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इ.दौर	"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु"

-: अनुसूची (2) :-

"महू-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य के अंतर्गत ग्राम-बलवाडा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. मै)
1	2
451/1, 451/2, 452/1, 471/1, 473/573, 490/2, 491/1/1, 492/6, 491/5, 492/2, 492/1, 492/5, 492/7, 444	1.011
योग:-14	1.011

नोट:-

- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाहा एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इ.दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास
तहसील-मऊगंज जिला-रीवा मध्यप्रदेश

क्रमांक-205-भू-अर्जन-कार्य-18-19

मऊगंज, दिनांक 14 जनवरी 2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	कोरिगवां 155 पटवारी हल्का 34 जिलहडी, रा.नि.म. नईगढ़ी, तहसील-नईगढ़ी	सन्तोषकुमार दही प्रसाद हनुमान प्रसाद कृष्णकुमार पि.इन्द्रमणि प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मगनिया भूमि स्वामी	92	2.379	0.068
2		सुरेश कुमार दिनेश कुमार नरेश कुमार पि. महावीर जाति काछी पता सा.देह भूमिस्वामी	88	1.789	0.076
3		बसन्ती पति रामनरेश जाति ब्रा. पता सा. मगनिया भूमि स्वामी	84	0.854	0.041
4		बसन्ती पति रामनरेश जाति ब्रा. पता सा. मगनिया भूमि स्वामी	80	0.991	0.029
5		रामदरश पि. बृजभान रामनरेश राजेश नामा. वली पि. बृजभान जाति लोहार पता सा. देह भूमि स्वामी	79/1	0.061	0.047
6		बृजभान पि. कुमार जाति लोहार पता सा. देह भूमि स्वामी	79/2	0.061	
7		जयराम शिवराम पि. रामसेवक जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	79/3/क	0.109	
8		म.रजमन्ती बेवा रामावतार, रामयस, रामनाथ पि. रामावतार जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	79/3/ख	0.562	

9	रामसिया पि. रामखेलावनम्. रजमनिया बेवा बेवा काशी विश्वनाथ इन्द्रलाल पि. काशी जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	79/4	0.170	
10	रामसिया पि. रामखेलावन जाति काछी पता पता सा. देह भूमि स्वामी	79/5	0.162	
11	श्यामलाल पि. शिवबालक हि. 4/9कामता राजधर पि. शिवबालक हि. 2/9 जाति कर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	78/1	0.494	0.001
12	जयराम शिवराम पि. रामसेवक जाति कर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	78/2	0.308	
13	जमना प्रसाद पि. वीरभान जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	115/1	0.166	
14	इश्वरदीन पि. जगन्नाथ जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	115/2	0.166	
15	म.रजमन्ती बेवा रामावतार,रामयस,रामनाथ पि. रामावतार जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	115/3	0.109	0.060
16	रामलल्लू पि. रामप्रगास जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	115/4	0.219	
17	रामलल्लू पि. रामप्रगास जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	73	0.081	0.009
18	जगदीश प्रसाद पि. शिवमन्गल जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	72	0.113	0.001
19	जगदीश प्रसाद पि. शिवमन्गल जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	71	0.089	0.021
20	इश्वरदीन पि. जगन्नाथ जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	57/1	0.309	
21	कामता प्रसाद पि.शिवमन्गल जाति कर्मी पता पता सा.देह भूमि स्वामी	57/2	0.202	0.045
22	जगदीश प्रसाद पि. शिवमन्गल जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	57/3	0.202	
23	जगदीश प्रसाद पि. शिवमन्गल जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	56	0.105	0.020
24	इश्वरदीन पि. जगन्नाथ जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	46/1	0.049	
25	अरुणा देवी पति शिवभजन जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	46/2	0.024	0.024
26	अरुणा देवी पति शिवभजन जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	46/3	0.024	
27	जमनाप्रसाद पिता वीरभान जाति कर्मी पता पता सा.देह भूमि स्वामी	47	0.129	0.001
28	मंगल पि. धर्मदास जाति कर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	43/1	0.037	
29	रामाश्रय पि. बृद्धसेन जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	43/2	0.019	0.016
30	बृद्धसेन पि. सूर्यभान जाति कर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	43/3	0.019	
31	राजमणि पि. कालू जाति कर्मी पता सा. देह देह भूमि स्वामी	42	0.154	0.032
32	मंगल पि. धर्मदास जाति कर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	37/1	0.046	
33	रामाश्रय पि. बृद्धसेन जाति कर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	37/2	0.023	0.016
34	बृद्धसेन पि. सूर्यभान जाति कर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	37/3	0.024	

35	मंगल पि. धर्मदास जाति कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	16/1	0.114	0.024
36	शासकीय	16/2	0.016	
37	रामाश्रय पि. बृहसेन जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	16/3	0.056	
38	बृहदसेन पि. सूर्यभान जाति कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	16/4	0.057	
39	बंशगोपाल गोपीनाथ मुन्जालाल पि. गंगा म्. मल्लिया बेवा गंगा हि. 1/8 बंशपति प्रसाद लोकमणि बृहसेन पि. जमना हि. 7/8 7/8 जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	7/1	2.025	0.091
40	सूदामा प्रसाद पि. चन्द्रभान राम जाति ब्रा. पता सा. दुवगवा भूमि स्वामी	7/1/क	0.137	
41	सूदामा प्रसाद पि. चन्द्रभान राम जाति ब्रा. पता सा. दुवगवा भूमि स्वामी	7/1/ख	0.069	
42	बंशपति प्रसाद लोकमणि बृहसेन पि. जमना जमुना जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	7/2	0.101	
43	शासकीय	7/2/क	0.040	
44	लल्लू प्रसाद पि. चकौडी जाति काछी पता सा. नरैनी भूमि स्वामी	7/3	0.129	
45	गन्गा प्रसाद जोखलाल पि. अयोध्या प्रसाद जाति काछी पता सा. नरैनी भूमि स्वामी	7/4	0.129	
46	जमना रामसेवक पि. छोटकईलू जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	7/5	0.081	
47	शासकीय	6/1	0.142	
48	जमना पि. छोटकईलू जाति काछी पता सा. सा. नरैनी भूमि स्वामी	6/2	0.040	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	48 किता	13.385	0.624
1	शासकीय	5	0.312	0.011
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.312	0.011
	अ + ब का योग-	कुल 49 किता	13.697	0.635

क्रमांक-206-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	झलवार 360 , पटवारी हल्का 12 झलवार, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	अन्जनी कुमार पि.कृवेरराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	793/1/क	0.158	0.036
2		अनसूइया प्रसाद पिता कृवेरराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	793/1/ख	0.296	
3		अनसूइया प्रसाद पिता कृवेरराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	793/2	0.045	
4		शासकीय	793/3	0.053	
5		म० महरजवा वेवा अंजनी कुमार राजेन्द्र कुमार परूषोत्तम प्रसाद पि० अंजनी कुमारजाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	794	0.930	0.032
6		रामलाल तनय चन्द्रशेखरप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	795	0.930	0.040
7		अनसूइया प्रसाद पिता कृवेरराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	1024	0.567	0.038
8		वैकुण्ठ प्रसाद तनयरामदलारे जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	1091/1/1023	0.097	0.015

9	चन्द्रभूषण प्रसाद पिता रामयश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1091/2/1/10 23	0.067	
10	राधेश्याम पिता रामयश जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	1091/2/2/10 23	0.200	
11	म. राजदलारी, बेवा राजधर सिंह गोविन्द नारायण सिंह विजयबहादुर सिंह विजयपाल सिंह राकेश सिंह बंकबहादुर सिंह विनोद सिंह पि. राजधर सिंह म. उमा सिंह बेवा सुखेन्द्र सौरव सिंह गौरव सिंह पि. सुखेन्द्र सिंह सेगर पता सा. देह भूमि स्वामी	1090/1/1/10 23	0.085	
12	शिवप्रसाद पिता चंद्रशेखर प्रसाद ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1090/1/2/10 23	0.085	0.016
13	म. ललिता सिंह, बेवा रामलाल नारेन्द्र सिंह सुधीर सिंह अमित सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पि. रामलाल सिंह म. गुलाबकली बेवा कमलभान सिंह कृष्णपाल सिंह विष्णुपाल सिंह पि. कमलभान सिंह म. कशुमकली बेवा शोभनाथ सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1090/2/1023	0.170	
14	वेकन्ठ प्रसाद तनय रामदलारे जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	1023/1	0.198	
15	चन्द्रभूषण प्रसाद पिता रामयश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1023/2/1	0.129	0.022
16	अखिलेश पि. संखराम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	1023/2/2	0.069	
17	छोटे लाल पि. रामप्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1034	0.474	0.017
18	रामयश वेकन्ठ प्रसाद पिता रामदलारे जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	1035/1/क	0.300	
19	संस्कृत प्रसाद पि. रघुनाथ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	1035/1/ख	0.291	
20	शासकीय	1035/2/1	0.053	0.039
21	जमुना पि. बुध्दी जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी	1035/2/2	0.242	
22	देवीदीन तनय सूर्यभान प्र. जाति ब्रा. पता सा. शिवपुर भूमि स्वामी	1035/3	0.886	
23	म. लीलावती, बेवा राजाराम अमरीश अयनीश कुमार पि. राजाराम जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1016/1	0.202	
24	रामनरेश पि. यमुना प्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1016/2	0.202	
25	कमलबहादुर पिता शेषमणि जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1016/3/1	0.048	
26	कमलेश्वर पिता शेषमणि जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1016/3/2	0.049	0.025
27	जोखलाल पिता नवेदाप्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1016/4	0.502	
28	छोटे लाल पि. रामप्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1016/5	0.069	
29	अजीत पिता रामचन्द्र जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1016/6	0.125	
30	लालमणि पिता सरयू जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1013/1/क	0.020	0.056

31	छोटेलाल पि. रामप्रसाद जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/1/ख	0.162	
32	राधिका प्रसाद पिता रामकुमार जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/1/ग	0.139	
33	म. लीलावती, बेवा राजाराम अमरीश अचनीश कुमार पि. राजाराम जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/2/क	0.125	
34	रामनरेश पि. यमुना प्रसाद जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/2/ख	0.125	
35	सुभाष प्रसाद पिता शेषमणि जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/2/ग/1	0.049	
36	शासकीय	1013/2/ग/2	0.004	
37	जोखुलाल पिता नवदाप्रसाद जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/2/घ	0.053	
38	छोटेलाल पि. रामप्रसाद जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/2/ङ	0.049	
39	तीरथ प्रसाद तनय सीताराम जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1013/3	0.141	
40	अखिलेश पि. संखराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	1011/1	0.409	0.043
41	संस्कृत प्रसाद पि. रघुनाथ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	1011/2	0.413	
42	शेषमणि पिता गंगा प्रसाद जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	1012	0.271	0.011
43	वैकुण्ठ प्रसाद तनयरामदुलारे जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	1025	0.243	0.012
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग--	43 किता	9.725	0.402
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग--		0.000	0.000
	अ + ब का योग--	कुल 43 किता	9.725	0.402

क्रमांक-207-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	नरैनी 522 पटवारी हल्का 35 पुरवा, रा.नि.म. नईगढ़ी, तहसील-नईगढ़ी	राजवहोरनसिंह पि.हरभगतसिंह लालमणि सिंह पि.महावीर सिंह शंभूसिंह श्यामवहादुर सिंह पि. दलवीर सिंह भूमि स्वामी बैजनाथ सिंह मणिराज सिंह पि.चेतराज सिंह बैजकुमारी सुकुला कुमारी सुधिया कुमारी माधुरी कुमारी भूमि स्वामी वृधियाकुमारी पि.जगजीवनसिंह विजयबहादुरसिंह लालमणिसिंह पि.हरिनाथ सिंह इतराजकुमारी वेवा इन्द्रभानसिंह भूमि स्वामी मणिराज सिंह बृजराज सिंह गजराजसिंह वलराजसिंह पि.इन्द्रभान सिंह कन्हई मोहन लूछी पि.रामदास भूमि स्वामी दुअसिया वेवा रामाकेमला प्रसाद जगदीश प्रसाद वृजलाल सिया कुसुमसन्तोष पि.रामा भूमि स्वामी मोती वेवा यजभान वडकिया वेवा राधेप्रसाद पुष्पराम नारेन्द्र सुरेन्द्र पि.राधेप्रसाद भूमि स्वामी बद्री जमुना मनवोध फलवसुआ वोधनी वतसिया पि.सूर्यदीन सुखमन्ती वेवा शोभई भूमि स्वामी जोखई पि.शोभई रामावतार छठिलाल विशाले सकुना पि.शभकरण भूमि स्वामी शिवनाथ भुइलौ रतुआ लुटनी पि. सरजप्रसाद मुन्नालाल पि.जगदीश गयादीन पि.रघुनन्दन शोभनाथ पि.गोपाल भूमि स्वामी परमेश्वर जगेश्वरछकौड़ी रामपियारे वेनी पि. रामहित भगवनियावेवा जोधी भूमि स्वामी शेषमणि पि.जोधी राजधर रामकुमार पि.रामावतार रामकिशोर समई वैजनाथ पि.गंगा भूमि स्वामी रामचरन पि. वीरवल इन्द्रलाल पि.वालगोविन्द चरनलाल समई पि. द्वारिका पता सा.देह भूमि स्वामी	217/1	1.113	0.008

2	पुसई वेवा मलर जोखीलाल पि. मलर1/2नवेदा रामसेवकरामनिहोरपि. रामेश्वर1/2 पता सा.देह 1/2 भाग भूमि स्वामी	217/2	0.101	
3	जोखीलाल गंगाप्रसाद पि.जोधी जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	153/1	0.101	0.028
4	जमुना पि.छोटकईलु पता सा.देह भूमि स्वामी	153/2	0.101	
5	जोधी लल्ला पि.छकोडीमु वेवा बुध्दसेन गणेश प्र. दीनेश प्र.गुडीया पि.बुध्दसेन पता सा.देह 1/2 भाग भूमि स्वामी कन्हई मोहन लुकी पि. रामदास दुअसिया वेवा रामदास लक्ष्मीनिया वेवा रामदास कैमला प्रसाद भूमि स्वामी जगदीश प्रसाद वृजभान नर्मदा कुसुम सन्तोष पि.रामा मौली वेवा यज्ञभानजोखई पि.शोभई भूमि स्वामी सुखमन्ती वेवा शोभई रामावतार छठिलाल विशाले कुसुम पि.शुभकरण बड़किया वेवा राधे भूमि स्वामी प्रागराज गोविन्दसुरेन्द्र पि.राधे जमुना वदी मनवोध फुलवसुआ वोधनी वतसिया जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	152/1	0.133	0.030
6	रामसेवक नवेदा रामनिहोरपि.रामेश्वर पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी रामसेवक नवेदा रामनिहोर पि. रामेश्वर पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल पि.जग्यदीन जमुना पिता छोटकईलु पता सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल पि.जग्यदीन पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	152/2	0.377	
7	दमरी श्यामलाल पि. जोखू भूमि स्वामी	150/1	0.489	0.037
8	दमरी श्यामलाल पि. जोखू भूमि स्वामी	150/2	0.085	
9	सरजप्रसाद मुन्नालाल पि.जग्यदीन चन्द्रशेखर रामसिया पि.शोभनाथ विश्वनाथ पि. गयादीन जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	150/3	0.040	
10	दमरी श्यामलाल पि.जोखू पता सा.देह 3/4 भाग भूमि स्वामी जमुना पि.छोटकईलु पता सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी	150/4	0.162	0.047
11	दमरी श्यामलाल पि. जोखू भूमि स्वामी	148/1	0.248	
12	जोखीलाल गंगाप्रसादपि.जोधी जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	148/2	0.101	
13	वैजनाथ पि.वद्रीप्रसाद जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	148/3	0.101	
14	जोधी पि.छकोडी पता सा.देह भूमि स्वामी	148/4	0.085	
15	दमरी श्यामलाल पि. जोखू भूमि स्वामी	148/5	0.107	0.001
16	मु.तेरसी वेवा वेनी पता सा.देह भूमि स्वामी	149/1	0.024	
17	दमरी श्यामलाल पि. जोखू भूमि स्वामी	149/2	0.118	
18	म. हिन्दूराज सिंह , बेवा शंकर सिंह शेर बहादुर सिंह शिवबहादुर सिंह तच्छराज सिंह पि. शंकर सिंह म. पारवती सिंह बेवा रामराज सिंह म. गीता बेवा राजबहादुरसिंहबिवेकसिंह अभिसेष सिंह नाबा. बली माता गीता सिंह जयबहादुर सिंह विजय सिंह पि. रामराज सिंह रामबती श्यामा पि.भोला पता सा.देह भूमि स्वामी	146	1.011	0.047

19	सूर्यभानु पि. रतन जाति चमार पता सा. बदिगवाँ भूमि स्वामी	145/1/1	0.046	0.037
20		145/1/2	0.047	
21	रामसेवक नवेदाप्रसादरामनिहोर पि.रामेश्वर जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	145/2	0.252	
22	अयोध्या प्रसाद राजमणि श्रीनिवास पि. विशेषर प्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	145/3	0.384	
23	सूर्यभानु पि. रतन जाति चमार पता सा. बदिगवाँ भूमि स्वामी	145/4/1	0.085	
24		145/4/2	0.084	
25	राजवहोरनसिंहपि.हरमगलसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	132/1	2.075	0.077
26	शिवनाथ पि.सरजू जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	132/2	0.053	
27	शिवनाथ प्रसाद पि. सरजू काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	131	1.352	0.060
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	27 कित्ता	8.875	0.372
1	शासकीय	218	0.186	0.034
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 कित्ता	0.186	0.034
	अ + ब का योग-	कुल 28 कित्ता	9.061	0.406

क्रमांक-208-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	बैजला 759 पटवारी हल्का 36 जोरौट, रा.नि.म. नईगढ़ी, तहसील-नईगढ़ी	गंगा पि.भगवत 1/3 भाग भूमि स्वामी गया पि.महगू 1/3 भाग भूमि स्वामी जोधी पि. महावीर जाति तेली पता सा.जोरौट 1/3 भाग भूमि स्वामी	848	0.053	0.006
2		रामबहोर, भैयालाल हुब्बलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि.रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	847/1/क	0.051	0.036
3		रविशकर पि. रामफल जाति ब्रा. पता सा. भरिगवां भूमि स्वामी	847/1/ख	0.050	
4		आशुतोष पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	847/2	0.105	
5		हुब्बलाल पि.रामसुन्दरराम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	847/3	0.206	
6		शिवानन्द पि. केमलाराम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	846/1	0.077	0.019

7	सन्तोष कुमार, रोषमणि बूजकिसोर पि. अम्बिका प्रसाद रामराघव रामदरस, रामसुफल, रामरक्षा पि. गैवीनाथ 1/2 भाग भूमि स्वामी जगदम्बा प्रसाद पि. तीर्थ प्रसाद 1/2 भाग भूमि स्वामी 1/2 हि.	846/2 ✓	0.081	
8	शंखमणि, राजेन्द्र प्रद्युम्न रमेश अजनी नागेश्वर विद्यासागर पि. रघुनाथ प्रसाद मु. बेदवती बेवा रघुनाथ प्रसाद हि. 1/3 सुरेशमणि, रुकमिणि प्रसाद हीरालाल पि. महावीर, हि. 1/3 मटुक-धारी पि. शोभनाथ राम हि. 1/3 जाति ब्रा. पता सा. जोरोट भूमि स्वामी	826	0.166	0.018
9	रमेश कुमार, दिनेश कुमार उमेश कुमार पि. महेशप्रसाद बेवा आरधनापति हरप्रसाद रामगोपाल कृष्ण कुमार पि. हरप्रसाद हर्षलाल शिवप्रसाद पि. ईश्वरदीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	824	0.117	0.018
10	प्रभात कुमार, आषीष कुमार पि. सिद्धमुनि जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	821/1	0.040	0.002
11	शकुन्तला पति रामनरेश जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	821/2	0.016	
12	रमेश कुमार, दिनेश कुमार उमेश कुमार पि. महेशप्रसाद बेवा आरधनापति हरप्रसाद रामगोपाल कृष्ण कुमार पि. हरप्रसाद हर्षलाल शिवप्रसाद पि. ईश्वरदीन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	823/1	0.397	0.040
13	श्रीमती रमरजुआ पति हृब्बलाल जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	823/2	0.065	
14	बेवा शान्ती, श्रीकान्त नीलेश कुमार विजयकान्त पि. शेषमणि सूर्यप्रताप पि. जमुनाराम, प्रभात कुमार आशीष कुमार पि. सिद्धमुनि जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	819/1	0.057	0.005
15	रावेन्द्रनाथ पि. कमलाराम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	819/2	0.061	
16	सिद्धमुनि सिद्धगोपाल रोहिणी राजमणि राजधर पि. रामचन्द्र भूमि स्वामी इन्द्रपाल इन्द्रमणि इन्दल गोविन्द पि. रामबहादुर भूमि स्वामी रामफल पि. प्रमोदरामराजेन्द्र पि. रामछबीले लालता ग्रीस पि. रामनाथ जगतबहादुर पि. प्रमोदराम भूमि स्वामी इन्द्रकली पति लोकनाथ रघुनाथ मटुकधारी पि. शोभनाथ सुरेश रुकमिणि हीरालाल पि. महावीररामकली बेवा महावीर भूमि स्वामी रमेश कुमार दिनेश कुमार उमेश कुमार पि. महेश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	819/3	0.117	
17	सन्तोष कुमार, रोषमणि बूजकिसोर पि. अम्बिका प्रसाद रामराघव रामदरस, रामसुफल, रामरक्षा पि. गैवीनाथ 1/2 भाग भूमि स्वामी जगदम्बा प्रसाद पि. तीर्थ प्रसाद 1/2 भाग भूमि स्वामी 1/2 हि.	783/1	0.306	0.015
18	रामाश्रय, कौशलप्रसाद पि. महावीर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	783/2	0.302	
19	रामबहोर, भैयालाल हृब्बलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि. रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	782/1	0.121	0.004

20	आशुतोष पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	782/2	0.024	
21	रामबहोर, भैयालालहुब्बलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि. रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	781	0.194	0.013
22	रामबहोर, भैयालालहुब्बलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि. रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	780	0.069	0.003
23	रामलल्लू, पि. शिवमूर्तिराम 2/5 भाग भूमि स्वामी हीरालाल, महादेव मु. चन्द्रवती पति लालमणि शकुन्तला पि. लालमणि पि. शिवमूर्ति राम जाति ब्रा. पता सा. देह 3/5 भाग भूमि स्वामी	779/1	0.101	
24	रामबहोर, भैयालालहुब्बलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि. रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	779/2	0.696	0.041
25	लक्ष्मीकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	779/3/क	0.255	
26	रामावतार पि. श्यामसुन्दर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	779/3/ख	0.324	
27	रामलल्लू, पि. शिवमूर्तिराम 2/5 भाग भूमि स्वामी हीरालाल, महादेव मु. चन्द्रवती पति लालमणि शकुन्तला पि. लालमणि पि. शिवमूर्ति राम जाति ब्रा. पता सा. देह 3/5 भाग भूमि स्वामी	772	0.931	0.036
28	रामलल्लू, पि. शिवमूर्तिराम 2/5 भाग भूमि स्वामी हीरालाल, महादेव मु. चन्द्रवती पति लालमणि शकुन्तला पि. लालमणि पि. शिवमूर्ति राम जाति ब्रा. पता सा. देह 3/5 भाग भूमि स्वामी	777/1	0.154	
29	रामबहोर, भैयालालहुब्बलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि. रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	777/2	0.024	0.011
30	विजयकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	777/3	0.024	
31	रामलल्लू, पि. शिवमूर्तिराम 2/5 भाग भूमि स्वामी हीरालाल, महादेव मु. चन्द्रवती पति लालमणि शकुन्तला पि. लालमणि पि. शिवमूर्ति राम जाति ब्रा. पता सा. देह 3/5 भाग भूमि स्वामी	775	0.113	0.022
32	हीरालाल, महादेव पि. शिवमूर्ति राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	736	0.514	0.009
33	हरिवश पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	737/1/क	0.119	
34	विजयकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	737/1/ख	0.125	
35	आशुतोष पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	737/1/ग	0.125	0.024
36	लक्ष्मीकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	737/1/घ	0.125	
37	कृष्णाकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	737/1/ङ	0.125	

38	रामबहोर, भैयालालहुबबलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि. रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	737/2	0.202	
39	रामबहोर, भैयालाल हुबबलाल, भोलाप्रसाद रामाश्रय पि. रामसुन्दर राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	738/1	0.867	0.042
40	फुलवसुआ पति रामाधार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	738/2	0.216	
41	हरिवश पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	738/3/क	0.045	
42	विजयकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	738/3/ख	0.040	
43	कृष्णाकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	738/3/ग	0.032	
44	लक्ष्मीकान्त पि. रामावतार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	738/3/घ	0.033	
45	रामलल्लू, पि. शिवमूर्तिराम 2/5 भाग भूमि स्वामी हीरालाल, महादेव मु. चन्द्रवती पति लालमणि शकुन्तला पि. लालमणि पि. शिवमूर्ति राम जाति ब्रा. पता सा. देह 3/5 भाग भूमि स्वामी	774	0.154	
46	मु. फुलवसुआ वेवा रामाधार राममिलन रामभुवन पि. रामाधार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	740/1	0.446	0.006
47	शासकीय	740/2	0.004	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	47 कित्ता	8.469	0.376
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 47 कित्ता	8.469	0.376

क्रमांक-209-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	बहेरी काटन 711 पटवारी हल्का 26 ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज	रंगनाथ कौशलप्रसाद पिता छोटकाईराम जाति बा. पता सा.बहेरी चौवान भूमि स्वामी	8	2.169	0.020
2		रंगनाथ कौशलप्रसाद पिता छोटकाईराम जाति बा. पता सा.बहेरी चौवान भूमि स्वामी	9	2.490	0.020
3		राजेश्वरी प्रसाद पि.गंगा प्रसाद जाति कलार पता सा.बहेरी चौवान भूमि स्वामी	10/1/1	0.303	0.029
4		प्रवीण कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/1/2	0.202	
5		प्रमोद कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/1/3	0.110	
6		प्रमोद कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/2	0.202	

7*	प्रवीण कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/3/1	0.102		
8	तारेन्द्र कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/3/2	0.303		
9	राजेश्वरी प्रसाद पि.गंगा प्रसाद जाति कलार पता सा.वहेरी चौवान भूमि स्वामी	11/1/क/1	0.073	0.033	
10	प्रवीण कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/क/2	0.073		
11	प्रमोद कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/क/3	0.065		
12	तारेन्द्र कुमार पिता गंगा प्रसाद जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/क/4	0.073		
13	स्निहोदकुमारपि.रामप्रपन्न जाति ब्रा. पता सा.वहेरी चौवान भूमि स्वामी	11/1/ख	0.202		
14	स्निहोदकुमारपि.रामप्रपन्न जाति ब्रा. पता सा.वहेरी चौवान भूमि स्वामी	11/2/1	0.406		
15	मनोज कुमार पिता रामप्रपन्न ब्रा० जाति ब्रा० पता सा० देह भूमि स्वामी	11/2/2/1	0.166		
16	बृजेन्द्र कुमार पिता रामप्रपन्न जाति ब्रा० पता सा० देह भूमि स्वामी	11/2/3	0.407		
17	श्रीनिवास पिता रामप्रपन्न जाति ब्रा पता सा० देह भूमि स्वामी	12/1	0.090		0.019
18	मनोज कुमार पिता रामप्रपन्न ब्रा० जाति ब्रा पता सा० देह भूमि स्वामी	12/2	0.238		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	18 किता	7.674	0.121	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000	
	अ + ब का योग-	कुल 18 किता	7.674	0.121	

क्रमांक-210-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	तरौडा 425, पटवारी हल्का 9 तडौरा, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	कमलभान सिंह पि. अमरजीत सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	428/1 शा.ख.न. 422 मे	0.000	0.044
2		बालेन्द्र कुमार पि.महीपति सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	428/2 शा. ख.न. 425/2 मे	0.000	
3		कमलभान पि. अमरजीत सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	428/3 शा. ख.न. 421/1 मे	0.000	
4		कमलभान पि. अमरजीत सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	424 शा. ख.न. 421/1 मे	0.000	0.013
5		शासकीय	420/1	0.040	0.018
6		बालेन्द्र कुमार पि.महीपति सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	420/2/क	0.085	
7		विनोद सिंह पि. महीपति सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	420/2/ख	0.109	
8		राजवली सिंह पि. अमरजीत सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	420/3	0.045	

9	कमलभान पि. अमरजीत सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	420/4	0.040	
10	महेन्द्र सिंह पि.शोभनाथ सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	420/5	0.049	
11	मृगेन्द्र सिंह,बृजभूषण सिंह पि.चन्द्रभूषण सिंह जाति क्षत्रीय पता सा.देह भूमि स्वामी	418/1/क	0.081	
12	रघुपति सिंह पि.यदुनाथ सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	418/1/ख/1	0.020	
13	सुशील सिंह पि.यदुनाथ सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	418/1/ख/2	0.020	
14	सुरेश सिंह पि.यदुनाथ सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	418/1/ख/3	0.020	
15	रबी सिंह पि.यदुनाथ सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	418/1/ख/4	0.020	
16	कामता सिंह,शिवदयाल सिंह पि.सूर्यभानसिंह शिवमूरति सिंह छत्रपती सिंह पि. बहादुर सिंह शोभनाथ सिंह पि.सुखदेव सिंह सम्पति सिंह शिवभगत सिंह हरभगत छोटेलाल पि. बल्लदेवसिंह तिलकधारी सिंह पि. रतनसिंह हीरामणि सिंह सुरेन्द्र सिंह लल्लु सिंह पि.राजा सिंह दलवीर सिंह पि. सुखदेव सिंह जाति क्षत्रिय पता सा.देह भूमि स्वामी	418/2	0.619	0.097
17	कामता सिंह,शिवदयाल सिंह पि. सूर्यभान सिंह शिवमूर्ति सिंह छत्रपती सिंह पि. बहादुर सिंह दलवीर सिंह शोभनाथ पि. सुखदेव सिंह सम्पति सिंह छोटेलाल सिंह शिवभगत सिंहहरभगत सिंह पि. बल्लदेव सिंह तिलकधारी सिंह पि.रतन सिंहहीरामणि सुरेन्द्र सिंह सुरेश सिंह पि. राजा सिंहपता सा. देहभूमि स्वामी	418/3	0.559	
18	शोभनाथ सिंह पि. सुखदेव सिंह जाति क्षत्रिय पता सा.देह भूमि स्वामी	418/4	1.051	
19	अरूण प्रताप पिता छत्रपति ंसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	418/5	0.486	
20	मंगलेश्वर सिंह पि. शिवमुरति सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	418/6/क	0.202	
21	अनिल सिंह पि.शिवमूर्ति पता सा. देह भूमि स्वामी	418/6/ख	0.101	
22	अनिल कुमार पि. शिवमूर्ति सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	418/6/ग	0.202	
23	मृगेन्द्र सिंह,बृजभूषण सिंह पि.चन्द्रभूषण सिंह जाति क्षत्रीय पता सा.देह भूमि स्वामी	417/1	0.202	
24	सुरेश सिंह पि.राजा सिंह जाति क्षत्रीय पता सा.देह भूमि स्वामी	417/2	0.295	0.018
25	सुरेन्द्र सिंह पि.राजासिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	417/3	0.295	
26	विश्वनाथ सिंह पिता तिलकधारी जाति क्षत्री पता सा.देह भूमि स्वामी	551/1	0.040	0.005

27	कामता सिंह, शिवदयाल सिंह पि. सूर्यभानसिंह शिवमूरति सिंह छत्रपती सिंह पि. बहादुर सिंह शोभनाथ सिंह पि. सुखदेव सिंह सम्पति सिंह शिवभगत सिंह हरभगत छोटेलाल पि. बल्देवसिंह तिलकधारी सिंह पि. रतनसिंह हीरामणि सिंह सुरेन्द्र सिंह लल्लू सिंह पि. राजा सिंह दलवीर सिंह पि. सुखदेव सिंह जाति क्षत्रिय पता सा. देह भूमि स्वामी	551/2	0.045	
28	कामता सिंह, शिवदयाल सिंह पि. सूर्यभान सिंह शिवमूर्ति सिंह छत्रपती सिंह पि. बहादुर सिंह दलवीर सिंह शोभनाथ पि. सुखदेव सिंह सम्पति सिंह छोटेलाल सिंह शिवभगत सिंह हरभगत सिंह पि. बल्देव सिंह तिलकधारी सिंह पि. रतन सिंह हीरामणि सुरेन्द्र सिंह सुरेश सिंह पि. राजा सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	551/3	0.045	
29	शोभनाथ सिंह पि. सुखदेव सिंह जाति क्षत्रिय पता सा. देह भूमि स्वामी	551/4	0.085	
30	अरूण प्रताप पिता छत्रपति ंसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	551/5	0.040	
31	अनिल कुमार पि. शिवमूर्ति सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	551/6	0.024	
32	सुरेश सिंह पि. राजा सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	551/7	0.081	
33	सुरेन्द्र सिंह पि. राजासिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	551/8	0.081	
34	यदुनाथ सिंह पिता तिलकधारी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	552/1	0.583	0.028
35	रविबहादुर सिंह पि. शिवमूरत सिंह जाति क्षत्री पता सा. देह भूमि स्वामी	552/2	0.142	
36	सरोज सिंह पि. गोपाल शरण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	553/1	0.142	
37	शिवराज सिंह पि. हरिनाथ सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	553/2	0.142	
38	बृजमोहन सिंह पि. छत्रजीत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	553/3	0.085	0.001
39	गोविन्दनारायण, भूपनारायण राघवेन्द्र पि. जगत बहादुर सिंह मु. शान्ती बेवा जगतबहादुर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	553/4	0.113	
40	मनोज सिंह पिता गोपाल शरण सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	554/1/क	0.283	
41	सरोज सिंह पि. गोपाल शरण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	554/1/ख	0.081	0.039
42	शिवराज सिंह पि. हरिनाथ सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	554/2	0.364	
43	बृजमोहन सिंह पि. छत्रजीत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	555	0.769	0.038
44	गोविन्दनारायण, भूपनारायण राघवेन्द्र पि. जगत बहादुर सिंह मु. शान्ती बेवा जगतबहादुर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	556	0.502	0.027
45	मणिराज सिंह, पुष्परज सिंह पि. तेजवली सिंह जाति क्षत्रिय पता सा. देह भूमि स्वामी	558/1	0.373	0.024

46	म.उर्मिला सिंह, बेवा मथुरा सिंह धर्मेन्द्र सिंह पि. मथुरा सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	558/2	0.236	
47	दिनेश सिंह पि. हरिनाथ सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	558/3	0.232	
48	बृजमोहन सिंह पि. छत्रजीत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	558/4	0.535	
49	गोविन्दनारायण, भूपनारायण राघवेन्द्र पि. जगतबहादुर सिंह मु. शान्ती बेवा जगतबहादुर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	558/5	0.470	
50	बृजमोहन सिंह पि. छत्रजीत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	559/1	0.061	0.003
51	गोविन्दनारायण, भूपनारायण राघवेन्द्र पि. जगतबहादुर सिंह मु. शान्ती बेवा जगतबहादुर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	559/2	0.125	
52	मु० नैबसिया, बेवा अयोध्या प्रसाद अच्छेलाल जयलाल पिता अयोध्या प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	352/1	0.170	0.020
53	श्रीमती शशी पति सुदामा प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. फरहदा भूमि स्वामी	352/2	0.344	
54	दिवाकर सिंह, अरूण प्रताप सिंह उर्फ मोहन सिंह घनश्याम सिंह शैलेन्द्र सिंह पि. गणेश प्रताप सिंह पता सा. टीकट, तह. चुरहट, जिला -सीधी भूमि स्वामी	351	0.073	0.005
55	शिवराज सिंह पि. बंशबहादुर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	345/1/1	0.067	0.024
56	रविराज सिंह पिता बंशबहादुर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	345/1/2	0.067	
57	दिवाकर सिंह, अरूण प्रताप सिंह उर्फ मोहन सिंह घनश्याम सिंह शैलेन्द्र सिंह पि. गणेश प्रताप सिंह पता सा. टीकट, तह. चुरहट, जिला -सीधी भूमि स्वामी	345/2/क	0.995	
58	शिवराज सिंह पि. बंशबहादुर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	345/2/ख/1	0.099	
59	रविराज सिंह पिता बंशबहादुर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	345/2/ख/2	0.099	
60	राजबहोर, इन्द्रपति पिता भूषणदास जाति कोल पता सा. भाँटी भूमि स्वामी	345/2/ग	0.149	
61	सुदामा, रामलखन पि. मनबहोर जाति आहिर पता सा. पटपरा भूमि स्वामी	345/2/घ	0.149	
62	अच्छेलाल जयलाल पि. अयोध्या जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	345/3	0.243	
63	लालमणि, श्यामलाल अमृतलाल पि. सुदर्शन पटेल जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	349/1/क	0.049	0.003
64	अच्छेलाल, जयलाल पि. अयोध्या पटेल जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	349/1/ख	0.032	
65	अच्छेलाल, जयलाल पि. अयोध्या पटेल जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	349/2	0.016	
66	लालमणि, श्यामलाल अमृतलाल पि. सुदर्शन पटेल जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	350/1/क	0.401	0.039
67	अच्छेलाल, जयलाल पि. अयोध्या पटेल जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	350/1/ख	0.268	
68	अच्छेलाल, जयलाल पि. अयोध्या पटेल जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	350/2	0.129	

69	रविराज सिंह पिता बंशबहादुर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/1/क/1	0.224	0.024
70	मुन्ना ंसिह पिता बंशबहादुर ंसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/1/क/2	0.155	
71	सुदामा, रामलखन पि. मनवहोर जाति अहिर पता सा. पटपरा भूमि स्वामी	338/1/ख	0.069	
72	रामबली पि. जगतधारी जाति कोल पता सा. देह भूमि स्वामी (अहस्तातर्णीय)	338/2/क/1	0.244	
73	लालमणि पि. भगवत कोल जाति कोल पता सा. देह भूमि स्वामी (अहस्तातर्णीय)	338/2/क/2	0.100	
74	हरिभगत सिंह पि. छोटेलाल सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	338/2/ख/1	0.145	
75	रामकृष्ण पि. लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	338/2/ख/2	0.202	
76	रामबली पि. जगतधारी जाति कोल पता सा. देहभूमि स्वामी(अहस्तातर्णीय)	339/1	0.089	0.004
77	रविराज सिंह पिता बंशबहादुर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	339/2/क/1	0.024	
78	मुन्ना ंसिह पिता बंशबहादुर ंसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	339/2/क/2	0.014	
79	सुदामा, रामलखन पि. मनवहोर जाति अहिर पता सा. पटपरा भूमि स्वामी	339/2/ख	0.010	
80	बृजमोहन सिंह पि. छत्रजीत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	326/1	0.219	0.034
81	श्रीमती शशी पति सुदामा प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. फरहदा भूमि स्वामी	326/2	0.218	
82	रामकृष्ण पि. लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/1	0.283	0.061
83	रामकृष्ण पि. लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/2	0.053	
84	मु0 नेबसिया, बेवा अयोध्या प्रसाद अच्छेलाल जयलाल पिता अयोध्या प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/3	0.174	
85	मु0 नेबसिया, बेवा अयोध्या प्रसाद अच्छेलाल जयलाल पिता अयोध्या प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/4	0.405	
86	गीता देवी पति रामकृष्ण पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/5	0.121	
87	रामकृष्ण पि. लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/6	0.129	
88	नेबसिया पत्नी अयोध्या प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/7	0.097	
89	रामकृष्ण पि. लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/क/8	0.057	
90	रामकृष्ण पि. लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/1/ख	0.202	
91	रामकृष्ण पि. लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	236/2	0.202	
92	विसर्जन, छोटेलाल पि. नरमदा पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	241/1	0.898	0.086

93	त्रिवेणी प्रसाद कमेश्वर सन्तोषपि.पिताम्बर जाति कुर्मी पता सा.पटपरा भूमि स्वामी	241/2/क/1	0.222	
94	रामकृष्ण पि.लक्ष्मण प्रसाद पटेल जाति कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	241/2/क/2	0.450	
95	अभिनय प्रसाद पि.रामकृष्ण पटेल जाति कुर्मी पता सा.अकौरी तह.सिरमौर भूमि स्वामी	241/2/ख	0.223	
96	रामसेवक पि. कन्हैयालाल जाति कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	241/3/क/1	0.223	
97	प्रदीप कुमार पि. कन्हैयालाल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	241/3/क/2	0.227	
98	अभिनय प्रसाद पि.रामकृष्ण पटेल जाति कुर्मी पता सा.अकौरी तह.सिरमौर भूमि स्वामी	241/3/ख	0.445	
99	लम्बरदार पि.हरिदीन पटेल जाति कुर्मी पता सा.ढनगन भूमि स्वामी	254/1/क	0.105	
100	श्यामलाल पि.रामकिशोर जाति कुर्मी पता सा.ढनगन भूमि स्वामी	254/1/ख/1	0.057	0.004
101	रामगरीब पि.रामकिशोर जाति कुर्मी पता सा. ढनगन भूमि स्वामी	254/1/ख/2	0.052	
102	विसर्जन,छोटेलाल पि.नर्मदा पटेल जाति कुर्मीपता सा.देह भूमि स्वामी	254/2	0.069	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	102 किता	19.977	0.659
1	शासकीय	325	1.797	0.017
2	शासकीय	324	1.558	0.042
3	शासकीय	419	0.312	0.004
4	शासकीय	323	1.076	0.007
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	4.743	0.070
	अ + ब का योग-	कुल 106 किता	24.720	0.729

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास
तहसील-मऊगंज जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक-211-भू-अर्जन-कार्य-18-19

मऊगंज, दिनांक 14-01-2019

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	शुकुलगावां 992 पटवारी हल्का 10 शुकुलगावां रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	हरीनारायण पि.मधुसूदन शक्ला जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	455/1	0.304	0.030
2		हरीनारायण पि.मकसूदन प्रसादजाति ब्रा.पता सा.वरातीभूमि स्वामी	455/2	0.304	
3		रमाकान्त पि.बैजनाथ जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	455/3	0.298	
4		वशमणि प्रसाद पि.श्यामलालजाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	456	0.425	0.015
5		वशमणि प्रसाद पि.श्यामलाल जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	457/1	0.198	0.012
6		श्यामवती,बेवा रामाधार बाकेबिहारी श्यामबिहारी रामबिहारी अजरबिहारी पि. रामाधार 1/2 भाग भूमि स्वामी हरिकृष्ण, छोटेलाल, वट्टीवेनीमाधो, त्रिवेणी रामप्रसन्न पि. ईश्वरीराम जाति ब्रा. पता सा.वराती 1/2 भाग भूमि स्वामी	457/2	0.198	
7		वशमणि प्रसाद पि.श्यामलाल जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	458/1	0.065	0.003
8		श्यामवती,बेवा रामाधार बाकेबिहारी श्यामबिहारी रामबिहारी अजरबिहारी पि. रामाधार 1/2 भाग भूमि स्वामी हरिकृष्ण, छोटेलाल, वट्टी वेनीमाधो, त्रिवेणी रामप्रसन्न पि.ईश्वरीराम जाति ब्रा. पता सा.वराती 1/2 भाग भूमि स्वामी	458/2	0.069	

9	शशीकान्त पि.कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	459/1	0.239	0.022
10	हरीनारायण पि.मकसूदन प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	459/2	0.478	
11	रमाकान्त पि.बैजनाथ जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	469/1/क	0.250	
12	शशीकान्त पि.कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.वराती भूमि स्वामी	469/1/ख	0.129	0.037
13	मानसिंह पि.सम्पतिसिंह जाति संगर पता सा.देह भूमि स्वामी	469/2	0.188	
14	सत्यभान सिंह पि. सम्पति सिंह जाति संगर पता सा.देह भूमि स्वामी	468	0.539	0.033
15	निमला सिंह पति दिनकर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	483	0.757	0.014
16	सूर्यभान सिंह पि.बलिकरण सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	484	0.753	0.017
17	जितेन्द्र सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	545/483	0.138	0.055
18	दिवाकर सिंह पि.हीरामणि सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	415/1/क	0.198	
19	दिवाकर सिंह पि.हीरामणि सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	415/1/ख	0.275	
20	दिवाकर सिंह पि.हीरामणि सिंह पता सा.देहभूमि स्वामी	415/1/ग	0.198	0.033
21	सत्यभान सिंह पि. सम्पति सिंह जाति संगर पता सा.देह भूमि स्वामी	415/2/1	0.041	
22	दीनदयाल पिता विशेषर जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	415/2/2	0.202	
23	दिवाकर सिंह पि.हीरामणि सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	417/1/क	0.125	
24	दिवाकर सिंह पि.हीरामणि सिंहपता सा.देह भूमि स्वामी	417/1/ख	0.129	
25	सत्यभान सिंह पि. सम्पति सिंह जाति संगर पता सा.देह भूमि स्वामी	417/2/1	0.203	
26	सिद्धमूनि पिता नवदा साह पता सा देह भूमि स्वामी	417/2/2	0.121	0.004
27	सिद्धमूनि पि. नवदा जाति साह पता सा.देह भूमि स्वामी	417/3	0.142	
28	सिद्धमूनि पिता नवदा प्रसाद जाति तेली पता सा. देह भूमि स्वामी	417/4	0.101	
29	निमला कुशवाहा पति छोटेलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	417/5	0.101	
30	रामावतार, पि.विहारीलाल हि.1/2,शारदा उर्फ छोटकिया वेवा वीरभान रामसजीवन अयोध्या प्रसादराजेश्वरी प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद महेन्द्र प्रसाद पि.वीरभान हि.1/2 जाति ब्रा. पता सा.हरैया भूमि स्वामी	397	0.267	0.019
31	मोतीलाल सिंह पि.रविकरण सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	398/1	0.065	
32	निमला सिंह पति दिनकर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	398/2	0.129	0.017
33	दिवाकर सिंह पि.हीरामणि सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	398/3	0.065	

34	रामावतार, पि.विहारीलाल हि.1/2,शारदा उर्फ छोटकिया वेवा वीरभान रामसजीवन अयोध्या प्रसादराजेश्वरी प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद महेन्द्र प्रसाद पि.वीरभान हि.1/2 जाति ब्रा. पता सा.हरैया भूमि स्वामी	399	0.914	0.050
35	महेन्द्रकमार पि.वीरभान जाति ब्रा. पता सा.हरैया भूमि स्वामी	400	0.490	0.027
36	लूसरू पि.दलारे बसोर अहस्तातरणीय पता सा.देह भूमि स्वामी	388	0.459	0.026
37	सुखलाल पि.चन्द्र चमार अहस्तातरणीय पता सा.देह भूमि स्वामी	387	0.450	0.003
38	तेजभान सिंह पि.दलवीर सिंह जाति क्षत्रीय पता सा.तड़ौरा भूमि स्वामी	386/1/1	0.037	0.035
39	ददन सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/1/2	0.036	
40	बुद्धसेन सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/1/3	0.037	
41	राजभान सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/1/4	0.036	
42	राजप्रताप सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/1/5	0.036	
43	तेजभान सिंह पि.दलवीर सिंह जाति क्षत्रीय पता सा.तड़ौरा भूमि स्वामी	386/2/1	0.076	
44	ददन सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/2/2	0.076	
45	बुद्धसेन सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/2/3	0.076	
46	राजभान सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/2/4	0.076	
47	राजप्रताप सिंह पिता दलवीर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/2/5	0.077	
48	अखण्ड प्रताप सिंह पि.छत्रपती सिंह वनाफर जाति क्षत्रीय पता सा.तड़ौरा भूमि स्वामी	386/3	0.192	
49	तिलकधारी सिंह पि.रतनसिंह होरामणि सिंह, सुरेन्द्रसिंह सुरेशसिंह पि.राजसिंह म. वेवा राजसिंह वनाफर पता सा.तड़ौरा भूमिस्वामी	386/4	0.121	
50	अरूण प्रताप सिंह पिता छत्रपति सिंह वनाफर पता सा.तड़ौरा भूमि स्वामी	386/5	0.259	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	50 किता	11.142	0.452
1	शासकीय	416	0.121	0.005
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.121	0.005
	अ + ब का योग-	कुल 51किता	11.263	0.457

क्रमांक-212-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधियोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	भरिगवां 778, पटवारी हल्का 37 भरिगवां, रा.नि.म. नईगढ़ी, तहसील-नईगढ़ी	यजनारायण यज्ञदत्त पि.रामकृपाल जाति ब्रा. पता सा.पहरखा भूमि स्वामी	300	0.308	0.002
2		यजनारायण यज्ञदत्त पि.रामकृपाल जाति ब्रा. पता सा.पहरखा भूमि स्वामी	289	0.081	0.009
3		मु.पिन्की देवा गिरीशकुमार,लल्लुराम पिता रामलाल पंकजकुमार पि.गिरीशकुमार ना.वली माता पिन्की जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	288/1	0.020	0.011
4		अवधेशप्रसाद पि.रामदुलारे जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	288/2	0.020	
5			282/1	0.025	0.011
6		मु.देवा ममता पति रघुवश प्रसाद पता सा.पहरखा भूमि स्वामी	282/2	0.020	
7		रामयश पिता रामप्रकाश जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	283	0.061	0.002
8		रामयश पि. रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	281	0.065	0.011

9	रामानुग्रह पिता रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	265/1	0.109	0.033
10	रामयश पि. रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	265/2	0.271	
11	रामानुग्रह पिता रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	264	0.093	0.009
12	रामानुग्रह पिता रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	263/1	0.097	0.023
13	रामनरेश रामभुवनरामनारायण पि. रामकृपाल जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	263/2	0.150	
14	रामानुग्रह पिता रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	262/1	0.064	0.010
15	रामयश पि. रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	262/2	0.061	
16	रामानुग्रह पिता रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	261/1	0.085	0.018
17	रामयश पि. रामप्रगास जाति ब्रा. पता सा.देहभूमि स्वामी	261/2	0.085	
18	अंगिराप्रसाद पि.रामसुन्दर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	116	0.162	0.028
19	अंगिराप्रसाद पि.रामसुन्दर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	115	0.109	0.012
20	अंगिराप्रसाद पि.रामसुन्दर जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	112	0.162	0.002
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	20 कित्ता	2.048	0.181
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 20 कित्ता	2.048	0.181

क्रमांक-213-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उरूआ 78 पटवारी हल्का 5 घोरहा, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	श्रीमती कुशुमकली पति रामकैलाश जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	49/1	0.318	0.023
2		शासकीय	49/2	0.040	
3		अजय कुमार पिता स्व० बुद्धसेन मिश्र जाति ब्रा० पता सा० देह भूमि स्वामी	48/1	0.124	0.021
4		सुगमी बेबा केदारराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	48/2	0.220	
5		सुशीला पुत्री रामचंद्र पति सुर्दशन राम ब्रा० पता निवासी ग्राम खर्वा भूमि स्वामी	44/1/1	0.850	0.069
6		बद्रीनारायण पिता रामदास राम जाति ब्रा० पता सा० देह भूमि स्वामी	44/1/2	0.425	
7		शासकीय	44/2	0.121	

8	सुशीला पुत्री रामचंद्र पत्नि सुदर्शन राम ब्रा० पता निवासी ग्राम खर्वा भूमि स्वामी	45/1	0.098	0.007
9	बद्रीनारायण पिता रामदास राम जाति ब्रा० पता सा० देह भूमि स्वामी	45/2	0.081	
10	शिवगरीब पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	27/1	0.712	0.045
11	कौशलप्रसाद बशिनूप्रसादजानकीप्रसाद मुनि महेश पिता भोलाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	27/2	0.121	
12	सुगमी बेबा केदारराम जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	47	0.364	0.022
13	अशोक कुमार पि.रामलल्लू जाति ब्रा. पता सा.मुदरिया चौबान भूमि स्वामी	30/1	0.194	0.012
14	अशोक कुमार पि.रामलल्लू जाति ब्रा. पता सा.मुदरिया चौबान भूमि स्वामी	30/2	0.194	
15	शिवगरीब पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	31	0.380	0.038
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	15 कित्ता	4.242	0.237
	(ब) स. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 15 कित्ता	4.242	0.237

क्रमांक-214-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	जोरौट 358, पटवारी हल्का 36 जोरौट, रा.नि.म. नईगढ़ी, तहसील-नईगढ़ी	वृजवासकुमारी पति रामसुफलदेवानन्द ओमप्रकाश पि. रामसुफल महेन्द्र कुमार श्रवेन्द्र श्रवेन्द्र प्रसाद नरेन्द्र वीरेन्द्र पि. रामप्रसाद भूमि स्वामी जगदम्बा पि. रामसुमेर कल्याणी देवी पति सहसराम धवेश कर्मार धवकमार पि. सहसराम भूमि स्वामी दिलवास पति वृजनन्दन सुखचैन इन्द्रजीत अनुप पि. वृजनन्दन प्रेमवती पति रामप्रेम विजयशंकर राजेश कुमार पि. रामप्रेम 1/4 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र कुमार रोहिणी प्रसाद दिलीप कुमार रामसागर सन्तोष कुमार वसन्त कर्मारपि.रामकिर 1/4 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल सुरेश अवधेश रमेशप्रसाद पि. प्रहलाद प्रहलाद जाति बा. भूमि स्वामी सोमवती पति शेषमणि मनोज कुमार चन्द्रप्रकाश पि. शेषमणि शेषमणि जाति बा. 1/8 भाग भूमि स्वामी मु. अभीराजकुमारी पत्नी रामनिहार जाति बा. पता सा. पन्नी 1/8 भाग भूमि स्वामी राजवहोर राजकिशोर रामनिवास ललित प्र. पि.सुमन्तराम जाति बा. पता सा.पन्नी 1/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पति अम्बिका प्रसाद प्रसाद सतानन्द दयानन्द राजेन्द्र प्रसाद वंदप्रकाश पि. अम्बिका प्रसाद पता सा. पन्नी 1/4 भाग भूमि स्वामी	478	1.433	0.060

2	वृजवासकुमारी पति रामसुफल देवानन्द ओमप्रकाश पि. रामसुफल महेन्द्र कुमार श्वेन्द्र श्वेन्द्र प्रसाद नारेन्द्र वीरेन्द्र पि. रामप्रसाद भूमि स्वामी जगदम्बा पि. रामसुमेर कल्याणी देवी पति सहसराम धवेश कुमार धुवकमार पि. सहसराम भूमि स्वामी दिलवास पति वृजनन्दन सुखचैन इन्द्रजीत अनुप पि. वृजनन्दन प्रेमवती पति रामप्रेम विजयशंकर राजेश कुमार पि. रामप्रेम 1/4 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र कुमार रोहिणी प्रसाद दिलीप कुमार रामसागर सन्तोष कुमार वसन्त कुमार पि.रामकिंकर 1/4 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल सुरेश अवधेश रमेश प्रसाद पि.प्रहलाद जाति ब्रा. ब्रा. भूमि स्वामी सोमवती पति शेषमणि मनोज कुमार चन्द्रप्रकाश पि. शेषमणि जाति ब्रा. 1/8 भाग भूमि स्वामी म्. अभीराजकुमारी पत्नी रामनिहोर जाति ब्रा. पता सा.पन्नी 1/8 भाग भूमि स्वामी राजवहोर राजकिशोर रामनिवास ललितप्र.पि.सुमन्तराम जाति ब्रा. पता सा.पन्नी सा.पन्नी 1/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पति अम्बिका प्रसाद सतानन्द दयानन्द राजेन्द्र प्रसाद वदप्रकाश पि. अम्बिका प्रसाद पता सा. सा. पन्नी 1/4 भाग भूमि स्वामी	487	0.129	0.012
3	त्रिभुवननाथ राममिलन अच्युतानन्द रामदिनेश रामदिनेश पि. इन्द्रमणि तीर्थ प्रसाद रामजस पि. वंशमणि प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पन्नी भूमि स्वामी	488/1	0.065	0.011
4	हिन्दलाल रोहिणी प्रसाद रमागोविन्द प्रसाद पि. पि. भुवनेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पन्नी भूमि स्वामी	488/2	0.060	
5	रामकिंकर सुदर्शनराम जाति ब्रा. पता सा.पन्नी भूमि स्वामी	489	0.162	0.013
6	श्रीमती शकुन्तला देवी पति रामनेवाज राजेन्द्र प्रसाद राजकुमार पि. रामनेवाज जाति ब्रा. पता सा. पन्नी भूमि स्वामी	490/1	0.146	0.017
7	भोला उ फे रामसलोनेचन्द्रिका प्रसाद पि. रामानुज जाति ब्रा.पता सा.पन्नी भूमिस्वामी	490/2	0.081	
8	सुअउआ वेवा रामानुजभोला उफे रामसलोने चन्द्रिकाप्रसाद पि.रामानुज जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	484	0.239	0.011
9	लालमणिसिंह सूर्यवतीसिंहपि.हरिभजनसिंह 2/3 भाग भूमि स्वामी सज्जनसिंह हेमराज सिंहशैलेन्द्रसिंह पि.नरहर सिंह पता सा.देह 1/3 1/3 भाग भूमि स्वामी	506	0.117	0.011

10	वृजवासकुमारी पति रामसुफल देवानन्द ओमप्रकाश पि. रामसुफल महेन्द्र कुमार अवेन्द्र अवेन्द्र प्रसाद नारेन्द्र वीरेन्द्र पि. रामप्रसाद भूमि स्वामी जगदम्बा पि. रामसुमेर कल्याणी देवी पति सहसराम धवेश कुमार धवकुमार पि. सहसराम भूमि स्वामी दिलवास पति वृजनन्दन सुखचैन इन्द्रजीत अनूप पि. वृजनन्दन प्रेमवती पति रामप्रेम विजयशंकर राजेश कुमार पि. रामप्रेम 1/4 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र कुमार रोहिणी प्रसाद दिलीप कुमार रामसागर सन्तोष कुमार वसन्त कैमारपि.रामकिकर 1/4 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल सुरेश अवधेश रमेशप्रसाद पि. प्रहलाद प्रहलाद जाति बा. भूमि स्वामी सोमवती पति शेषमणि मनोज कुमार चन्द्रप्रकाश पि. शेषमणि शेषमणि जाति बा. 1/8 भाग भूमि स्वामी मु. अभीराजकुमारी पत्नी रामनिहारि जाति बा. पता सा.पन्नी 1/8 भाग भूमि स्वामी राजवहोर राजकिशोर रामनिवास ललितप्र.पि.सुमन्तराम जाति बा. पता सा.पन्नी 1/4 भाग भूमि स्वामी स्वामी शान्ती पति अम्बिका प्रसाद सतानन्द दयानन्द राजेन्द्र प्रसाद वंदप्रकाश पि. अम्बिका प्रसाद पता सा. पन्नी 1/4 भाग भूमि स्वामी	492	2.671	0.067
11	राहुल सिंह पि. सज्जन सिंह पता सा. देह भूमि भूमि स्वामी	507	1.352	0.050
12	लालमणिसिंह सूर्यवलीसिंहपि.हरिभजनसिंह 2/3 भाग भूमि स्वामी सज्जनसिंह हेमराजसिंहशैलेन्द्रसिंह पि.नरहर सिंह पता सा.देह सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	544/1	0.097	0.005
13	सुखराज कुमारी पति मनोहर सिंह बृजराज सिंह राजकरण सिंह बंशबहादुर सिंहपि.मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	544/2	0.093	
14	सुखराज कुमारी पति मनोहर सिंह बृजराज सिंह राजकरण सिंह बंशबहादुर सिंहपि.मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	543	0.798	0.001
15	राममणि चन्द्रमणि सूर्यमणि हीरामणि पि. वैजनाथ जाति बा. पता सा.देह भूमि स्वामी	545	0.065	0.017
16	चन्द्रवलीसिंह विशिवमगलसिंह पता सा.देह भूमि भूमि स्वामी	546	1.023	0.047
17	चन्द्रवलीसिंह विशिवमगलसिंह पता सा.देह भूमि भूमि स्वामी	550	0.101	0.021
18	महावीर दलप्रताप पि. बृजभान सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	551	0.636	0.047
19	महादेव पि.सुखदेव जाति चर्म. पता सा.देह भूमि स्वामी	590/1	0.010	
20	सुखराज कुमारी पति मनोहर सिंह बृजराज सिंह राजकरण सिंह बंशबहादुर सिंहपि.मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	590/2	0.305	0.060
21	राजकरण सिंह पि. मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	590/3	0.465	
22	कमलेश्वरसिंह मगलेश्वरसिंह पि.व्यारिका सिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	597	0.579	0.027

23	सुखराज कुमारी पति मनोहर सिंह बजराज सिंह राजकरण सिंह बंशबहादुर सिंहपि.मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	596/1	0.219	0.024
24	राजकरण सिंह पि. मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	596/2	0.199	
25	बंशबहादुर सिंह पि. मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	596/3	0.146	
26	जगमोहनसिंह पि.भानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	595	0.523	0.012
27	यज्ञप्रताप ,रामसुरेश राममणि पि. ठाकुरदीन 1/4 भाग भूमि स्वामी वैजनाथ पि. किशोर प्रतिभा पति मधुकर मनोज कुमार दीनानाथ सुशील कुमार पि. मधुकर रामाधार रामकुपाल रामखेलावन पि. सरजू रामदास समयलाल पि. पि.गुल्लू 1/4 भाग भूमि स्वामी विश्वनाथ पि.रंगीले देवा सुशीला पति छबीले उग्रसेन रामकशल पिता छबीले 1/4 भाग भूमि स्वामी गंगादीन पि.पहलूशोभनाथ जुगल किशोर पि.उजागर जाति तेली पता सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी	611	0.971	0.034
28	वृजराज सिंहपि.मनोहर सिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	610	1.469	0.031
29	आत्मसिंह पि.हरिहरसिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	612	1.437	0.021
30	रामानुज सिंह पि.रघुनन्दन सिंह जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	637	0.930	0.040
31	उपेन्द्र सिंह आत्मा सिंह पि. हरिहर सिंह जाति जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	636	0.219	0.021
32	आत्मसिंह पि.हरिहरसिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	635	0.631	0.029
33	श्रीमती रामवती पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	642	0.247	0.028
34	उपेन्द्र सिंह आत्मा सिंह पि. हरिहर सिंह जाति जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	650	0.150	0.010
35	उपेन्द्र सिंह आत्मा सिंह पि. हरिहर सिंह जाति जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	651	0.101	0.004
36	उपेन्द्र सिंह आत्मा सिंह पि. हरिहर सिंह जाति जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	652	0.295	0.015
37	उपेन्द्र सिंह आत्मा सिंह पि. हरिहर सिंह जाति जाति सेंगर पता सा. देह भूमि स्वामी	660	0.169	0.012
38	श्रीमती रामवती पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	659	0.174	0.013
39	श्रीमती रामवती पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	658	0.178	0.013
40	श्रीमती रामवती पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	656	0.186	0.003
41	श्रीमती रामवती पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	657	0.089	0.016
42	रामकली पति हरसुब्रह्मण मनोज विनोद पि.हरिसुब्रह्मण जाति बा.पता सा.देह भूमिस्वामी	246/1/1	0.184	0.029

43	शिवशरण पि. रामदर्श जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	246/1/2	0.184	
44	रामशरण पि.रामादर्श जाति ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	246/1/3	0.184	
45	देवेन्द्र पि. रामदर्श जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	246/1/4	0.184	
46	रश्मिपुत्र रामसुशीलतुलसी प्रसाद पि. रामचरित्र रामचरित्र 1/3 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र पि. रामाचार्य पता सा. देह 1/3 भाग भूमि स्वामी रामकली पति हरिसुब्रह्मण मनोज विनोद पि. हरिसुब्रह्मण सीताशरण शिवशरण रामशरण देवेन्द्र पि. रामादर्श जाति ब्रा. पता सा. देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	246/2	0.024	
47	रश्मिपुत्र पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	245/1/क	0.383	0.040
48	रामसुशील पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	245/1/ख	0.378	
49	शासकीय	245/2	0.041	
50	रामसुशील पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	243	0.138	0.019
51	रश्मिपुत्र पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	239	0.138	0.015
52	रश्मिपुत्र पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	238	0.251	0.012
53	रश्मिपुत्र पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	237	0.304	0.015
54	श्रीमती रनिया पतिरामाचार्य पता सा.देह भूमि स्वामी	232	1.246	0.057
55	शिवप्रसाद पि.कल्पदीन 1/3 भाग भूमि स्वामी मंगलेश्वर रामसखा रामसफल भानुप्रसाद चन्द्रिका प्र. सच्चिदानन्द म वेवासत्यशरण अनसुइया प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी सूर्यकान्त पि.रामसुन्दर 1/3 भाग भूमि स्वामी रामसुमेर पि.जयकरण राम जाति ब्रा. पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	225	0.987	0.081
56	तुलसी प्रसाद पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	224/1	1.088	0.008
57	श्रीमती रनिया पतिरामाचार्य पता सा.देह भूमि स्वामी	224/2	0.097	
58	सुभ्रउआ वेवा रामानुजभोला उर्फ रामसलोने चन्द्रिकाप्रसाद पि.रामानुज जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	505	0.129	0.011
59	रतना देवी पति श्रीनिवास ममता देवी पति दिनेश जाति कुर्मी पता सा. खुइवा भूमि स्वामी	504	0.077	0.005
60	कमलेश्वरसिंह मंगलेश्वरसिंह पि.व्दारिका सिंह जाति सेंगर पता सा.देह भूमि स्वामी	503/1/1	0.519	0.006
61	रतना देवी पति श्रीनिवास ममता देवी पति दिनेश जाति कुर्मी पता सा. खुइवा भूमि स्वामी	503/1/2	0.307	
62	राममणि चन्द्रमणि सूर्यमणिहीरामणि पि.वैजनाथ पि.वैजनाथ जाति ब्रा.पता सा.देहभूमिस्वामी	503/2	0.339	
63	रामसुशील पि. रामचरित्र जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	244	0.582	0.004
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	63 किता	26.595	1.105
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 63 किता	26.595	1.105

क्रमांक-215-भू-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	खुझवा उर्फ खजुरहा 199 पटवारी हल्का 5 घोरहा, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	नारायण प्रसाद, पुरुषोत्तम नरोत्तम प्रसाद जाति ब्रा.पता सा. कंधवार भूमिस्वामी	10/1/क	0.339	0.082
2		रामसखा पि.जमुना पता सा. देह भूमिस्वामी	10/1/ख	0.339	
3		गया प्रसाद, विश्वनाथ पि.गन्गा प्रसाद जाति ब्रा.पता सा. कंधवार भूमि स्वामी	10/1/ग	0.678	
4		बैजनाथ पि.जगदीश प्रसाद जाति कहार पता सा.देह भूमि स्वामी	10/2/क	0.190	
5		जगन्नाथ पि.जगदीश जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	10/2/ख	0.200	
6		रामऔतार पि.जगदीश प्रसाद जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	10/2/ग	0.190	
7		बैजनाथ रामऔतार जगन्नाथ पि.जगदीश जाति कहार पता सा.देह भूमि स्वामी	10/2/घ	0.024	

8	रामरथी, यज्ञलाल रामनिवास लालबहादुर मन्नालाल पि. रामविशाल, सुदामा अंगद रविराज रविराज पि. रामावतार सीताशरण पि. सरमन जाति कूर्मी पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	10/3	0.150	
9	रामकली पति रामशरण रामकृष्ण हरीप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद पि. रामशरण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	10/4/क	0.486	
10	रामचन्द्र पि. स्वामीशरण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	10/4/ख	0.486	
11	म. रामकली, पति रामशरण रामकृष्ण हरीप्रसाद राजेन्द्र प्रसाद पि. रामशरण जाति ब्रा. ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	10/5	0.760	
12	विश्वनाथ, मनिमहेश रामचन्द्र रामलाल बृजकिशोर पि स्वामीशरण म. गुलावकली वेवा स्वामीशरण जाति ब्रा. पता सा. कधवार भूमि स्वामी	10/6	0.477	
13	शिवानन्द नित्यानन्द पि. केदारनाथ जाति झा पता सा. कधवार भूमि स्वामी	10/7	0.061	
14	म. रामकली, पति रामशरण रामकृष्ण हरीप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद पि. रामशरण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	9/1	0.093	
15	अच्छे लाल, पि. शंभलायक कमलेश्वर पि. रामसिया रामसिया पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी भूमि स्वामी	9/2	0.061	0.017
16	हीरालाल, रामआश्रय जगदीस पि. सुदर्शनप्रसाद जाति पटेल पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	9/3	0.032	
17	म. रामकली, पति रामशरण रामकृष्ण हरीप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद पि. रामशरण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	8	0.785	0.030
18	रामरथी, यज्ञलाल रामनिवास लालबहादुर मन्नालाल पिता रामविशाल, शंभलायक पि. वृद्धिमान महरनिया पति रामसिया कमलेश्वर प्रसाद राजेश कुमार विनोद कुमार पिता रामसिया रामनरेश कासी पि. वट्टी जाति कूर्मी पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	6/1	0.620	
19	रघुनाथ, रामलखन काशी गंगा वैसाखू पि. गनपति जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी	6/2/क/1	0.109	
20	राजेश कुमार पि. रामसिया जाति कूर्मी पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	6/2/क/2	0.105	
21	काशी प्रसाद पि. रामपति जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	6/2/ख	0.053	0.071
22	राजेश कुमार पि. रामसिया जाति कूर्मी पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	6/3	0.267	
23	बैजनाथ पि. जगदीश प्रसाद जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	6/4/1	0.724	
24	जगन्नाथ पि. जगदीश जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	6/4/2	0.478	
25	रामऔतार पि. जगदीश प्रसाद जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	6/4/3	0.704	

26	रामरथी, यज्ञलाल रामनिवास लालबहादुर मन्नालाल पि. रामविशाल, सुदामा अंगद रविराज रविराज पि. रामावतार सीताशरण पि. सरमन जाति कमी पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमिस्वामी	3	1.331	0.111
27	अच्छे लाल, मि. शुभलायक कमलेश्वर पि. रामसिया रामसिया पता सा. खड़वा विस्वनाथ भूमिस्वामी	7/1	0.266	0.002
28	हीरालाल, रामआश्रय जगदीश पि. सुदर्शनप्रसाद जाति पटेल पता सा. खड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	7/2	0.373	
29	बैजनाथ पि. जगदीश प्रसाद जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	7/3	0.121	
30	जगन्नाथ पि. जगदीश जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	7/4	0.101	
31	रामऔतार पि. जगदीश प्रसाद जाति कहार पता सा. देह भूमि स्वामी	7/5	0.117	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	31 किता	10.720	0.313
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 31 किता	10.720	0.313

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास
तहसील-मऊगंज जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक-216-भू-अर्जन-कार्य-18-19

मऊगंज, दिनांक 14-01-2019

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	खुझवा सुअरहा 201	उमाशंकर पि.महावीर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	358/1	2.041	0.078
2	पटवारी हल्का 5 घोरहा, रा.नि.म.	शासकीय	358/2	0.040	
3	देवतालाब,	सुरेन्द्र सिंह, विजयवहादर जानेन्द्र सिंह पि.भूषण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	364/1	0.271	0.039
4	तहसील-मऊगंज	शासकीय	364/2	0.040	
5		सूर्यवली, यदुनाथ लवकेश पिता राजजीत, रमागोविन्द उमाकान्त श्रीनिवास दिनेश पिता मुनिराज केमली बेवा रामकुमार रमाकान्त रोहिणी पिता रामकुमार सुधादेवी पति नन्दलाल ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	311	0.324	0.026
6		मुन्द्रिका चंद्रिका चंद्रभूषण पि श्यामलाल ब्रा जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	310/1	0.101	0.022
7		गोविन्द, अरविन्द पिता बंदी बृजवासी चन्द्रशेखर पिता रामप्रसाद ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/2 शा0 खसरा नं0 314	0.332	

8	सूर्यवली, यदनाथ लवकश पिता राजजीत रमागोविन्द उमाकान्त श्रीनिवास दिनेश पिता मूनिराज केमली बेवा रामकुमार रमाकान्त रोहिणी पिता रामकुमार सधादेवी पति नन्दलाल ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/3	0.101	
9	फूलकुमारी पति सिद्धमनि, शैलेन्द्र प्रेमप्रकाश पिता सिद्धमनि किरण पति रमाध्यान सुभम शिवम पिता रमाध्यान शिवशंकर पिता राजभान ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/4	0.424	
10	गेंदल प्रसाद पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/1	0.135	0.004
11	रामसिया पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/2	0.134	
12	रामसुजान पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/3	0.135	
13	लक्ष्मिन पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/4	0.135	
14	गेंदल प्रसाद पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	222/1	0.149	
15	रामसिया पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	222/2	0.149	
16	रामसुजान पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	222/3	0.149	
17	लक्ष्मिन पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	222/4	0.148	
18	ऋषिराज सिंह पि.दलप्रताप सिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी केदार सिंह राजेन्द्र सिंह पि. वशपती सिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी इन्द्रजीत सिंह मान सिंह राजेन्द्र सिंह प्रभुनाथ सिंह रामराज सिंह वृद्धिमान सिंह पि.रामेश्वर सिंह जाति क्षत्री पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	223	0.247	0.019
19	सुरेन्द्र सिंह विजयवहादुर जानेन्द्र सिंह पि.भूषण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	224	0.206	0.001
20	ऋषिराजसिंह पि.दलप्रतापसिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी केदारसिंह राजेन्द्रसिंह पि.वशपती सिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी इन्द्रजीतसिंह मानसिंह राजेन्द्रसिंह प्रभुनाथसिंह रामराजसिंह वृद्धिमान सिंह पि.रामेश्वरसिंह जाति क्षत्री पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	225/1	0.142	0.017
21	विश्वनाथसिंह पि.चन्द्रसिंह जाति क्षत्री पता सा.देह भूमि स्वामी	225/2	0.053	
22	विमला सिंह पति वशराज सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	228/1	0.103	0.019
23	सुनीता देवी ऊर्फ आशा पाठक पति रविनाथ जाति ब्रा0 पता सा0 देह भूमि स्वामी	228/2	0.355	
24	विश्वनाथसिंह पि.चन्द्रसिंह जाति क्षत्री पता सा.देह भूमि स्वामी	229	0.336	0.018
25	गेंदल प्रसाद पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	230/1	0.040	0.017
26	रामसिया पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	230/2	0.039	

27	रामसुजान पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	230/3	0.040	
28	लक्ष्मिन पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	230/4	0.039	
29	गदल प्रसाद पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	231/1	0.115	0.021
30	रामसिया पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	231/2	0.115	
31	रामसुजान पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	231/3	0.116	
32	लक्ष्मिन पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	231/4	0.116	
33	विश्वनाथसिंह पि.चन्द्रसिंह जाति क्षत्री पता सा.देह भूमि स्वामी	232	0.825	0.054
34	मू. कौशल्या, बेवा फतेवहादुर सिंह दिवाकरु सिंह सन्तोष सिंह पि. फतेबहादुर सिंह शंकर सिंह भंवरसेन सिंह पि.सुदर्शन सिंह जाति क्षत्रीय पता सा.देह भूमि स्वामी	243	0.344	0.017
35	मुन्दिक्का चंद्रिका चंद्रभूषण पि श्यामलाल ब्रा जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	244	0.328	0.009
36	रमाशंकर पि.शिवानंद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	162/1/1	0.067	0.043
37	दयाशंकर पिता शिवानंद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	162/1/2	0.067	
38	उमाशंकर पि.महावीर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	162/2	0.285	
39	भुवनेश्वर सिंह, पि.दलप्रताप भूषण सिंह पि.रनजोर सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	157/1	0.529	0.044
40	भुवनेश्वर सिंह, पि.दलप्रताप भूषण सिंह पि.रनजोर सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	157/2	0.182	
41	सुरेन्द्र सिंह, विजयवहादुर ज्ञानेन्द्र सिंह पि.भूषण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	158	0.247	0.002
42	तेजवली सिंह, हरिशरण सिंह रामपाल सिंह अमरपाल सिंह सोमेश्वर सिंह पि.वृष्टिमान सिंह जाति क्षत्रीय 1/3 भाग भूमि स्वामी भुवनेश्वर सिंह पि.दलप्रताप सिंह हि. 1/3 भूषण सिंह पि.रनजोर सिंह जाति क्षत्री पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	156/1	0.170	0.005
43	रमाप्रताप सिंह पि.मुनीन्द्र सिंह जाति क्षत्री पता सा.बडोखर भूमि स्वामी	156/2	0.230	
44	तेजवली सिंह, हरिशरण सिंह रामपाल सिंह अमरपाल सिंह सोमेश्वर सिंह पि.वृष्टिमान सिंह जाति क्षत्रीय 1/3 भाग भूमि स्वामी भुवनेश्वर सिंह पि.दलप्रताप सिंह हि. 1/3 भूषण सिंह पि.रनजोर सिंह जाति क्षत्री पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	155	0.247	0.008
45	विष्णुदेव सिंह पि.गंगा सिंह जाति क्षत्रीय पता सा. देह भूमि स्वामी	150	0.227	0.010
46	केदारसिंह राजेन्द्रसिंह पि.वशपतीसिंह जाति क्षत्री पता सा.देह भूमि स्वामी	151	0.263	0.013
47	सुरेन्द्र सिंह, विजयवहादुर ज्ञानेन्द्र सिंह पि.भूषण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	144	0.182	0.020

48	कोंशिल्या बेवा फतेहबहादुर सिंह दिवाकर सिंह संतोष सिंह पिता फतेहबहादुर सिंह शंकर सिंह भवरसेन सिंह पिता सुदर्शन सिंह जाति क्षत्रिय पता सा.देह भूमि स्वामी	146	0.287	0.013
49	ऋषिराजसिंह पि.दलप्रतापसिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी केदारसिंह राजेन्द्रसिंह पि.वशपतीसिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी इन्द्रजीतसिंह मानसिंह राजेन्द्रसिंह प्रभुनाथसिंह रामराज सिंह वृद्धिमान सिंह पि.रामेश्वरसिंह जाति क्षत्री पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	145	0.336	0.010
50	सरोज सिंह पुत्री भवरसेन सिंह, विजय कुमार भूपेन्द्र सिंह मनोज कुमार सिंह, उपेन्द्र सिंह पिता भवरसेन सिंह जाति क्षत्री पता सा.देह भूमि स्वामी	52	0.409	0.017
51	तेजवली सिंह, हरिशरण सिंह रामपाल सिंह अमरपाल सिंह सोमेश्वर सिंह पि.वृद्धिमान सिंह जाति क्षत्रीय 1/3 भाग भूमि स्वामी भुवनेश्वर सिंह पि.दलप्रताप सिंह हि. 1/3 भूषण सिंह पि.रनजोर सिंह जाति क्षत्री पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	53	0.425	0.022
52	चन्द्रवती सिंह पति छत्रपतीसिंह जाति क्षत्रीय पता सा.देह भूमि स्वामी	54	0.696	0.034
53	गेंदल प्रसाद पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/1	0.044	0.021
54	रामसिया पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/2	0.044	
55	रामसुजान पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/3	0.045	
56	लक्ष्मिन पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/4	0.045	
57	गेंदल प्रसाद पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43/1	0.027	0.003
58	रामसिया पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43/2	0.027	
59	रामसुजान पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43/3	0.027	
60	लक्ष्मिन पिता बलदेव प्रसाद जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43/4	0.028	
61	मू.सुगनी बेवा अम्बिका अरुण हरीश प्रदीप अनिल पि.अम्बिका मार्तण्ड पि.जगन्नाथ सुखरजुआ बेवा लालता दअसिया सोमवती राजवती सुषमा कशुमकली पुत्री लालता प्रसाद रामकली पत्नी चन्द्रिका संगीता अनीता सुनीता पि.चन्द्रिका प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	58	0.409	0.003
62	तेजवली सिंह, हरिशरण सिंह रामपाल सिंह अमरपाल सिंह सोमेश्वर सिंह पि.वृद्धिमान सिंह जाति क्षत्रीय 1/3 भाग भूमि स्वामी भुवनेश्वर सिंह पि.दलप्रताप सिंह हि. 1/3 भूषण सिंह पि.रनजोर सिंह जाति क्षत्री पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	62	0.413	0.035

63	शुभलायक पिता बुद्धिमान , महरनिया पति रामसिया कमलेश्वर प्रसाद राजेश कुमार विनोद कुमार पिता रामसिया हि02/20 हीरालाल रामाश्रय जगदीश पिता सुदर्शन हि0 2/20 बट्टी पिता जगनन्दन रामनरेश काशी पिता बट्टी हि0 4/42 भूमि स्वामी रामावतार पिता गजाधर बलवन्त रामविशाल सुदामा रविराज पिता रामावतार सीताशरण पिता सरमन हि04/41 रामभाऊ पिता हरदयाल हि0 1/2 रामकिशोर पिता रामनिहोर हि0 2/20 जाति कर्मी पता सा खुड़वा वि0 भूमि स्वामी	63/1/क	1.098	0.086
64	रामनरेश काशी प्रसाद पि.बट्टी प्रसाद पटेल जाति कर्मी पता सा.खुड़वा विश्वनाथ भूमिस्वामी	63/1/ख	0.040	
65	शुभलायक ,पिता बुद्धिमान महरनिया पति रामसिया कमलेश्वर प्रसाद राजेश कुमार विनोद कुमार पिता रामसिया जाति पटेल पता सा.खुड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	63/2	0.185	
66	हीरालाल रामाश्रय जगदीश पि.सुदर्शन जाति कर्मी पता सा.खुड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	63/3	0.190	
67	शुभलायक पिता बुद्धिमान , महरनिया पति रामसिया कमलेश्वर प्रसाद राजेश कुमार विनोद कुमार पिता रामसिया हि02/20 हीरालाल रामाश्रय जगदीश पिता सुदर्शन हि0 2/20 बट्टी पिता जगनन्दन रामनरेश काशी पिता बट्टी हि0 4/42 भूमि स्वामी रामावतार पिता गजाधर बलवन्त रामविशाल सुदामा रविराज पिता रामावतार सीताशरण पिता सरमन हि04/41 रामभाऊ पिता हरदयाल हि0 1/2 रामकिशोर पिता रामनिहोर हि0 2/20 जाति कर्मी पता सा खुड़वा वि0 भूमि स्वामी	65/1/क	2.926	0.014
68	रामनरेश काशी प्रसाद पि.बट्टी प्रसाद पटेल जाति कर्मी पता सा.खुड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	65/1/ख	0.283	
69	शुभलायक ,पिता बुद्धिमान महरनिया पति रामसिया कमलेश्वर प्रसाद राजेश कुमार विनोद कुमार पिता रामसिया जाति पटेल पता सा.खुड़वा विश्वनाथ भूमि स्वामी	65/2	0.101	
70	हीरालाल रामाश्रय जगदीश पि.सुदर्शन जाति कर्मी पता सा.खुड़वा विश्वनाथ भूमिस्वामी	65/3	0.020	
71	शुभलायक पिता बुद्धिमान , महरनिया पति रामसिया कमलेश्वर प्रसाद राजेश कुमार विनोद कुमार पिता रामसिया हि02/20 हीरालाल रामाश्रय जगदीश पिता सुदर्शन हि0 2/20 बट्टी पिता जगनन्दन रामनरेश काशी पिता बट्टी हि0 4/42 भूमि स्वामी रामावतार पिता गजाधर बलवन्त रामविशाल सुदामा रविराज पिता रामावतार सीताशरण पिता सरमन हि04/41 रामभाऊ पिता हरदयाल हि0 1/2 रामकिशोर पिता रामनिहोर हि0 2/20 जाति कर्मी पता सा खुड़वा वि0 भूमि स्वामी	71/1	0.506	0.003
72	हीरालाल रामाश्रय जगदीश पि.सुदर्शन जाति कर्मी पता सा.खुड़वा विश्वनाथ भूमिस्वामी	71/2	0.073	

73^	सुरेन्द्र सिंह विजयवहादर जनेन्द्र सिंह पि.भूषण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	226	0.182	0.002
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	73 कित्ता	19.929	0.806
1	शासकीय	64	0.304	0.012
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 कित्ता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 73 कित्ता	19.929	0.806

क्रमांक-217-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	डिघवार 393, पटवारी हल्का 13 डिघवार, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	नारायण प्रसाद पि.मानधाता प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	197/1 शा.ख.न. 198,200/1	1.570	0.020
2		नारायण प्रसाद पि.मानधाता प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	197/2	0.146	
3		नारायण प्रसाद पि.मानधाता प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	198 शा.ख.न. 197/1 मे	0.000	0.039
4		नारायण प्रसाद पि.मानधाता प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	200/1 शा.ख.न. 197/1 मे	0.000	0.003
5		शासकीय	200/2	0.020	
6		अंजनीकुमारपि.रामखेलावन जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	204/1	0.251	0.038
7		सुभाष कुमार पि.रामचन्द्र जाति ब्रा. पता सा.बराती भूमि स्वामी	204/2	0.251	
8		रामसखा पि0 रामहित ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/1	0.065	0.011

9	बद्री प्रसाद पि0 रामहित जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	127/2	0.064	
10	सावित्रीदेवी पति गोपीनाथविमलादेवी पति द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	126	0.251	0.019
11	अन्जनी कुमार, शकर प्रसाद जानकी प्रसाद पि. हुब्बलाल मु.मुलुरी बेबा केशरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मलैगवां भूमि स्वामी	122	0.194	0.007
12	गंगा प्रसाद,काशी प्रसाद शिवप्रसाद रामायण प्रसाद अशोक कुमार अटलबिहारी पि गया प्रसाद मु.चन्द्रवती बेबा गया प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	121	0.271	0.003
13	अन्जनी कुमार, शकर प्रसाद जानकी प्रसाद पि. हुब्बलाल मु.मुलुरी बेबा केशरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मलैगवां भूमि स्वामी	112	0.182	0.012
14	मो0 इवराज अली पिता मो0 दमडीपता सा.देहभूमि स्वामी	113	0.134	0.009
15	विद्याधर पि.जमुनाराम जाति ब्रा. पता सा.मलैगवां भूमि स्वामी	115	0.542	0.014
16	विद्याधर पि.जमुनाराम जाति ब्रा. पता सा.मलैगवां भूमि स्वामी	119 शा ख न 115 में	0.000	0.014
17	विद्याधर पि.जमुनाराम जाति ब्रा. पता सा.मलैगवां भूमि स्वामी	120 शा ख न 115 में	0.000	0.016
18	मो. असीन तनय रमजान बक्स जाति मुसलमान पता सा.देह भूमि स्वामी	43/1/क	0.125	
19	जगमोहन पि.सूर्यदीन साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	43/1/ख	0.045	
20	निचका पि.बंशपती साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	43/1/ग	0.040	
21	किनका पि. वंशपती भूमि स्वामी	43/1/घ	0.040	0.047
22	राजेश्वरी प्रसाद पि. त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	43/2/क	0.097	
23	वीरेश कुमार अखिलेश कुमार ब्रजेश कुमार पि0 सुरसरि प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मलैगवां भूमि स्वामीवि.मु.	43/2/ख	0.283	
24	शिवकुमार पि. सुदामा राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	43/3	0.502	
25	पियारे पि.सूर्यदीन जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	37/1	0.433	
26	सावित्री,पति गोपीनाथ दीपक कुमार बेदप्रकाश पि.गोपीनाथ जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	37/2	0.218	0.037
27	सावित्री बेबा गोपीनाथ दीपक बेदप्रकाश पि.गोपीनाथ द्वारिका प्रसाद पि.हनुमान जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	37/3	0.126	

28	शारदा प्रसाद पि0 द्वारिका प्रसाद ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37/4	0.223	
29	सावित्री,पति गोपीनाथ दीपक कुमार बेदप्रकाश पि.गोपीनाथ जाति ब्रा. पता सा. देहभूमि स्वामी	37/5	0.210	
30	द्वारिका प्रसाद पि.हनुमान प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	37/6	0.210	
31	बृजेन्द्र कुमार पि.विष्णू प्रसाद ऊषा पति विष्णू प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	37/7	0.162	
32	चन्द्रेश्वरी प्रसाद पि.कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	37/8	0.166	
33	वीरेश कुमार अखिलेश कुमार ब्रजेश कुमार पि0 सुरसरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. मलैगवां 1/2 भाग भूमि स्वामी मुन्डा पि. रामवक्स जाति तेली पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी	35/1	0.764	0.035
34	बालमुकुन्द पि.झिगवा जाति तेली पता सा. देह भूमि स्वामी	35/2	0.077	
35	सन्तोष कुमार पि. झिगवा जाति तेली पता सा. देह भूमि स्वामी	35/3	0.077	
36	जगन्नाथ पि.सूर्यदीन जाति कलार पता सा.देह भूमि स्वामी	33	0.506	0.018
37	युञ्जशरन पि.जगन्नाथ जाति कहार पता सा.डिघवार भूमि स्वामी	30/1	0.338	
38	त्रिवेणीप्रसादपि.जगन्नाथ जाति कहार पता सा.डिघवार भूमि स्वामी	30/2	0.338	0.046
39	जगजाहिर पि.जगन्नाथ जाति कहार पता सा.डिघवार भूमि स्वामी	30/3	0.339	
40	मु.सोमवती,वेवा अयोध्याप्रसाद श्रीकान्त,सन्तोष अशोक पि.अयोध्या प्रसाद भूमि स्वामी राजावती, निर्मला पि. अयोध्या प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	24/1	0.263	0.037
41	शिवकुमार पि. सुदामा राम जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	24/2	0.526	
42	गंगाप्रसाद,शिवप्रसादकाशीप्रसाद पि. गयाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	34	0.979	0.005
43	राजेश्वरी प्रसाद पि. त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	20/1/1	0.833	
44	उदितनारायण पिता राजेश्वरी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	20/1/2	1.620	0.038
45	गोकरण पि.बुद्धसेन महावीरपि. प्रेमधारी, रामगोपाल पि.बेलू पता सा.देह भूमि स्वामी	20/2	0.101	
46	शासकीय	20/3	0.020	

47	बैजनाथ,पि.परमेश्वर प्रेमवती पत्नी कामता प्रसाद उमेश मनीष सुमन खुसबू महिमा पिता कामता प्रसाद बेनीमाधव मेवालाल पि.श्यामलाल जाति वानी पता सा.देह भूमि स्वामी	19/1 शा.न.18/1मे	0.000	
48	बैजनाथ,पि.परमेश्वरप्रेमवती पत्नी कामता प्रसाद उमेश मनीष सुमन खुसबू महिमा पिता कामता प्रसाद बेनीमाधव मेवालाल पि.श्यामलालजाति वानी पता सा.देह भूमि स्वामी	19/2 शा.न.18/2 मे	0.000	0.034
49	बैजनाथ,पि.परमेश्वरप्रेमवती पत्नी कामता प्रसाद उमेश मनीष सुमन खुसबू महिमा पिता कामता प्रसाद बेनीमाधव मेवालाल पि. श्यामलाल जाति वानी पता सा.देह भूमि स्वामी	19/3 शा. ख.न. 18/3 मे	0.000	
50	बैजनाथ,पि.परमेश्वर प्रेमवती पत्नी कामता प्रसाद उमेश मनीष सुमन खुसबू महिमा पिता कामता प्रसाद बेनीमाधव मेवालाल पि.श्यामलाल जाति वानी पता सा.देह भूमि स्वामी	18/1 शा.ख.न.19/1	0.882	
51	बैजनाथ,पि.परमेश्वरप्रेमवती पत्नी कामता प्रसाद उमेश मनीष सुमन खुसबू महिमा पिता कामता प्रसाद बेनीमाधव मेवालाल पि.श्यामलाल जाति वानी पता सा.देहभूमि स्वामी	18/2 शा.न.19/2	0.886	0.026
52	बैजनाथ,पि.परमेश्वरप्रेमवती पत्नी कामता प्रसाद उमेश मनीष सुमन खुसबू महिमा पिता कामता प्रसाद बेनीमाधव मेवालाल पि. श्यामलाल जाति वानी पता सा.देह भूमिस्वामी	18/3 शा. ख.न. 19/3	0.882	
53	परसू पि.जागेश्वर जाति कलार पता सा.देह भूमि स्वामी	14/1/1	0.358	
54	जगन्नाथ पि.जागेश्वर जाति कलारपता सा.देह भूमि स्वामी	14/1/2	0.358	
55	जगजमोहन पि.जागेश्वर जाति कलार पता सा.देह भूमि स्वामी	14/1/3	0.358	
56	श्रीनिवास पि.जागेश्वर जाति कलार पता सा.देह भूमि स्वामी	14/1/4	0.359	
57	गंगा प्रसाद पि0 लहुराई प्रसाद चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/क/1	0.022	
58	गंगोत्री प्रसाद पि0 लहुराई प्रसाद चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/क/2	0.022	
59	गिरजा प्रसाद पि0 लहुराई प्रसाद चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/क/3	0.022	
60	बुटान पति जगन्नाथ पि.खियाली जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	14/2/ख	0.066	0.085

61	फगुन पि.रामधनी जाति चर्म. पता सा.देह भूमि स्वामी	14/3	0.131	
62	जयकरण,शिवकरण सुरेश पि. बैजनाथ मु. प्रेमवती वेवा बैजनाथ जाति साहू पता सा.देह भूमि स्वामी	123/1	0.029	0.006
63	जगमोहन पि.सूर्यदीन साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	123/2	0.008	
64	निचका पि.बैशपती साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	123/3	0.008	
65	किनका पि. वंशपती भूमि स्वामी	123/4	0.008	
66	जयकरण,शिवकरण सुरेश पि. बैजनाथ मु. प्रेमवती वेवा बैजनाथ जाति साहू पता सा.देह भूमि स्वामी	110/1	0.037	0.003
67	जगमोहन पि.सूर्यदीन साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	110/2	0.012	
68	निचका पि.बैशपती साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	110/3	0.012	
69	किनका पि. वंशपती भूमि स्वामी	110/4	0.012	
70	जयकरण,शिवकरण सुरेश पि. बैजनाथ मु. प्रेमवती वेवा बैजनाथ जाति साहू पता सा.देह भूमि स्वामी	111/1	0.057	0.001
71	जगमोहन पि.सूर्यदीन साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	111/2	0.016	
72	निचका पि.बैशपती साहू जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	111/3	0.020	
73	किनका पि. वंशपती भूमि स्वामी	111/4	0.020	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	73 किता	18.187	0.623
1	शासकीय	36	0.089	0.002
2	शासकीय	44	0.134	0.003
3	शासकीय	114	0.053	0.003
4	शासकीय	206	0.109	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	0.385	0.011
	अ + ब का योग-	कुल 77 किता	18.572	0.634

क्रमांक-218-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	बराती 694 पटवारी हल्का 13 डिघवार रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	म.शक्रवती,पत्नी अंजनी कुमार देवेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार सन्तोष कुमार असीक कुमार पि.अंजनी कुमार जाति ब्रा. पता सा.डिघवार -393 भूमि स्वामी	10/1	0.320	0.032
2		अरूण कुमार पि.रामचन्द्र जाति ब्रा. पता सा.डिघवारभूमि स्वामी	10/2	0.158	
3		सुभाष कुमार पि. रामचन्द्र जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	10/3	0.158	
4		म.शक्रवती,पत्नी अंजनी कुमार देवेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार सन्तोष कुमार असीक कुमार पि.अंजनी कुमार जाति ब्रा. पता सा.डिघवार -393 भूमि स्वामी	15/1	0.903	0.084
5		अरूण कुमार पि.रामचन्द्र जाति ब्रा. पता सा.डिघवार भूमि स्वामी	15/2	0.451	
6		सुभाष कुमार पि. रामचन्द्र जाति ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	15/3	0.452	
7		रामवती पत्नी मथुरा कुशवाहा जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	19/1	0.101	0.058

8	पारसनाथ पिता मथुरा कुशवाहा जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	19/2	0.210	
9	हेमवती देवा रामाधार, बाके बिहारी रामबिहारी राजबिहारी श्यामबिहारी पिता रामाधार जाति ब्रा. पता सा.देह भूमिस्वामी	19/3	0.624	
10	इन्द्रलाल पिता जगन्नाथ, रामजियावन पिता शिवदास जाति काछीपता सा. देह भूमि स्वामी	19/4	0.312	
11	नन्दकमार पि.रामप्रताप पता सा.देह भूमि स्वामी	20/1	1.214	
12	रामनिवास पि.गोकुल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	20/2/1	0.506	0.031
13	रामनरेश पि. गोकुल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	20/2/2	0.500	
14	पारसनाथ पिता मथुरा कुशवाहा जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	30/1	0.607	0.087
15	जयराम पिता जगन्नाथ जाति काछी पता सा. बधेला भूमि स्वामी	30/2	0.607	
16	रामनरेश पि.गोकुल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	24/1	0.292	
17	रामनरेश पि. गोकुल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	24/2/1	0.166	0.004
18	जयराम पि.जगन्नाथ जाति काछी पता सा.बधेला भूमि स्वामी	24/2/2	0.125	
19	हरीनारायण पि.मधुसूदन प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	26/1	0.648	
20	रामाश्रय,श्यामाश्रय श्यामचरण शान्तिभूषण अजय-कुमार पि.हरकृष्ण विटीवापि.हरकृष्ण भूमि स्वामी म्.भुअरी देवा हरकृष्ण1/6 भाग भूमि स्वामीछोटेलाल बदीप्रसाद वेनी-प्रसाद पि.इश्वरीराम2/3 भाग भूमि स्वामी अनुराधा पति लक्ष्मीनाथ पृष्परज पि.लक्ष्मीनाथ धर्मनाथ मनोज कुमार मूडी पि.त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा.पता सा. देह1/3 भागभूमि स्वामी	26/2	0.808	0.068
21	जयराम पि.जगन्नाथ जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी	26/3	0.364	
22	अजय कुमार पि.कौशल प्रसाद जाति ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	26/4	0.121	
23	रामाश्रय,श्यामाश्रय श्यामचरण शान्तिभूषण अजय-कुमार पि.हरकृष्ण विटीवापि.हरकृष्ण भूमि स्वामी म्.भुअरी देवा हरकृष्ण1/6 भाग भूमि स्वामीछोटेलाल बदीप्रसाद वेनी-प्रसाद पि.इश्वरीराम 2/3 भाग भूमि स्वामी अनुराधा पति लक्ष्मीनाथ पृष्परज पि. लक्ष्मीनाथ धर्मनाथ मनोज कुमार मूडी पि.त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा.पता सा. देह 1/3 भागभूमि स्वामी	25/1	0.685	0.024
24	अजय कुमार पि.कौशल प्रसाद जाति ब्रा.पता सा.देहभूमि स्वामी	25/2	0.121,	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	24 किता	10.453	0.388

	शासकीय	17	0.385	0.007
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.385	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 26 किता	10.838	0.395

क्रमांक-219-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	घोरहा 264 पटवारी हल्का 5 घोरहा, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	अरुणन्द्र पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	112/1	1.164	0.046
2		भारत सरकार सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भूमि स्वामी	112/2	0.054	
3		अरुणन्द्र पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	113/1	0.586	0.039
4		भारत सरकार सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भूमि स्वामी	113/2	0.167	
5		देवेन्द्र पि.आनन्द प्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	106/1	0.224	0.001
6		धर्मेन्द्र प्रसाद पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	106/2/क	0.220	
7		भारत सरकार सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भूमि स्वामी	106/2/ख	0.069	
8		भारत सरकार सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भूमि स्वामी	106/3	0.069	

9	ब्रम्हविद्या तपोज्योति पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	107/1	0.129	0.024
10	देवेन्द्र पि.आनन्द प्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	107/2	0.133	
11	धर्मेन्द्र प्रसाद पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	107/3	0.121	
12	द्वारिका भौयालाल स्यामलाल पि.कुन्जा जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	78/1	0.040	0.087
13	अरुणेन्द्र पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	78/2	1.162	
14	म.छोटी पत्नी पियारे रामसजीवन पि.जानकी कौशल मुनिमहेश पि.भोला मु.सरोज पत्नी वशिष्ठ गेदरी पत्नी सुखनन्दन जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	75/1	0.040	0.007
15	आनन्दप्रताप पि.रघुवशप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	75/2	0.040	
16	कालू पि.दुलारे जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	75/3	0.040	
17	वोडे गंगा लखन पि.वैजनाथ जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	75/4	0.040	
18	त्रिवेणीप्रसाद पि.दुलारे जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	75/5	0.040	
19	शासकीय	75/6	0.053	
20	ब्रम्हविद्यातपोज्योति,देवेन्द्र धर्मेन्द्र महेन्द्र अरुणेन्द्र पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	75/7	0.645	
21	वोडे गंगा लखनलाल पि.वैजनाथ जाति साहू पता सा.देह भूमि स्वामी	75/8	0.120	
22	अरुणेन्द्र पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देहभूमि स्वामी	81 सा.नं.80 मे	0.000	0.022
23	अरुणेन्द्र पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	83	0.490	0.028
24	विमलादेवी पति ब्रम्हविद्यातपोज्योति जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	63/1	1.396	0.033
25	आनन्दप्रताप पि.रघुवशप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	63/2	0.121	
26	मोहनलाल पि.प्रह्लाद जाति नाई पता सा.देह भूमि स्वामी	63/3	0.020	
27	अरुणेन्द्र पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	69	0.502	0.043
28	शासकीय	68/1	0.036	0.039
29	ब्रम्हविद्या तपोज्योति पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	68/2	0.369	
30	शासकीय	68/3	0.040	
31	श्रीमती रामवती पति आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	117/1	0.613	0.027
32	भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भूमि स्वामी	117/2	0.083	

33	धमेन्द्र प्रसाद पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	108/1	0.200	0.024
34	महेन्द्रप्रसाद पि.आनन्दप्रताप जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	108/2/क	0.344	
35	भारत सरकार सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भूमि स्वामी	108/2/ख	0.061	
36	भारत सरकार सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भूमि स्वामी	108/3	0.041	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग--	36 किता	9.472	0.420
1	शासकीय	111	1.101	0.008
2	शासकीय	110	0.348	0.004
3	शासकीय	109	1.181	0.009
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग--	3 किता	2.630	0.021
	अ + ब का योग--	कुल 39 किता	12.102	0.441

क्रमांक-220-भू-अर्जन-कार्य-18-19

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	बदिगवां 661, पटवारी हल्का 34 जिलहडी, रा.नि.म. नईगढ़ी, तहसील-नईगढ़ी	श्रुतिकुमार, पि.लल्लुराम जाति ब्रा. पता सा. दुवगवां भूमि स्वामी	79/1	0.178	0.015
2		म. मानवती वेवा रामसुमेर कैलाश प्रसाद कौशलेश प्रसाद पिता रामसुमेर जाति ब्रा. पता सा. दुवगवां भूमि स्वामी	79/2	0.182	
3		चन्द्रवतीपति मंगल,मुडहा पता सा.देह भूमि स्वामी	78	0.271	0.012
4		फक्कडपि.भगवत जाति तेली पता सा.देह भूमि स्वामी	77	0.125	0.016
5		श्रीकान्त,शिवकान्तपि.कमलाकान्तराकेश कुमार राजेश कुमार रमेश कुमार पि. लालजी 3/4 भाग भूमि स्वामी सरोजकुमार, मनीजकुमार, सुनील कुमार, शीलादेवी, पि. ब्रम्हदीन एवं शान्ती-देवी, पत्नी ब्रम्हदीन जाति ब्रा. पता सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी	69	0.769	0.044

6	श्रीकान्त, शिवकान्त पि. कमलाकान्तराकेश कुमार राजेश कुमार रमेश कुमार पि. लालजी 3/4 भाग भूमि स्वामी सरोज कुमार, मनोज कुमार, सुनील कुमार, शीलादेवी, पि. ब्रम्हदीन एवं शान्ती-देवी, पत्नी ब्रम्हदीन जाति ब्रा. पता सा. देह 1/4 भाग भूमि स्वामी	68	0.837	0.035
7	सतीष कुमार, रवीन्द्रनाथ पि. राधाकान्त, मु. वीना वेवा प्रभाकर योगेश राजशेखर पि. प्रभाकर वनमाली प्रसाद पि. बासुदेव 1/2 भाग भूमि स्वामी पवन कुमार सुधीर कुमार आशीष कुमार पि. केशरी प्रसाद, प्रकाशनारायण रमादेवी, सियादेवी, विट्ठी-देवी, पि. सूर्यदीन, हि. 1/4 मुरलीधर पि. रविदेव जाति ब्रा. पता सा. देह 1/4 भाग भूमि स्वामी	64	1.534	0.052
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	7 किता	3.896	0.174
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 7 किता	3.896	0.174

क्रमांक-221-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अभिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	डिघवार 391 पटवारी हल्का 13 डिघवार, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	लालमणि केदार पि. बैजनाथम. भगमनिया बेवा बैजनाथ जाति बानी पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	47/1	0.405	0.036
2		सम्पति कुमार, शिवमूर्ति प्रसाद पि. भगवत जाति बानी पता सा. देह भूमि स्वामी	47/2	0.412	
3		लालमणि केदार पि. बैजनाथ जाति बानी पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	47/3	0.405	
4		शिवकुमार पि. सुदामा जाति ब्रा. पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	45/1	0.648	0.044
5		बालमकुन्द पि. झिगवा जाति तेली पता सा. डिघवार भूमि स्वामी	45/2/1	0.203	
6		सन्तोष कुमार पि. झिगवा जाति तेली पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	45/2/2	0.202	
7		म. राजकुमारी म. मनगिरिया पत्नी लहराई जोखई लालमणि गंगा गंगोत्री बिहारी गिरिजा पिता लहराई जाति चमार पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	45/3	0.202	

8	पावती पति विश्राम प्रसाद पि. खियाली जाति चमार पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	45/4	0.202	
9	फगन पि. रामधनी जाति चम. पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	45/5	0.405	
10	नागेन्द्रप्रसाद, रमेशमहेश पि. अन्सूइया म्. सरमनिया वेवा अन्सूइया प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	44/1	0.607	
11	म० शुकबती, बेवा अजनी कुमार देवेन्द्र सुरेन्द्र संतोष अशोक पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा. पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	44/2	0.101	
12	जयराम, इन्द्रलाल पि. जगन्नाथ रामसियम्बर पि. शिवदास जाति काछी पता सा. वराती 694 भूमि स्वामी	44/3	0.101	
13	नारायण प्रसाद, राजकुमार सुनील कुमार रिंकु पि० कामता प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/4/1	0.073	
14	सुखसेन पि० जमुना बारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/4/2	0.077	0.069
15	मून्नालाल पि० जमुना बारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/4/3	0.076	
16	हीरालाल पि० गनपति जाति चमार पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	44/5	0.202	
17	प्यारेलाल पि. सूर्यदीन जाति चमार पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	44/6	0.101	
18	सविता, पत्नी रामराज, राजू पिता रामराज सुलोचना पिता रामराज जाति चमार पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	44/7	0.405	
19	प्यारेलाल पि. सूर्यदीन जाति चमार पता सा. डिघवार 393 भूमि स्वामी	44/8	0.101	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	19 कित्ता	3.893	0.149
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 19 कित्ता	3.893	0.149

क्रमांक-222-भू-अर्जन-कार्य-18-19

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिमोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	भगतपुरा 785 पटवारी हल्का 5 घोरहा, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	शासकीय	5/1	0.028	0.021
2		आनन्द प्रताप पि.रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	5/2	0.352	
3		आनन्द प्रताप पि.रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	12	0.53	0.032
4		आनन्द प्रताप पि.रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	13 शा.न.16	1.011	0.035
5		आनन्द प्रतापपि.रघुवंशप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	14	0.648	0.051
6		शासकीय	6/1	0.049	0.044
7		आनन्द प्रतापपि.रघुवंशप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	6/2	0.433	
8			शासकीय	4/1	0.032

9	आनन्द प्रतापपि.रघुवंशप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	4/2	0.421	0.002
10	आनन्द प्रतापपि.रघुवंशप्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	1/1	1.027	
11	शासकीय	1/2	0.057	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	11 किता	4.588	0.186
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 11 किता	4.588	0.186

संस्कृति जैन, अनुविभागीय अधिकारी रा.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 दिसम्बर 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 605-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) खैरा	(4) 0.777	कार्यकारी अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना (म. प्र.)	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 15 जनवरी 2019

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 31-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सुजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) सकरिया	(4) 0.811	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाइन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 32-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बिरहुली	0.118	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 33-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बठिया	0.353	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 34-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	हिनौता	0.618	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 35-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	सतरी	0.444	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 36-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही

अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	मनकहरी	0.147	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 37-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बम्हौरी	0.581	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 38-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई

संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	खारी	0.189	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 19 जनवरी 2019

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 46-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बगहाई	2.176	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्र. 05-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि क्योटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	पताई	0.425	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 07-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्योटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	पटना	2.534	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं. 3 एवं पटना सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 09-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	करारी	1.334	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हर्दी खुर्द	3.552	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत हर्दी सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 13-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) बुढ़गवाँ	(4) 1.440	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत पटना माइनर की पटना सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 15-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) डिहिया कोठार	(4) 4.704	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया माइनर डिहिया सब माइनर नं. 1 एवं हर्दी सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 17-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) हदीकला	(4) 1.824	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत कसिहाई माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 19-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बहेरा कोठार	(4) 1.056	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया सब माइनर नं. 1 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 21-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) कठना कोठार	(4) 0.576	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया सब माइनर नं. 1 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 23-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) कंदैला पैपखार	(4) 3.208	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत कंदैला माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. 486-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—जोवा
(घ) क्षेत्रफल—0.270 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
586/3	0.270
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध योजना अंतर्गत.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अनुभाग

झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 7 जनवरी 2019

प्र. क्र. 04-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है

कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—सुरीनाला
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—2.040 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
274	1.120	0.480
291	0.100	0.050
306	0.990	0.120
317	0.490	0.240
321	0.770	0.100
322	0.940	0.120
323	0.790	0.480
337	1.380	0.380
338	0.230	0.040
339	0.250	0.030
कुल .	7.060	2.040

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 05-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है:—

अनुसूची			(1)	(2)	(3)
शासकीय भूमि का वर्णन:—			24	0.790	0.120
(क)	जिला—झाबुआ		112	0.290	0.010
(ख)	तहसील—रामा		70	0.300	0.280
(ग)	ग्राम—डुंगरालालु		47	0.300	0.300
(घ)	हस्तांतरित शासकीय रकबा—0.100 हेक्टर.		66	0.860	0.433
सर्वे नं.	रकबा	पेकी रकबा	79	0.910	0.100
	(हेक्टर में)	(हेक्टर में)	63	0.330	0.330
(1)	(2)	(3)	62	0.300	0.260
466	1.630	0.100	49	0.260	0.100
कुल.	1.630	0.100	51	0.110	0.110
			61	0.040	0.040
			54	0.550	0.430
2.	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.		55	0.200	0.100
			56	0.060	0.060
3.	भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.		57	0.800	0.760
			35	0.220	0.220
			86	1.060	0.160
			89	0.200	0.100
4.	इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.		52	0.910	0.160
			68	0.080	0.070
			65	0.210	0.210
			64	0.540	0.220
			85	0.100	0.020
			कुल.	10.460	5.073

प्र. क्र. 06-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—हत्यादेली
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—5.073 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
11	0.590	0.250
6	0.450	0.230

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 07-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है

कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—वाग्नेरा
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—11.800 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
17	0.860	0.220
16	0.260	0.050
8	0.410	0.150
15	0.730	0.410
33	1.670	0.380
27	1.140	0.580
28	0.480	0.020
111	0.250	0.250
119	0.100	0.100
125/2	1.000	0.040
137/2	3.590	2.600
118/3	3.860	0.710
121	0.550	0.340
144	0.660	0.600
142	0.180	0.180
143	0.110	0.110
139	0.700	0.630
274	0.520	0.070
271	0.260	0.260
269	0.360	0.160
281	2.360	0.490
300	22.000	3.450
कुल.	42.050	11.800

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयवाधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम

रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयवाधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 08-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—धामन्दा
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—2.380 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
706	1.770	0.970
653	0.060	0.050
651	0.580	0.070
671	0.070	0.010
579	1.060	0.090
592	0.190	0.070
663	0.300	0.040
660	2.270	0.010
588	1.520	0.850
589	0.160	0.090
590	0.180	0.060
385	0.280	0.070
कुल.	8.440	2.380

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयवाधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयवाधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 09-अ-19(3)-2018-19.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—साड
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—5.950 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
332	1.060	0.150
353	0.410	0.380
354	0.100	0.080
356	0.620	0.540
355	0.470	0.260
357	0.070	0.020
397	1.750	0.170
417	2.030	0.190
421	0.440	0.160
424	0.490	0.460
352	0.130	0.030
341	4.630	0.200
358	0.600	0.090
431	2.160	0.460
809	2.600	0.170
432	1.420	0.240
805	1.180	0.340
454	0.580	0.200
556	0.120	0.120
570	0.050	0.050
569	0.060	0.060
572	0.280	0.260
546	0.490	0.140
573	0.300	0.300
574	0.050	0.050
560	0.090	0.090
519	1.220	0.180
517	0.410	0.100
513	0.180	0.180
514	0.900	0.120

(1)	(2)	(3)
510	0.900	0.100
369	0.600	0.060
कुल.	26.390	5.950

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 10-अ-19(3)-2018-19.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—फत्तीपुरा
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—0.570 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	0.180	0.040
6	0.680	0.420
19	0.160	0.050
22	0.400	0.060
कुल.	1.420	0.570

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 11-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—रूपारेल
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—2.630 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	1.220	0.260
49	0.930	0.120
75	0.440	0.170
82	0.910	0.280
100	2.160	0.060
101	0.340	0.090
102	0.070	0.070
103	0.030	0.030
104	0.230	0.100
105	0.860	0.160
189	1.280	0.160
236	1.210	0.040
247	0.360	0.200
248	0.470	0.470
249	0.200	0.200
261	0.240	0.220
कुल.	10.950	2.630

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता हैं—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 12-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—पालेडी
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—5.906 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
691	0.090	0.090
693	0.050	0.011
687	0.280	0.070
695	1.550	0.152
686	0.250	0.250
677	1.750	0.277
685	0.210	0.063
684	0.240	0.084
679	0.260	0.221
680	0.210	0.189
681	0.900	0.586
665	0.500	0.208
664	2.010	0.213
666	1.050	0.426
670	0.660	0.152
649	1.210	0.148
624	1.050	0.133
296	0.460	0.150
302	0.650	0.423
306	1.920	0.186
344	2.480	0.510
325	0.200	0.090
194	0.580	0.476

(1)	(2)	(3)
227	0.250	0.238
228	0.040	0.038
225	0.230	0.173
219	0.700	0.189
230	0.400	0.160
कुल .	20.180	5.906

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता हैं—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 13-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- जिला—झाबुआ
- तहसील—रामा
- ग्राम—काकडकुआँ
- हस्तांतरित शासकीय रकबा—3.340 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
396	6.520	1.500
397	0.060	0.060
401	0.020	0.020
402	0.710	0.050
429	1.820	0.750
427	0.090	0.060
425	2.390	0.800
400	0.160	0.100
कुल .	11.770	3.340

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता हैं—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 14-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- जिला—झाबुआ
- तहसील—रामा
- ग्राम—रसोडी
- हस्तांतरित शासकीय रकबा—5.940 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
223	4.250	0.040
224	0.720	0.150
225	1.520	0.400
236	3.130	0.650
276	1.300	1.000
277	3.750	0.900
279/1	2.950	1.050
280	0.190	0.150
281	0.880	0.600
282/1	3.590	1.000
कुल .	22.280	5.940

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता हैं—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य

इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

प्र. क्र. 15-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—झिरी
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—4.446 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
164	0.400	0.114
273	0.320	0.110
274/1	0.360	0.270
274/2	0.540	0.529
275	0.500	0.205
280	0.640	0.450
284	3.800	0.285
283	0.650	0.611
282	0.150	0.150
281	0.240	0.072
286/1	6.340	1.650
कुल .	13.940	4.446

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि

में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 16-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—देवली
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—14.830 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1371	0.230	0.230
1372	0.600	0.600
1373	0.550	0.550
1374	0.180	0.180
1375	0.510	0.510
1381	0.240	0.140
1311	1.260	0.840
1309	0.750	0.290
1307	0.630	0.410
1333	1.080	0.500
1335/3	2.250	1.750
1348	0.350	0.110
1349	0.130	0.130
1351/2	5.000	1.150
1379	1.560	1.160
1380	1.550	1.320
1410	1.240	0.280
1355/2	0.950	0.350
1319	0.420	0.090
114	0.500	0.060
65	0.520	0.140
93	0.960	0.140
756	0.690	0.100

(1)	(2)	(3)
740	0.250	0.130
786	0.880	0.100
1256	0.150	0.020
1310	0.390	0.080
1350	0.050	0.050
1382	0.800	0.080
1411	3.320	0.350
678	1.250	0.300
725	0.100	0.100
1308	0.120	0.120
871	1.190	0.500
1356	0.750	0.020
1358	0.780	0.760
1359	0.850	0.750
1361	0.300	0.080
1362	0.410	0.100
1363	0.210	0.130
1370	0.440	0.130
कुल...	34.390	14.830

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 17-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- जिला—झाबुआ
- तहसील—रामा

(ग) ग्राम—सेमलघाट
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—5.460 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
308	0.090	0.050
342	0.080	0.010
331	0.230	0.050
367	0.270	0.070
1	0.580	0.350
2	0.510	0.500
3	0.480	0.130
4	0.420	0.100
5	2.000	1.020
7	0.100	0.100
8	3.540	0.570
11	0.210	0.090
170	1.190	0.270
168	0.770	0.390
164	0.120	0.030
158	0.170	0.170
199	0.580	0.060
276	4.070	0.330
325	0.360	0.210
331	0.230	0.120
335	0.040	0.040
336	0.100	0.100
366	1.180	0.700
योग. .	17.320	5.460

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 18-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रामा
(ग) ग्राम—आमलीपाडा
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—0.270 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
966	0.130	0.110
967	0.150	0.130
968	0.400	0.030
कुल .	0.680	0.270

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 19-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ

- (ग) ग्राम—तलावली
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—1.109 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
420	0.560	0.180
424	0.160	0.080
436	0.300	0.130
328	0.860	0.200
423	0.760	0.090
183	0.570	0.130
464	1.320	0.299
कुल .	4.530	1.109

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 20-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—परवट
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—4.446 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
310	0.550	0.342
420	0.360	0.360
419	0.940	0.120

(1)	(2)	(3)
361	0.610	0.080
365	0.400	0.100
405	0.790	0.191
388	0.690	0.260
365	0.400	0.090
397	0.200	0.043
6	1.930	0.144
7	1.600	0.465
17	0.630	0.412
130	0.730	0.152
400	0.180	0.180
389/613	0.350	0.005
345	3.090	0.394
2/1	0.650	0.038
2/2	1.130	0.270
21	1.690	0.147
22	0.600	0.361
1	0.760	0.065
110	0.980	0.277
कुल .	19.260	4.446

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 21-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- जिला—झाबुआ
- तहसील—झाबुआ

(ग) ग्राम—फुटिया

(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—1.300 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
566	1.010	0.300
553	0.100	0.090
554	5.400	0.910
कुल .	6.510	1.300

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 22-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- जिला—झाबुआ
- तहसील—झाबुआ
- ग्राम—डुंगरालालु
- हस्तांतरित शासकीय रकबा—4.399 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
413	3.680	1.770
436	15.650	0.290
526	0.750	0.220
383/1	1.080	0.050
375/2	0.750	0.204
376	0.620	0.380

(1)	(2)	(3)
377	0.090	0.050
378	1.390	0.260
379	0.070	0.040
281	0.520	0.390
279/2	0.070	0.030
282/2	0.050	0.050
283/2	0.160	0.090
276/2	0.200	0.110
275/2	0.090	0.090
273/2	0.050	0.050
284	0.200	0.030
285/2	0.100	0.016
285/3	0.010	0.010
256/1	0.310	0.060
154	0.870	0.060
337/3	0.920	0.060
287/2	0.200	0.003
411	0.020	0.006
407	0.310	0.050
415	1.450	0.030
कुल.	29.610	4.399

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 23-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद एक में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद दो में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- जिला—झाबुआ
- तहसील—झाबुआ

(ग) ग्राम—नवागाँव

(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—6.900 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
572	0.660	0.300
573	0.750	0.190
574	0.410	0.390
575	0.910	0.430
576	0.560	0.120
579	1.900	0.860
563/1	5.400	1.180
577	0.480	0.180
578	1.920	0.960
605	0.770	0.180
607	0.190	0.080
603	1.000	0.800
604	1.090	0.200
597	0.400	0.360
598	0.720	0.290
595	0.090	0.060
585	0.880	0.090
593	0.980	0.110
600	0.280	0.100
602	0.550	0.020
कुल.	19.940	6.900

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
- इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयावधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

प्र. क्र. 24-अ-19(3)-2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद एक में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद दो में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

शासकीय भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—रंगपुरा
(घ) हस्तांतरित शासकीय रकबा—2.339 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	पेकी रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
38	0.510	0.360
37	0.340	0.280
16/3	2.790	0.534
16/5	0.440	0.060
16/1	4.120	0.203
96	1.130	0.050
160	0.260	0.030
165	0.310	0.210
164	0.230	0.010
216	0.120	0.010
198/1	4.340	0.273
226	0.030	0.010
223	0.040	0.040
218	0.090	0.023
283	0.870	0.006
168	0.240	0.240
योग .	15.86	2.339

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता हैं इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
3. भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वे 15 दिवस अर्थात् दिनांक 29-01-2019 की समयवाधि में इस न्यायालय एवं उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. नियत समयवाधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

एम. एल. मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 जनवरी 2019

संशोधित अधिसूचना

क्र. 45-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—खारी
(घ) क्षेत्रफल—0.919 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.006
1/2	0.013
1/4	0.010
1/3	0.013
1/5	0.004
1/6	0.004
1/7	0.004
1/8	0.004
1/9	0.004
1/10	0.004
1/11	0.004
1/12	0.004
1/13	0.004
4/1	0.048
4/2	0.084
6/720/ख	0.061
7/2/क/2/क	0.025
7/2/क/2/ख	0.026

(1)	(2)	(1)	(2)
7/2/क/2/ग	0.026	55/2/घ/1	0.001
7/2/ख/2	0.002	55/2/घ/2	0.001
7/2/ख/3	0.002	55/2/ङ/1	0.001
7/2/ख/4	0.001	55/2/ङ/2	0.001
7/2/ख/5	0.001	55/2/ख/7	0.002
7/2/ख/6	0.001	55/2/ख/8	0.002
7/2/ख/7	0.001	55/2/ख/4	0.002
7/2/ख/8	0.001	55/2/ख/9	0.002
7/2/ख/9	0.001	55/2/ख/3	0.002
7/2/ख/10	0.001	55/2/ख/2	0.002
7/2/ख/11	0.001	55/2/ख/6	0.002
7/2/ख/12	0.001	55/2/ख/5	0.002
7/2/ख/13	0.001	55/1/ख/1	0.003
7/2/ख/14	0.001	55/1/ख/2	0.002
7/2/ख/15	0.001	55/1/ख/3	0.002
7/2/ख/16	0.001	55/1/ख/4	0.002
7/2/ख/17	0.001	55/1/ख/5	0.001
7/2/ख/18	0.001	55/1/ख/6	0.007
7/2/ख/19	0.001	55/1/ख/7	0.007
7/2/ख/20	0.001	55/1/ख/8	0.007
7/2/ख/21	0.001	55/1/ख/9	0.001
7/2/ख/22	0.001	55/1/ख/10	0.001
44/2	0.088	55/1/ख/11	0.001
45/2	0.013	55/1/ख/12	0.001
50	0.108	55/1/ख/13	0.001
55/2/क	0.001	55/1/ख/14	0.001
55/2/ख	0.002	55/1/ख/15	0.001
55/2/ङ	0.002	55/1/ख/16	0.001
55/2/ट	0.001	55/1/ख/17	0.001
55/2/ठ	0.001	55/1/ख/18	0.001
55/2/ड	0.001	55/1/ख/19	0.001
55/2/ण	0.001	55/1/ख/20	0.001
55/2/त	0.002	55/1/ख/21	0.001
55/2/थ	0.002	55/1/ख/22	0.001
55/2/द/1	0.001	55/1/ख/23	0.001
55/2/द/2	0.001	57/2	0.004

(1)	(2)
60/1/क	0.02
60/2/क	0.02
60/1/ग	0.004
60/1/घ	0.004
60/1/ङ	0.004
60/5	0.004
60/4	0.004
60/3	0.004
60/6	0.004
60/7	0.004
60/8	0.004
60/2/ग	0.004
60/2/घ	0.002
60/2/ङ	0.002
61/21	0.001
61/22	0.001
61/14	0.001
61/24	0.001
61/23	0.001
61/12	0.001
61/17	0.001
61/18	0.002
61/19	0.001
61/13	0.001
61/16	0.001
61/15	0.001
61/20	0.001
61/3	0.002
61/4	0.003
61/5	0.003
61/9	0.002
61/10	0.002
61/8	0.002
61/11	0.002
61/6	0.002
61/7	0.002
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि. मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 जनवरी 2019

पत्र क्र. 71-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—बहेरा
(घ) क्षेत्रफल—2.420 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
77	0.067	-
132	0.173	-
133	0.009	-
134	0.245	-
135	0.153	-
136	0.062	-
139	0.057	-
140	0.062	-
143	0.009	-
144	0.276	-

(1)	(2)	(3)
148	0.201	-
149	0.004	-
152	0.024	-
153	0.016	-
154	0.017	-
183	0.009	-
184	0.240	-
185	0.101	-
210	0.096	-
211	-	0.048
213	0.374	-
217	0.024	-
219	0.153	-
योग . .	2.372	0.048
महायोग . .	2.420	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 73-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—गोरसरी

(घ) क्षेत्रफल—0.345 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
12	0.072	-
20	0.039	-
21	0.173	-

(1)	(2)	(3)
22	0.013	-
24	0.010	-
26	0.038	-
योग . .	0.345	0.000
महायोग . .	0.345	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 75-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—पथरौड़ा

(घ) क्षेत्रफल—0.801 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
66/167	-	0.086
66	0.590	-
75	0.125	-
कुल योग . .	0.715	0.086
महायोग . .	0.801	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 77-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—हरिहरपुर
(घ) क्षेत्रफल—4.621 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	0.453	-
6	0.247	-
7	0.139	-
8	0.206	-
9	0.130	-
10	0.130	-
11	-	0.061
12	0.216	-
28	0.320	-
37	0.332	-
170	0.100	-
179	0.024	-
180	0.040	-
193	0.009	-
194	-	0.255
195	-	0.559
203	0.576	-
204	0.018	-
207	0.105	-
211	0.360	-
212	0.202	-
213	0.016	-
214	0.025	-
215	0.134	-
217	0.004	-
कुल योग . .	3.746	0.875
महायोग . .	4.621	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 79-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—सरबहना
(घ) क्षेत्रफल—1.498 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
56	0.147	-
55/229	0.109	-
56/230	0.080	-
72	0.051	-
77	0.100	-
66	0.046	-
86	0.064	-
85	0.216	-
106	0.182	-
108	0.025	-
109	0.096	-
110	0.059	-
115	0.186	-
112	0.137	-
कुल योग . .	1.498	0.000
महायोग . .	1.498	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2019

क्र. A-148-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 19 नवम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-150-दो-2-13-2015.—श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 17 से 21 दिसम्बर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-152-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 एवं

27 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-241-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 3 से 8 दिसम्बर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-498-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 नवम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-502-दो-2-51-2017.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 नवम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.